उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास विभाग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
उत्तराखण्ड

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2021-22

औद्योगिक विकास विभाग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-2022

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
अध्याय–1	विभाग की संगठनात्मक संरचना	1–23
अध्याय–2	मुख्य योजनायें एवं कार्यकलाप तथा प्रगति सूचनायें	25–135
अध्याय–3	परिव्यय, प्राविधान, बजट, व्यय–2021–22	137–146
अध्याय–4	आय–व्ययक अनुमान–वर्ष 2022–23 (लेखाशीर्षकवार वर्ष 2021–22 के तुलनात्मक व्यय सहित)	147–169
अध्याय–5	आउटकम बजट एवं कार्य योजना वर्ष 2022–23	171–203

अध्याय-1

औद्योगिक विकास विभाग

औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, मुद्रण एवं लेखन, अवस्थापना विकास एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विनियमन तथा बृहत उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नांकित विभाग उत्तरदायी हैं :–

- भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई।
- लीथो प्रेस, रूड़की।
- सिडकुल/सीडा/वाणिज्य एवं टैक्सटाईल।
- सार्वजनिक उद्यम।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग तथा हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योगों के विकास एवं संवर्द्धन हेतु निम्नांकित विभाग/संस्थायें उत्तरदायी हैं :–

- उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, पटेलनगर, देहरादून।
- समस्त जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
- उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग के मुख्य कार्य/दायित्व

1-भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई :

- **खनिज अन्वेशण कार्य**-खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक

विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेषण का कार्य स्थगित है।

- **खनन प्रशासन कार्य**– खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। विभाग द्वारा खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- **भूअभियांत्रिकीय कार्य**– भूअभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**– राजस्व व वन क्षेत्र के अधिक से अधिक रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के उपरान्त स्वीकृत क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन/मॉनीटरिंग कार्य कराया जाना।
- **खनन सर्विलांस योजना**– प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक सर्विलांस युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वेब एप्लीकेशन एवं माइनिंग गार्ड का क्रियान्वयन तथा ऑन लाईन राजस्व जमा हेतु पेमेंट गेट वे से सम्बन्धित कार्यो के क्रियान्वयन/संचालन तथा खनन कार्यकलापों के अन्तर्गत समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने की कार्यवाही।
- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- खनिजों के वैज्ञानिक विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये विदोहन हेतु शासन के निर्देशानुसार व्यवहारिक नीतियों को प्रस्तावित करना।

- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन सम्बन्धित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन सम्बन्धी स्टाफ की प्रगति।
- जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा पट्टे पर आवंटित खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मॉनीटरिंग/अध्ययन का कार्य किया जाता है।

- प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक सर्विलांस युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं वेब एप्लीकेशन माइनिंग गार्ड का क्रियान्वित किया जाना।
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना।
- राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराये जाने के प्राविधान है। उक्त धनराशि से प्रदेश में खनिजों की खोज किया जाना।

2– राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रुड़की के मुख्य कार्य :

- राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांखण्ड, रूड़की, निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के नियन्त्रण में है, तथा उत्तरांखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के लिये उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार का एक मात्र मुद्रणालय है।
- सरकारी साधारण तथा असाधारण गजट का प्रकाशन/मुद्रण/वितरण।
- उत्तराखण्ड सरकार का वार्षिक बजट/अनुपूरक बजट का मुद्रण एवं सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से कार्यालय में प्रयोग होने वाली प्रपत्रों/रजिस्टर का मुद्रण/निर्माण एवं परीक्षा में प्रयोग होने वाली सादी उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण कर राज्य के समस्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को वितरण करना। प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा हेतु सादी उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रपत्रों का मुद्रण।
- राज्य के समस्त विभागों जैसे सेवायोजन, विधिक माप विज्ञान, व्यापार कर, चिकित्सा, सिडकुल, परिवहन विभाग, निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, महालेखाकार, प्रपत्र तथा उनके द्वारा तैयार निर्देश/नीति प्रकाशनों का मुद्रण।
- पंजीकृत प्रपत्रों की श्रंखला में कोषागार प्रान्तीय, विविध, एच0सी0जे0, पुलिस,भुलेख व जैड0ए0 से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टर आदि मुद्रण कर राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क/सशुल्क आधार पर मांगानुसार मुद्रण कर सम्पूर्ति की जाती है।
- मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्बन्धित प्रपत्रों/लिफाफों व फाइल कवर का मुद्रण/सम्पूर्ति।

- मा0 लोक आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट का मुद्रण।
- सचिवालय में प्रयोग होने वाले प्रवेश पत्रों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड विधान सभा–की कार्यवाहियों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- सचिवालय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जैसे चरित्र पंजिका, आई.ए.एस. ग्रेडेशन लिस्ट इत्यादि का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संकलन पुस्तकों का मुद्रण।

3– उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम लि. के मुख्य कार्यः

- उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं प्रबन्धन।
- बृहद उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।
- बृहद उद्योग की रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित पैकेज का अनुश्रवण कार्य।
- औद्योगिक नीति के कियान्वयन में राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य।
- प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन का कार्य।
- निर्यात प्रोत्साहन एवं भारत सरकार के पैकेज के लिये नोडल अभिकरण के रूप में कार्य।

4– सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मुख्य कार्य/दायित्व

1- उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र :

- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर समुचित प्रस्ताव एवं सुझाव प्रस्तुत करना।
- उद्योग क्षेत्र, जिनमें ग्रामीण एवं लघु उद्योग, हथकरघा, खनन और बृहत उद्योग सम्मिलित हैं, के विकास हेतु वार्षिक व पंचवर्षीय योजनायें तैयार कर योजना आयोग के स्तर पर प्रस्तुतिकरण।
- उद्योग निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म, राजकीय मुद्रणालय, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, सिडकुल तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के कार्यों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना, अनुमोदित बजट प्रस्तावों पर शासन से जारी स्वीकृतियों का निर्गमन तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित करना।
- एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के सचिवालयी कार्य।
- राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु समय–समय पर नीतियों को तैयार करना।
- भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2015 से पूरे देश में उद्यमियों द्वारा उद्योग आधार मैमोरेण्डम ऑनलाइन फाईल करने की व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 26 जून, 2020 से सम्पूर्ण देश में 1 जुलाई, 2020 के पश्चात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हेतु ''**उद्यम रजिस्ट्रीकरण**'' (https://udyamregistration.gov.in) की व्यवस्था की गई है, जो एमएसएमई की सभी सुविधाओं हेतु अनिवार्य है।
- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की **औद्योगिक विकास नीति-2017** का क्रियान्वयन।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सम्भाव्य विशिष्ट चिन्हित आर्थिक गतिविधि को आवश्यक इनपुट्स एवं वित्तीय प्रोत्साहन देकर विकसित किया जायेगा, जिससे इनके उत्पाद एवं सेवायें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजन के उद्देश्य से **ग्रोथ सेन्टर योजना** लागू की गई है, का क्रियान्वयन।
- राज्य की नई **स्टार्टअप नीति-2018** का क्रियान्वयन।

- **''ईज आफ डूईंग बिजनेस''** के अन्तर्गत राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु **''निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र''** के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों को परामर्श प्रदान करना।
- **''उत्तराखण्ड मेंटरशिप कार्यक्रम''** का ऑनलाईन अनुश्रवण।
- उत्तराखण्ड की **लैण्ड लीजिंग पॉलिसी** के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित कार्य।
- उद्यमिता एवं कौशल विकास।
- पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का ऑकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा अनुप्रेषण।
- औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक विकास हेतु समन्वित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सिडबी, एन0एस0आई0सी0, यू0एन0डी0पी0, नाबार्ड, सी0जी0एफ0टी0आई, से समन्वय तथा उनकी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न सहूलियतों, सहायताओं, सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एमएसएमई नीति–2015 के अन्तर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु घोषित योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन/अनुश्रवण।
- **उत्तराखण्ड राज्य सुकरता परिषद** से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं, जटिलताओं का निराकरण करना।
- स्थापित उद्योगों, विशेष रूप से ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता।
- औद्योगिक, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न शोध–विकास संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- उद्योग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।

- औद्योगिक श्रमिकों/प्रबन्धकों के लिए प्राथमिक जागरूकता हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005** का क्रियान्वयन।
- **''उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड''** के माध्यम से माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिकएवं विपणन सहायता।

2- उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के मुख्य कार्य :

- राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार की शीर्ष संस्था के दायित्वों का निर्वहन।
- राज्य सरकार द्वारा मेला एवं प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु नोडल एजेन्सी नामित।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन।
- शिल्पों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय शिल्प मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग।
- भारत सरकार की **''एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना''** के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में डिजाइन वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, मार्केटिंग वर्कशाप, बॉयर–सेलर मीट एवं शिल्प में कार्य करने हेतु शिल्पियों को टूल किट उपलब्ध कराना।
- **उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना** के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के सरंक्षण, संर्वद्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को **उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न** पुरस्कार।
- राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा में **हरिप्रसाद पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान** की स्थापना। संस्थान के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण का कार्य।
- मेला/प्रर्दशनी/शो–रूम आदि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विपणन प्रोत्साहन।

- विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग कलस्टरों हेतु समन्वित विकास के कार्यक्रम।
- हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु **''हिमाद्रि''** शो–रूमों का संचालन एवं उत्पादों के ऑनलाईन मार्कटिंग में Amazon (अमेजन) के साथ टाईअप।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कियान्वयन।

3– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्य :

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को कियान्वयवित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगो मे लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितब्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय बिक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियॉ भी है, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो राज्य सरकार द्वारा नियमो के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञो/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

विभाग की संगठनात्मक संरचना

(क) उद्योग निदेशालय हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

क0 सं0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल एवं वेतनमान		स्वीकृत पदों की संख्या
		लेवल	वेतनमान (रूपये में)	
1.	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग	भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गानुसार	भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गानुसार	01
2.	निदेशक उद्योग	13 क	1,31,100–2,16,600	01
3.	अपर निदेशक उद्योग	13	1,18,500–2,14,100	02
4.	संयुक्त निदेशक उद्योग	12	78,800–2,09,200	02
5.	उप निदेशक उद्योग	11	67,700–2,08,700	04
6.	सहायक निदेशक उद्योग	10	56,100–1,77,500	08
7.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	10	56,100–1,77,500	02
8.	सहायक लेखाधिकारी	8	47,600–1,51,100	01
9.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8	47,600–1,51,100	02
10.	अपर सांख्यकीय अधिकारी	7	44,900–1,42,400	02
11.	वैयक्तिक अधिकारी	7	44,900–1,42,400	02
12.	प्रशासनिक अधिकारी	7	44,900–1,42,400	02
13.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	6	35,400–1,12,400	04
14.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	6	35,400–1,12,400	02
15.	लेखाकार	6	35,400–1,12,400	03
16.	प्रधान सहायक	6	35,400–1,12,400	03
17.	वैयक्तिक सहायक	5	29,200–92,300	02
18.	वरिष्ठ सहायक	5	29,200–92,300	05
19.	कनिष्ठ सहायक	3	21,700–69,100	05
20.	वाहन चालक	2	19,900–63,200	04
21.	अनुसेवक	1	18,000–56,900	14
22.	स्वच्छकार/चौकीदार	1	18,000–56,900	02
	योग :-			**73**

(ख)–जनपद स्तरीय जिला उद्योग केन्द्रों हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल एवं वेतनमान		जनदवार स्वीकृत पदों का विवरण													पदवार योग
		लेवल	वेतनमान (रूपये में)	देहरादून	हरिद्वार	पौड़ी	उद्यमसिंहनगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	चम्पावत	बागेश्वर	चमोली	रूद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	टिहरी	
1.	महाप्रबन्धक	11	67,700–2,08,700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.	प्रबन्धक	10	56,100–1,77,500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
3.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	10	56,100–1,77,500	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8	47,600–1,51,100	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
5.	अपर सांख्यकीय अधिकारी	7	44,900–1,42,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6.	वैयक्तिक अधिकारी	7	44,900–1,42,400	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.	प्रशासनिक अधिकारी	7	44,900–1,42,400	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	8
8.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	6	35,400–1,12,400	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
9.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	6	35,400–1,12,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10.	सहायक प्रबन्धक	6	35,400–1,12,400	6	6	15	7	8	11	8	4	3	9	3	6	9	95
11.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	6	35,400–1,12,400	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	18
12.	सहायक विकास अधिकारी (प्रथम)	6	35,400–1,12,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
13.	प्रधान सहायक	6	35,400–1,12,400	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	19
14.	सहायक लेखाकार	5	29,200–92,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
15.	सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय)	5	29,200–92,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
16.	वरिष्ठ सहायक	5	29,200–92,300	2	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	29
17.	वैयक्तिक सहायक	5	29,200–92,300	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
18.	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	3	21,700–69,100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
19.	कनिष्ठ सहायक	3	21,700–69,100	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	33
20.	वाहन चालक	2	19,900–63,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
21.	अनुसेवक	1	18,000–56,900	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	44
22.	स्वच्छकार / चौकीदार	1	18,000–56,900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
23.	चौकीदार (औद्योगिक आस्थान)	1	18,000–56,900	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	31
	जनपदवार योग :–			37	37	46	38	39	36	33	29	28	34	28	31	34	450

टिप्पणी:-सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) के 13 पद, सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय) के 13 पद एवं औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक के 13 पद (कुल 39 पद) मृत संवर्ग में स्वीकृत हैं।

(ग)–राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर, जनपद उधमसिंह नगर हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल एवं वेतनमान		स्वीकृत पद
		लेवल	वेतनमान (रूपये में)	
1.	प्रभारी परियोजना अधिकारी	6	35,400–1,12,400	01
2.	आर्ट डिजाईनर	6	35,400–1,12,400	01
3.	डिजाइन आर्टिस्ट	6	35,400–1,12,400	01
4.	डाईंग अधीक्षक	5	29,200–92,300	01
5.	मास्टरडायर	5	29,200–92,300	01
6.	परीक्षक छपाई	5	29,200–92,300	01
7.	परीक्षक वस्त्र	5	29,200–92,300	01
8.	मास्टर वीवर	5	29,200–92,300	01
9.	सीनियर इन्ट्रेक्टर	4	25,500–81,100	01
10.	मास्टर स्क्रीन प्रिटिंग	4	25,500–81,100	01
11.	क्राफ्टमैन	3	21,700–69,100	01
12.	पर्यवेक्षक	3	21,700–69,100	02
13.	मशीनिस्ट/मिस्त्री	3	21,700–69,100	01
14.	व्यूवर	2	19,900–63,200	02
15.	व्यायलरमैन	2	19,900–63,200	01
16.	वाहन चालक	2	19,900–63,200	01
17.	तकनीकी सहायक	1	18,000–56,900	02
18.	रंगाई सहायक	1	18,000–56,900	01
19.	अर्दली/चपरासी	1	18,000–56,900	02
20.	चौकीदार/अनुसेवक	1	18,000–56,900	02
	योग :-			**25**

(घ) विभागीय अन्य योजनाओं हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल एवं वेतनमान		स्वीकृत पद
		लेवल	वेतनमान (रूपये में)	
1.	आफिसर इन्चार्ज	6	35,400–1,12,400	1
2.	फोरमैन	6	35,400–1,12,400	2
3.	सहायक प्रबन्धक, औद्योगिक आस्थान	5	29,200–92,300	4
4.	उत्पादन अधीक्षक	5	29,200–92,300	1
5.	डिजाइनर	5	29,200–92,300	1
6.	मास्टर क्राफ्ट्समैन	5	29,200–92,300	1
7.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	5	29,200–92,300	6
8.	प्रशिक्षक सिलाई	3	21,700–69,100	1
9.	पॉलिशर अनुदेशक	3	21,700–69,100	1
10.	कनिष्ठ शिक्षक सिलाई	2	19,900–63,200	2
11.	मास्टर क्राफ्ट्समैन	2	19,900–63,200	4
12.	मशीन इन्चार्ज	2	19,900–63,200	4
13.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	1	18,000–56,900	8
	योग :-			**36**

सिडकुल मे संगठनात्मक ढॉचे के अनुसार सृजित पदों विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		ग्रेड पे (छठवें वेतन आयोग के अनुसार)	पे बैण्ड (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) लेवल सं0
		मुख्यालय हेतु	क्षेत्रीय कार्यालय हेतु		
1.	प्रबन्ध निदेशक	1	0	शासन द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	
2.	निदेशक (ऑपरेशन)	1	0	**खुले बाजार से**	
3.	निदेशक (नियोजन)	1	0	**खुले बाजार से**	
4.	निदेशक (वित्त)	1	0	**खुले बाजार से**	
5.	महाप्रबन्धक (भूमि सम्बन्धित मामले)	1	0	शासन द्वारा नियुक्त प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	11
6.	महाप्रबन्धक (नियोजन)	1	0	37400–8700–67000	13
7.	महाप्रबन्धक (आप्रेशन)	1	0	37400–8700–67000	13
8.	महाप्रबन्धक (वित्त)	1	0	37400–8700–67000	13
9.	कम्पनी सचिव	1	0	37400–8700–67000	13
10.	उपमहाप्रबन्धक (कर्मशियल)	1	0	15600–7600–39100	12
11.	उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी)	1	0	15600–7600–39100	12
12.	सहा0 महाप्रबन्धक (एच0 आर0)	1	0	15600–6600–39100	11
13.	सहा0 महाप्रबन्धक (लेखा)	1	0	15600–6600–39100	11
14.	सहा0 महाप्रबन्धक (आई0टी0)	1	0	15600–6600–39100	11
15.	सहा0 महाप्रबन्धक (सिविल)	2	3	15600–6600–39100	11
16.	सहा0 महाप्रबन्धक (विद्युत)	1	0	15600–6600–39100	11
17.	वास्तुकार/प्लानर	1	0	15600–6600–39100	11
18.	प्रर्यावरण विशेषज्ञ	1	0	15600–6600–39100	11
19.	विधि अधिकारी	1	0	15600–5400–39100	10
20.	प्रबन्धक (आई0टी0)	1	0	15600–5400–39100	10
21.	प्रबन्धक (लेखा)	1	0	15600–5400–39100	10
22.	प्रबन्धक (एच0 आर0)	1	0	15600–5400–39100	10
23.	प्रबन्धक (सिविल)	0	7	15600–5400–39100	10

24.	प्रबन्धक (विद्युत)	0	3	15600–5400–39100	10
25.	प्रबन्धक (निविदा प्रबन्धन)	1	0	15600–5400–39100	10
26.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	1	15600–5400–39100	10
27.	क्षेत्रीय प्रबन्धक ग्रेड–1	0	4	15600–5400–39100	10
28.	सहा0 कम्पनी सचिव	1	0	15600–5400–39100	10
29.	सहा0 वास्तुकार	0	8	15600–5400–39100	10
30.	सहा0 प्रबन्धक (लेखा)	1	7	9300–4800–34800	8
31.	सहा0 प्रबन्धक (एच0 आर0)	1	0	9300–4800–34800	8
32.	सहा0 प्रबन्धक (आई0टी0)	1	7	9300–4800–34800	8
33.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	9300–4200–34800	6
34.	राजस्व अधिकारी	1	0	9300–4200–34800	6
35.	सहा0 विधि अधिकारी	1	0	9300–4200–34800	6
36.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	1	14	9300–4200–34800	6
37.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	1	7	9300–4200–34800	6
38.	सुरक्षा अधिकारी	1	0	9300–4200–34800	6
39.	निजी सचिव	1	0	9300–4200–34800	6
40.	लेखाकार	4	3	9300–4200–34800	6
41.	लॉजिस्टिक/स्टोर इन्चार्ज	1	0	9300–4800–34800	8
42.	सिक्रेटियल असिस्टेन्ट	1	0	5200–2800–20200	5
43.	विधि सहायक	1	0	9300–2800–34800	5
44.	आशुलिपिक	5	0	5200–2800–20200	5
45.	आटो कार्ड आपरेटर	1	0	5200–2800–20200	5
46.	सहा0 लेखाकार	2	4	5200–2400–20200	4
47.	डी0ई0ओ0	5	10	5200–2400–20200	4
48.	स्वागती	1	7	5200–2400–20200	4
49.	वाहन चालक	7	0	5200–1900–20200	2
50.	मल्टीपर्पज वर्कर	10	7	5200–1800–20200	1
कुल योग :-		**74**	**92**		

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के मुख्यालय हेतु स्वीकृत पद संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य लेवल	स्वीकृत कुल पदों की संख्या
1.	अपर निदेशक	123100–215900	13	01
2.	संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान	78800–209200	12	01
3.	संयुक्त निदेशक खनन/मुख्य खान अधिकारी	78800–209200	12	01
4.	ज्येष्ठ खान अधिकारी/उपनिदेशक खनन	67700–208700	11	03
5.	रसायनज्ञ	67700–208700	11	01
6.	सहायक भूवैज्ञानिक	56100–177500	10	02
7.	सहायक रसायनज्ञ	56100–177500	10	02
8.	सहायक भू–भौतिकविद	56100–177500	10	01
9.	सहायक भू–रसायनज्ञ	56100–177500	10	01
10.	अधिकारी सर्वेक्षक	56100–177500	10	01
11.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500	10	01
12.	प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान	35400–112400	06	02
13.	प्राविधिक सहायक फोटो जियोलोजी	35400–112400	06	01
14.	प्राविधिक सहायक (रसायन)	35400–112400	06	02
15.	प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी	35400–112400	06	01
16.	वरिष्ठ मानचित्रकार	35400–112400	06	01
17.	खान निरीक्षक	35400–112400	06	12
18.	वेधक	35400–112400	06	02
19.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100	08	02
20.	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400	07	02
21.	लाइब्रेरियन	35400–112400	06	01
22.	सर्वेक्षक	29200–92300	05	02
23.	प्रधान सहायक	35400–112400	06	04
24.	मानचित्रकार	35400–112400	06	03
25.	वेधन सहायक	21700–69100	03	04
26.	वेधन आपरेटर	19900–63200	02	06
27.	मैकेनिक	19900–63200	02	04
28.	जैक हैमर ड्रिलर	19900–63200	02	01
29.	लेखा लिपिक	25500–81100	03	01

30.	रोकड़िया	25500–81100	04	01
31.	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	03	06
32.	आशुलिपिक	29200–92300	05	03
33.	सहायक भण्डारी	21700–69100	03	01
34.	चालक	21700–69100	03	03
35.	सेक्शन कटर	18000–56900	01	01
36.	प्रयोगशाल परिचर	18000–56900	01	02
37.	चपरासी	18000–56900	01	04
38.	खनिज आंकिक	25500–81100	04	01
	योग :-			**88**

जनपदों में कार्यरत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की पद संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य लेवल	स्वीकृत कुल पदों की संख्या
1.	उप निदेशक/भूवैज्ञानिक	67700–208700	11	06
2.	सहायक भूवैज्ञानिक	56100–177500	10	10
3.	खान अधिकारी	56100–177500	10	06
4.	सर्वेक्षक	29200–92300	05	06
5.	प्रवर सहायक	29200–92300	05	06
6.	चालक	21700–69100	03	06
7.	फील्ड परिचर	18000–56900	01	06
8.	चौकीदार	18000–56900	01	06
9.	चेनमैन	18000–56900	01	06
10.	खनिज मोहर्रिर	21700–69100	03	24
11.	अनुसेवक	18000–56900	01	12
	योग :–			**94**

राजकीय मुद्रणालय, रुड़की की स्वीकृत पद संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल एवं वेतनमान		स्वीकृत पद
		लेवल	वेतनमान (रूपये में)	
1.	अपर निदेशक	13	118500–214100	01
2.	संयुक्त निदेशक	12	78800–209200	01
3.	उप निदेशक	11	67700–208700	01
4.	लेखाधिकारी	10	56100–177500	01
5.	कार्मिक अधिकारी	10	56100–177500	01
6.	सहायक लेखाधिकारी	8	47600–151100	01
7.	सहायक निदेशक (मुद्रण)	6	35400–112400	02
8.	सुरक्षा अधिकारी	10	56100–177500	01
9.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	10	56100–177500	04
10.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8	47600–151100	05
11.	मुद्रण ओवरसियर	6	35400–112400	01
12.	प्रशासनिक अधिकारी	7	44900–142400	05
13.	फोरमैन आफसैट	6	35400–112400	03
14.	फोरमैन कम्पोजिंग	6	35400–112400	01
15.	फोरमैन बाईन्ड्री	6	35400–112400	01
16.	फोरमैन वर्कशाप	6	35400–112400	01
17.	प्रधान रीड़र	6	35400–112400	01
18.	वैयक्तिक सहायक	5	29200–92300	02
19.	प्रधान सहायक	6	35400–112400	11
20.	सहायक फोरमैन आफसैट	5	29200–92300	02
21.	सहायक फोरमैन बाईन्ड्री	5	29200–92300	03
22.	सहायक फोरमैन वर्कशाप	5	29200–92300	01
23.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड़–1	5	29200–92300	02
24.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड़–2	5	29200–92300	19
25.	अवर अभियन्ता इलैक्ट्रानिक्स	5	29200–92300	01
26.	कैमरा मैन	5	29200–92300	03
27.	डी.टी.पी. आपरेटर	5	29200–92300	10
28.	वरिष्ट सहायक	5	29200–92300	17
29.	आफसैट प्लेट मैकर	4	25500–81100	06
30.	मशीन सहायक आफसैट	4	25500–81100	32

31.	ड्राफ्समैन अर्ह	4	25500–81100	02
32.	डार्करूम सहायक/प्रोसेसर आपरेटर	4	25500–81100	05
33.	रीड़र	4	25500–81100	06
34.	रिवाईजर	4	25500–81100	04
35.	मैकेनिक मुद्रण एवं जिल्दसाजी	4	25500–81100	06
36.	इलैक्ट्रीशियन	4	25500–81100	03
37.	जिल्दसाज	4	25500–81100	36
38.	वाउचर सहायक आफसैट	4	25500–81100	01
39.	वाउचर सहायक बाईन्ड्री	4	25500–81100	01
40.	कनिष्ठ सहायक	3	21700–69100	20
41.	लारी ड्राईवर (भारी)	2	19900–63200	01
42.	सहायक प्लेट मैकर	2	19900–63200	08
43.	आफसैट मशीन परिचर	2	19900–63200	03
44.	कापी होल्ड़र	2	19900–63200	06
45.	सहायक इलैक्ट्रीशन/आर्मे0 बाईन्ड़र	2	19900–63200	03
46.	सहायक जिल्दसाज	2	19900–63200	32
47.	मशीन सहायक लैटर प्रेस*	2	19900–63200	01
48.	डिस्ट्रीब्यूटर*	2	19900–63200	01
49.	कारपेन्टर	2	19900–63200	01
50.	सहायक मैकेनिक वर्कशाप	2	19900–63200	01
51.	काउन्टर/श्रमिक	1	18000–56900	28
52.	पैकर	1	18000–56900	08
53.	गेट जमादार	1	18000–56900	01
54.	फाउण्ड्री सहायक	1	18000–56900	04
55.	ट्यूबवैल आपरेटर	1	18000–56900	03
56.	चपरासी/अर्दली	1	18000–56900	06
57.	कुली/श्रमिक	1	18000–56900	17
58.	स्वच्छकार	1	18000–56900	04
59.	गेटमैन	1	18000–56900	05
60.	लारी क्लीनर	1	18000–56900	01
योग :-				**358**

टिप्पणी :- उपर्युक्त स्वीकृत पदों में तारांकित* पद मृत घोषित हैं, जो कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति उपरान्त समाप्त हो जायेंगे।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्वीकृत पदों का विवरण

बोर्ड मुख्यालय हेतु स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	आई0ए0एस0	–	01
2.	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	पी0सी0एस0	–	01
3.	वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी	वित्त एवं लेखा सेवा	–	01
4.	संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	78800–209200	12	01
5.	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	67700–208700	11	02
6.	सह निदेशक उद्योग	56100–177500	10	01
7.	लेखाधिकारी	56100–177500	10	01
8.	वैयक्तिक सहायक	35400–112400	06	01
9.	जेष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	44900–142400	07	01
10.	प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय	44900–142400	07	01
11.	आशुलिपिक ग्रेड–1	35400–112400	06	01
12.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	05	03
13.	आशुलिपिक ग्रेड–2	25500–81100	04	01
14.	साख्यकी	25500–81100	04	01
15.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	21700–69100	03	04
16.	वाहन चालक	21700–69100	03	05
17.	अनुसेवक	18000–56900	01	04
	योग :-			**30**

प्रशिक्षण केन्द्र पौडी/कालाढूँगी

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	प्रशिक्षक	35400–12400	06	04
2.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	05	02
3.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	21700–69100	03	02
4.	अनुसेवक	18000–569000	01	02
5.	सफाई नायक	18000–569000	01	02
	योग :-			**12**

परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय पौडी/कालाढूँगी

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी	पदेन	—	—
2.	आशुलिपिक–1	35400–112400	06	02
3.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	05	02
4.	जेष्ठ लेखा परीक्षक	35400–112400	06	02
5.	लेखा परीक्षक	29200–92300	05	02
6.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	21700–69100	03	02
7.	वाहन चालक	21700–69100	03	02
8.	अनुसेवक	18000–56900	01	02
	योग :-			**14**

जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	56100–177500	10	13
2.	विकास अधिकारी	35400–112400	06	13
3.	सहायक विकास अधिकारी	29200–92300	05	13
4.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	05	13
5.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	21700–69100	03	13
6.	अनुसेवक	18000–56900	01	13
	योग :-			**78**

लोक वस्त्र इकाई जसपुर में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	तकनीशियन	44900–142400	07	01
2.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	05	01
3.	मैकेनिक/इलेक्टीशियन	21700–69100	03	01
4.	कनिष्ठ सहायक/स्टोर कीपर	21700–69100	03	01
5.	अनुसेवक	18000–56900	01	02
	योग :-			**06**

क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा, श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	डिजायनर/आफिसर इंचार्ज	35400–112400	08	01
2.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	44900–142400	07	03
3.	प्रधान सहायक	35400–112400	06	03
4.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	05	03
5.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	21700–69100	03	03
6.	वाहन चालक	21700–69100	03	03
7.	अनुसेवक	18000–56900	01	03
	योग :-			**19**

फिनिशिंग प्लांट में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1	फौरमैन	29200–92300	05	02
2	इलैक्टीशियन	21700–69100	03	02
3	ब्यालर मैन	18000–56900	01	02
	योग :-			**06**

कार्डिग प्लांट में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	फिटर कम इलैक्टीशियन	18000–56900	01	03
	योग :-			**03**

बिक्री भण्डार में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1	बिक्री कर्ता	19900–63200	02	10
2	बिक्री सहायक	18000–56900	01	10
	योग :-			**20**

उत्पादन केन्द्रों में स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पदो की संख्या
1.	अधीक्षक उत्पादन	35400–112400	06	08
2.	सहायक अधीक्षक उत्पादन	29200–92300	05	07
3.	बुनाई शिक्षक	21700–69100	03	10
4.	रंगाई शिक्षक	19900–63200	02	03
5.	कताई पर्यवेक्षक	18000–56900	01	07
6.	कताई शिक्षक	18000–56900	01	13
7.	अनुसेवक	18000–56900	01	12
	योग :-			**60**

अध्याय-2

राज्य के औद्योगिक विकास का वर्तमान परिदृश्य

नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक होकर नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य का यह भू–भाग वास्तविक रूप से ''शून्य उद्योग'' क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए घोषित **विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज** जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999–2000 में द्वितीयक सैक्टर का अंश मात्र 19.2 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019–20 में 49 प्रतिशत से अधिक हो गया है (जिसमें मुख्य रूप से उद्योग सैक्टर सम्मिलित है)। इससे स्पष्ट है कि पृथक राज्य बनने के पश्चात् प्रदेश में औद्योगिक विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इस सैक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 36 प्रतिशत है।

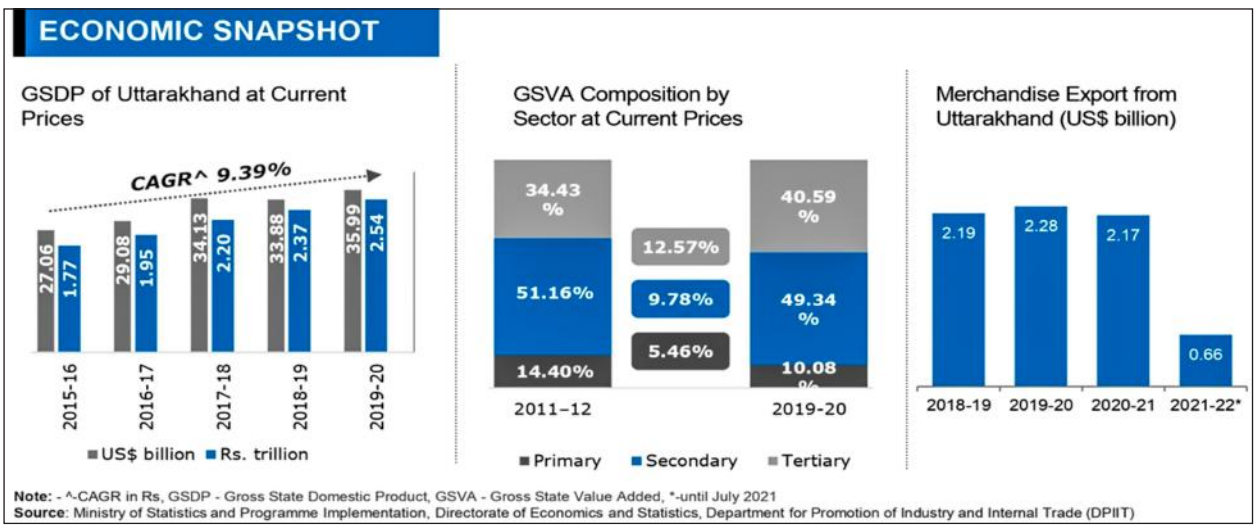

Note: - ^-CAGR in Rs, GSDP - Gross State Domestic Product, GSVA - Gross State Value Added, *-until July 2021
Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation, Directorate of Economics and Statistics, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है और इस समय ऑटो, फार्मा एवं एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड के उत्पाद राज्य में बन रहे हैं। अधिकतर औद्योगिक समूहों का मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का औद्योगिक वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिये इन उद्योग समूहों द्वारा लगातार अपने निवेश में वृद्धि की जा रही है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये 1 अप्रैल, 2017 से औद्योगिक विकास योजना–2017 लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक प्रवृत्त रहेगी। इस योजना में नये तथा विस्तारीकरण के उत्पादक सेवा उद्यमों को प्लाण्ट व मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 करोड़ का उपादान तथा भवन व मशीनरी के बीमा के प्रीमियम में 5 वर्ष तक शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों एवं अवस्थापना कार्यकलापों को गतिशील बनाये जाने हेतु प्रयासरत है। उद्यमियों के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

निवेशक सम्मेलन–डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड

राज्य का पहला ''निवेशक सम्मेलन–डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड'' दिनांक 7–8 अक्टूबर, 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून में आयोजित किया गया। इस निवेशक सम्मेलन का उदघाटन दिनांक 7 अक्टूबर, 2018 को मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन में 4000 से अधिक उद्योग जगत से जुड़े हुये प्रतिनिधियों, निवेशकों, देश व विदेश के प्रतिनिधियों, डेलीगेट्स, उद्यमियों और अकादमिक आगन्तुकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सम्मेलन के दौरान विनिर्माण, पर्यटन व आतिथ्य, बुनियादी ढॉचा, फिल्म सूटिंग और मनोरंजन, आईटी/बायोटैक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा और कौशल, स्टार्टअप और एमएसएमई पर क्षेत्रीय समांतर विशेष सत्र आयोजित किये गये। सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 1.24 लाख करोड़ पूंजी निवेश के 601 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। राज्य सरकार द्वारा 10 से अधिक क्षेत्रों के लिये मौजूदा नीतियों में संशोधन करते हुये नये क्षेत्रों के लिये भी निम्न नीतियॉ प्रख्यापित की गई हैं :–

1	मैगा औद्योगिक और निवेश नीति–2021	2	स्टार्टअप नीति–2018
3	एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021)	4	फिल्म नीति–2015
5	सूचना, संचार प्रौद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति–2018	6	पर्यटन नीति–2018
7	मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन–2015	8	आयुष नीति–2018
9	मैगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी–2014 (यथासंशोधित 2016, 2020 व 2021)	10	सौर ऊर्जा नीति–2018
11	इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति–2018	12	एरोमा पार्क नीति–2018
13	बृहद औद्योगिक पूंजी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018	14	जैव प्रौद्योगिकी नीति–2018
15	चीड़ की पत्तियों व अन्य बायोमास से ऊर्जा उत्पादन के लिये नीति–2018		

हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

दिनांक 7–8 अक्टूबर, 2018 में आयोजित ''निवेशक सम्मेलन'' के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoU) का विवरण निम्न प्रकार है :–

सैक्टर	समझौता ज्ञापनों की संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	प्रस्तावित रोजगार
ऊर्जा	19	31,543	27419
खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्यान, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन	91	7,654	81864
हेल्थकेयर	71	18,064	60373
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	19	5,025	27155
अवसंरचना	18	26,909	29360
विनिर्माण	233	11,626	51764
स्किल एवं शिक्षा	9	6,091	34750
पर्यटन एवं आतिथ्य, फिल्म शूटिंग	119	14,183	29426
वैलनेस एवं आयुष	22	3,270	11678
महायोग	**601**	**1,24,366**	**353924**

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में तथा अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से माह मार्च, 2022 तक निम्नांकित बृहत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा परियोजनाओं की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है :–

परियोजना का प्रकार	जारी परियोजनायें	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	प्रस्तावित रोजगार
निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की बृहत परियोजनायें	141	15552.88	49574
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	297	1239.99	12140
अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निविदा द्वारा ग्राउण्डेड परियोजनायें	3	1101	375
एकल खिड़की के माध्यम से स्वीकृत बृहत परियोजनायें	135	10417.21	20364
महायोग	**576**	**28311.08**	**82453**

मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा गत वर्ष आयोजित ''**उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट**'' के अपने उद्बोधन में उत्तराखण्ड को उसके प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति एवं परम्पराओं तथा इस क्षेत्र में उत्तराखण्ड की प्रबल सम्भावनाओं के दृष्टिगत ''**स्प्रीचुअल इकोनोमिक जोन**'' के रूप में विकसित करने का आह्वाहन किया गया था। विगत वर्षों के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के साथ संवाद तथा निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में राज्य के अनुभवों के आधार पर 6 फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा पर्यटन एवं हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस एवं आयुष, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा(सौर ऊर्जा) एवं भविष्योन्मुख क्षेत्र जैसे : आईटी, फिनटेक, शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। ये सैक्टर राज्य की क्षमताओं, पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चिन्हित किये गये हैं।

निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत प्रख्यापित विभिन्न नीतियों में वित्तीय प्रोत्साहन

एम.एस.एम.ई. नीति, 2015 (यथासंशोधित 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021)

प्रोत्साहन	श्रेणी–ए	श्रेणी–बी व बी+	श्रेणी–सी	श्रेणी–डी
निवेश प्रोत्साहन सहायता	40%, अधिकतम रू. 40 लाख	35%, अधिकतम रू. 35 लाख	30%, अधिकतम रू. 30 लाख	15%, अधिकतम रू. 15 लाख
ब्याज उपादान	10%, अधिकतम रू. 8 लाख प्रतिवर्ष	8%, अधिकतम रू. 6 लाख प्रतिवर्ष	6%, अधिकतम रू. 4 लाख प्रतिवर्ष	5%, अधिकतम रू. 3 लाख प्रतिवर्ष

एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति : उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष के लिए स्वनिर्मित उत्पाद के बी2सी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात श्रेणी–ए, श्रेणी–बी व श्रेणी–बी+ हेतु कुल शुद्ध देय एसजीएसटी की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्टाम्प शुल्क प्रभार में छूट	100%,	100%,	100%,	50%,

विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति : 100 केवीए तक के संयोजित विद्युत भार के लिए प्रथम 5 वर्ष हेतु श्रेणी–ए के लिए शत् प्रतिशत, तत्पश्चात 75 प्रतिशत एवं श्रेणी–बी व बी+ के लिए शत् प्रतिशत, तत्पश्चात 60 प्रतिशत। 100 केवीए से ऊपर के संयोजित विद्युत भार के लिए श्रेणी–ए हेतु 60 प्रतिशत तथा श्रेणी–बी व बी+ हेतु 50 प्रतिशत।

विशेष राज्य परिवहन उपादान

- श्रेणी–ए हेतु वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत या परिवहन पर किया गया वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
- श्रेणी–बी में वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत या वास्तविक परिवहन भाड़े पर किया गया व्यय, जो भी कम हो।

श्रेणी–बी+ में वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख प्रतिवर्ष अथवा परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।

मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021

- **ब्याज उपादान :** उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त 05 वर्ष तक लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये 07 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख, मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये 07 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35 लाख तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये 07 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 लाख प्रतिवर्ष, सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये 07 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75 लाख प्रतिवर्ष।
- **एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति :** उत्पादन तिथि से 05 वर्ष तक इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के उपरान्त बी.टू.सी. विक्रय पर कुल एस.जी.एस.टी. देयता का, लार्ज प्रोजेक्ट हेतु 30 प्रतिशत प्रतिपूर्ति एवं मेगा/अल्ट्रा मेगा/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- **विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता :** पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 50 लाख प्रतिवर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 75 लाख प्रतिवर्ष, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।
- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति :** उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी की पात्र उद्यमों को शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- **सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में छूट :** सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजना हेतु भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु सिडकुल की प्रचलित दरों पर क्रमशः 15, 25, 30 व 30 प्रतिशत की भूमि दरों पर छूट दी जायेगी।
- **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति :** भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टाम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।
- **भूमि क्रय विलेख पत्र/लीज डीड :** के निष्पादन हेतु देय/भुगतान किये गये पंजीकरण शुल्क पर रू. 1000 पर रू. 999 की दर से प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।
- **ईटीपी पर उपादान :** उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिए 30 प्रतिशतए अधिकतम रू. 50 लाख का पूंजीगत उपादान।
- **बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance :** Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के

	लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे–रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रू. 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।
इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक नीति, 2018	• **ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिए गये सावधि ऋण (ज्मतउ सवंद) पर देय ब्याज में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स को एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2018), रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ के बृहद उद्यमों को बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 तथा लार्ज, मेगा व अल्ट्रा मेगा उद्यमों को मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 (यथासंशोधित, 2018) के प्राविधानों के अनुरूप। • **एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति** – बी2सी को विक्रय किये गये तैयार माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए, रू. 10 करोड़ से 50 करोड़ के बृहद उद्यमों एवं एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमों को 30 प्रतिशत और लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा उद्यमों को मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 (यथासंशोधित, 2018) के प्राविधानों के अनुरूप (30 प्रतिशत/ 50 प्रतिशत)। • **विद्युत बिल में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता** – वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए विद्युत बिलों में देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति। • **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट** – एमएसएमई नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2018), मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2018) तथा बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 के प्राविधानों के अनुरूप। • **सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में छूट** – लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा उद्यमों को मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 तथा रू. 10 करोड़ से 50 करोड़ के बृहद उद्यमों को बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 के प्राविधानों के अनुरूप। • **ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति** – ईवी क्षेत्र में ऐसी सभी नई इकाईयां, जिन्होने 100 या उससे अधिक कुशल/अकुशल कर्मकरों को सीधे सेवायोजित किया है, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 10 वर्ष के लिए, ईपीएफ अभिदान के 50 प्रतिशत मात्रा की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा रू. 2 करोड़। • **ई.वी. गतिशीलता प्रोत्साहन** ➢ पांच वर्ष हेतु मोटरयान कर से शत् प्रतिशत छूट। ➢ पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष के लिए वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्टेज कैरिज परमिट शुल्क पर शत् प्रतिशत छूट। ➢ इस नीति के अन्तर्गत एमएसएमई तथा रू. 10 करोड़ से 50 करोड़ की श्रेणी के ई0वी0 बैटरी चार्जिंग/Related Infrastructure उद्यमों को विभागीय नीतियों में fundable projects बनाया जायेगा। • **कौशल विकास प्रोत्साहन** – ई.वी./एच.ई.वी. कम्पोनेण्ट विनिर्माणक तथा बैटरी मरम्मत/रखरखाव आदि की कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाईयों को, 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए 6 माह तक प्रतिमाह रू. 1000 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रशिक्षण प्रतिपूर्ति सहायता। ऐसी इकाईयों को उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत पीआईए के रूप में सूचीबद्ध और उत्तराखण्ड स्किल डवलपमेंट से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी-2014 (यथासंशोधित 2016, 2020 व 2021)	• **राज्य पूंजी उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** - 15 प्रतिशत ➢ एमएसएमई सैक्टर में 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50 लाख ➢ वृहत उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 30 लाख • **ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** - उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी • **वैट प्रतिपूर्ति** उत्पादन तिथि से आगामी 07 वर्षों तक कच्चेमाल, पैकिंग मेटेरियल क्रय तथा तैयार माल विक्रय पर शत प्रतिशत वैट की छूट। • **विद्युत बिल में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** ➢ उत्पादन तिथि से आगामी 07 वर्षों तक अघोषित विद्युत कटौती एवं 01 रु. प्रति यूनिट की दर से विद्युत बिल में छूट। ➢ उत्पादन तिथि से 07 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में शत–प्रतिशत छूट। • **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** भूमि क्रय विलेख/लीजडीड सम्पादन पर शत प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट। • **मण्डी टैक्स छूट** - टैक्सटाइल्स उद्यम पर मण्डी टैक्स में 75 प्रतिशत छूट। • **यह नीति 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विनिधानित पूंजी निवेश की सीमा से ऊपर रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश के बृहद उद्योगों (श्रेणी-1) के लिए प्रोत्साहन नीति, 2018	• **ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** - 5 प्रतिशत अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष/इकाई • **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट** - भूमि के क्रय/लीज के विलेख पत्र के निष्पादन में 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभार मे छूट। • **सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में छूट - सिडकुल द्वारा भूमि आवंटन** : इस नीति के तहत सिडकुल औद्योगीक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का 50% प्रीमियम, भूमि के आवंटन पर ही देय होगा और शेष राशि अगले 2 वर्षों मे दो समान किश्तों में ब्याज के साथ देय होगी। यदि भूमि आवंटन पर पूरा 100% भुगतान किया जाता है, तो भूमि के प्रीमियम की गणना में 5% की छूट दी जायेगी। • **ई.टी.पी. उपादान** - ई.टी.पी की स्थापना के लिये 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 20 लाख तक का पूंजीगत उपादान।
उत्तराखण्ड एरोमा नीति, 2018	• **श्रेणी-बी, बी+, सी व डी में वर्गीकृत क्षेत्रों में निर्दिष्ट (designated) सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित एरोमा पार्क में स्थापत होने वाले सगन्ध पौध प्रजातियों तथा जड़ी-बूटी आधारित इकाईयों के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान, एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति तथा स्टाम्प शुल्क में छूट की मात्रा/सीमा एमएसएमई नीति में वर्गीकृत श्रेणी-ए के अनुरूप होगी तथा ऐसे पार्क में एक ही प्रकार के नये उद्योगों की स्थापना पर वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।** • **निर्दिष्ट पार्क में स्थापित होने वाले चिन्हित नये उद्योगों को निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ स्पष्टीकरण शीर्ष के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा :-** ➢ **निवेश प्रोत्साहन सहायता**- उद्यम के प्लाण्ट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कये गये अचल पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख) ➢ **ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** - उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का 10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 8 लाख प्रतिवर्ष) ➢ **एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति** - उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बीटूसी) को विक्रय किया गया हो, का शत प्रतिशत। ➢ **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट - उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज-डीड के निबन्धन (Registry) में देय स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण छूट।** ➢ **विद्युत बिल में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)**- उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए सिंचाई टयूबवेल (वर्तमान में रू. 1.55 प्रति यूनिट) विद्युत शुल्क के अनुसार, निर्बाध विद्युत प्रदान की जाएगी। ➢ **मण्डी टैक्स छूट** - उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए कच्चे माल पर मण्डी शुल्क में शत् प्रतिशत छूट।

उत्तराखण्ड आयुष नीति, 2018	• **निवेश प्रोत्साहन सहायता :** ➢ **श्रेणी–ए :** 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख)। ➢ **श्रेणी–बी व बी+ :** 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 35 लाख)। ➢ **श्रेणी–सी :** 30 प्रतिशत (अधिकतम रू0 30 लाख) तथा ➢ **श्रेणी–डी :** 15 प्रतिशत (अधिकतम रू0 15 लाख)। • **ब्याज उपादान :** ➢ **श्रेणी–ए :** 10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवष/इकाई) ➢ **श्रेणी–बी व बी+ :** 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) ➢ **श्रेणी–सी :** 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) ➢ **श्रेणी–डी :** शून्य • **एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति :** केवल श्रेणी–ए, बी व बी+ में 50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति आरम्भिक 3 वर्षों के संचालन हेतु। • **विद्युत बिल में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता :**श्रेणी–ए, बी, बी+, सी व डी में औद्योगिक शुल्क के अनुसार। • **स्टाम्प ड्यूटी में छूट :** ➢ **श्रेणी–ए :** शत प्रतिशत ➢ **श्रेणी–बी व बी+ :** शत प्रतिशत ➢ **श्रेणी–सी :** शत प्रतिशत ➢ **श्रेणी–डी :** 50 प्रतिशत
सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018 (एम.एस.एम.ई., बृहद औद्योगिक तथा निवेश नीति तथा मेगा इण्डस्ट्रियल नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी नीति में उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन)	• **पट्टे/किराये की जगह पर छूट/वित्ती प्रोत्साहन** – श्रेणी ए व बी में MSME IT/ITeS इकाईयों के लिए स्पेस के लिए लीज/रेंटल चार्ज का 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति। IT Parks या किसी भी अधिसूचित स्थान में लीज/रेंटल स्पेस में संचालित होने वाली ITeS इकाईयों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख प्रतिवर्ष और इन्क्यूबेटर्स को 5 वर्ष की अवधि के लिए। श्रेणी सी व डी में MSME IT/ITeS इकाईयों के लिए स्पेस के लिए लीज/रेंटल चार्ज का 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति। IT Parks या किसी भी अधिसूचित स्थान में लीज/रेंटल स्पेस में संचालित होने वाली ITeS इकाईयों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष और इन्क्यूबेटर्स को 5 वर्ष की अवधि के लिए। • **ग्रामीण बीपीओ के लिए सब्सिडी** – श्रेणी ए व बी में बीपीओ जो आईबीपीएस (इण्डिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, को प्रति बीपीओ रू. 1 लाख तक अतिरिक्त एक बार प्रोत्साहन। श्रेणी सी व डी में बीपीओ जो आईबीपीएस (इण्डिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम) के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, को प्रति बीपीओ रू. 25 हजार तक अतिरिक्त एक बार प्रोत्साहन। • **महिला कर्मचारियों के साथ बीपीओ के लिए सब्सिडी** – श्रेणी ए व बी में ऐसे बीपीओ जो IBPS के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे, के अतिरिक्त ऐसे उद्यमों को, जिन्होने कुल नियोजन में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को नियोजित किया है, लीज रेंटल में 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। श्रेणी सी व डी में ऐसे बीपीओ जो IBPS के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे, के अतिरिक्त ऐसे उद्यमों को, जिन्होने कुल नियोजन में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को नियोजित किया है, लीज रेंटल में 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 30 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। • **पेटेंट फाइलिंग लागत प्रतिपूर्ति** – सम्मानित पेटेंट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का शत् प्रतिशत, घरेलू पेटेंट के लिए रू. 2 लाख की अधिकतम और एक बार प्रोत्साहन के रूप में अंतराष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू. 5 लाख के अधीन है (केवल उत्तराखण्ड में अपने मुख्यालय रखने वाली कम्पनियों के लिए)।

जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2018 (एम.एस.एम.ई., बृहद औद्योगिक तथा निवेश नीति तथा मेगा इण्डस्ट्रियल नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी नीति में उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन)	• **अन्य नीतियों में प्रदत्त अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन** – ➢ उद्योग प्रायोजित अनुसंधान के सह वित्तपोषण ➢ सहयोगी अनुसंधान अनुदान **भव्य चुनौतियों का परिचय :** ➢ प्रथम चरण में पांच नवोन्मेषी को 6 माह के लिए रू. 5 लाख तक अवधारणा निधि। ➢ द्वितीय चरण में 6 माह के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को 12 माह के लिए स्केल–अप हेतु रू. 25 लाख तक की अतिरिक्त वित्त पोषण। ➢ **मेंटरशिप सपोर्ट :** रू. 5 लाख प्रति यूनिट मेंटरशिप सपोर्ट। ➢ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत पर बायोटैक कॉर्प्स के माध्यम से रू.1 लाख तक की प्रतिपूर्ति सहायता। ➢ **मानकीकरण प्रमाणपत्र :** आईएसओ/बीआईएस/जीएलपी/जीबीपी/एनएबीएल प्रमाणीकरण पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख की बायोटैक कॉर्प्स के माध्यम से प्रतिपूर्ति सहायता। ➢ **विपणन प्रोत्साहन :** विपणन कार्यक्रमों के लिए वास्तविक लागत का बायोटैक कॉर्प्स के माध्यम से 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता। ➢ **Part Funding & Legal Backing to support preclinical trials of Biopharma & Bioservice –** matching contribution of up to Rs 25 lakhs ➢ **Incentive through EPF Contribution-** महिला कर्मकरों को 100 प्रतिशत, पुरूष कर्मकरों को 75 प्रतिशत ➢ **Incentives for Biotech Park / Incubators**
उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2018 (एम0एस0एम0ई0, बृहद औद्योगिक तथा निवेश नीति तथा मेगा इण्डस्ट्रियल नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त पर्यटन नीति में उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन)	• **निवेश प्रोत्साहन सहायता** – सम्पूर्ण प्रदेश में लार्ज (रू. 10 करोड़ से 75 करोड़), मेगा (रू. 75 करोड़ से 200 करोड़) तथा अल्ट्रा मेगा (रू. 200 करोड़ से अधिक) की परियोजनाओं पर पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.50 करोड़ तथा मैदानी जनपदों में 10 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 करोड • **ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** – सम्पूर्ण प्रदेश में लार्ज (रू.10 करोड़ से 75 करोड़) तक की परियोजनाओं पर 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रतिवर्ष • **एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति** – सम्पूर्ण प्रदेश में लार्ज (रू.10 करोड़ से 75 करोड़) तक की परियोजनाओं को **इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात बी2सी पर चार्ज किये गये एसजीएसटी की 30 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता** • **विद्युत बिल में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)**– सम्पूर्ण प्रदेश में लार्ज (रू.10 करोड़ से 75 करोड़) तक की परियोजनाओं को विद्युत बिलों में रू.1 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति सहायता तथा इलेक्ट्रिक ड्यूटी में 5 वर्ष के लिए शत् प्रतिशत छूट। • **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट की मात्रा/सीमा** **श्रेणी-ए** – शत प्रतिशत **श्रेणी-बी श्रेणी-बी+** – शत प्रतिशत **श्रेणी-सी** – शत प्रतिशत **श्रेणी-डी** – 50 प्रतिशत • **भूमि पंजीकरण शुल्क में रियायत** – रू. 10 करोड़ से 75 करोड़ तक की परियोजनाओं पर प्रति रू. 1000 पर मात्र रू. 1 शुल्क का प्राविधान। • **ई.टी.पी. उपादान** – रू. 10 करोड़ से 75 करोड़ तक की परियोजनाओं को ई0टी0पी0 की स्थापना पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता।
मेगा फूड पार्क परियोजना प्रोत्साहन (एम0एस0एम0ई0, बृहद औद्योगिक तथा निवेश नीति तथा मेगा इण्डस्ट्रियल नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त मेगा फूड पार्क परियोजना में उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन)	• **ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** – बैंक ऋण पर 06 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रू. 04 लाख) प्रति वर्ष ब्याज अनुदान दिया जायेगा, जो 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगा। • **विद्युत बिल में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता (प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा)** – राज्य में 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग' द्वारा कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नलकूप आदि के लिए निर्धारित, विद्युत टैरिफ (वर्तमान में रू. 1.55 प्रति यूनिट की दर) के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु भी विद्युत टैरिफ, उत्पादन आरम्भ होने से 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगा तथा विद्युत आपूर्ति निर्बाधित रहेगी। • **स्टॉम्प ड्यूटी में छूट की मात्रा/सीमा** – मेगा फूड पार्क तथा इसके तहत स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रथम बार भूमि क्रय तथा लीज डीड पर शत् प्रतिशत स्टॉम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य की जायेगी। • **मण्डी टैक्स छूट** – उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से कच्चे माल पर 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क में शत् प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी।

अवस्थापना विकास

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व राज्य में उद्योग विभाग/यूपीएसआईडीसी द्वारा 2116.62 एकड़ भूमि में 46 वृहत/मिनी औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्रसं.	औद्योगिक आस्थान	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान	30	148.56
2	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1968.06
	योग :	**46**	**2116.62**

राज्य सरकार द्वारा लागू नई एमएसएमई नीति–2015 में सूक्ष्म व लघु विनिर्माणक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि की उचित दरों पर व्यवस्था हेतु भूमि बैंक तथा नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का प्राविधान किया गया है।

बृहद/मिनी औद्योगिक आस्थानों का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	**बृहद औद्योगिक आस्थान :**	9	100.697
2	**मिनी औधोगिक आस्थान :**		
	विकसित	14	31.728
	अर्द्धविकसित	3	6.374
	अनुपयुक्त	4	9.76
	कुल योग :-	**30**	**148.559**

बृहद औद्योगिक आस्थानों का विवरण

क्र0 सं0	बृहत औधोगिक आस्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	देहरादून	
1.	औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर	10.00
2.	औद्योगिक आस्थान, विकासनगर	4.00
	पौड़ी	
3.	औद्योगिक आस्थान, सिताबपुर	7.00
	हरिद्वार	
4.	औद्योगिक आस्थान, रूड़की	30.227
	नैनीताल	
5.	औद्योगिक आस्थान, भीमताल	7.00
	ऊधमसिंनगर	
6.	औद्योगिक आस्थान, काशीपुर	19.99
7.	औद्योगिक आस्थान, रूद्रपुर	11.26
	अल्मोडा	
8.	औद्योगिक आस्थान, पातालदेवी	4.27
	पिथौरागढ़	
9.	औद्योगिक आस्थान, विण	7.00
	योग :-	**100.697**

विकसिमिनी औद्योगिक आस्थान

क्र0 सं0	मिनी औधोगिक आस्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	देहरादून	
1.	मिनी औद्योगिक आस्थान, रानीपोखरी	2.55
2.	मिनी औद्योगिक आस्थान, लॉघा रोड, छरबा	2.55
	चमोली	
3.	मिनी औद्योगिक आस्थान, कालेश्वर (जयकण्डी)	2.50
	नैनीताल	
4.	मिनी औद्योगिक आस्थान, बेतालघाट	2.50
	ऊधमसिंनगर	
5.	मिनी औद्योगिक आस्थान, किच्छा	2.45
	चम्पावत	
6.	मिनी औद्योगिक आस्थान, चम्पावत (पुनेठी)	2.50
	अल्मोडा	
7.	मिनी औद्योगिक आस्थान, द्वाराहाट	2.798
	बागेश्वर	
8.	मिनी औद्योगिक आस्थान, गरूड़	2.50
	रूद्रप्रयाग	
9.	मिनी औद्योगिक आस्थान, भटवाणीसैंण	2.50
	उत्तरकाशी	
10.	मिनी औद्योगिक आस्थान, डुण्डा	1.11
	हरिद्वार	
11.	मिनी औद्योगिक आस्थान, लकसर (पिपली)	2.50
	टिहरी	
12.	मिनी औद्योगिक आस्थान, सरोठ (छाम)	2.57
	उत्तरकाशी	
13.	मिनी औद्योगिक आस्थान, गवाणा	1.10
14.	मिनी औद्योगिक आस्थान, पुरोला	1.60
	योग :-	**31.728**

अर्द्धविकसित मिनी औद्योगिक आस्थान

क्र0 सं0	मिनी औधोगिक आस्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	अल्मोडा	
1.	मिनी औद्योगिक आस्थान, चिलियानौला (ताड़ीखेत)	2.118
2.	मिनी औद्योगिक आस्थान, भिकिसासैंण	2.35
	पिथौरागढ़	
3.	मिनी औद्योगिक आस्थान, मुनस्यारी (घोरपट्टा)	1.906
	योग :-	**6.374**

अविकसित मिनी औद्योगिक आस्थान

क्र0 सं0	मिनी औधोगिक आस्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	देहरादून	
1.	मिनी औद्योगिक आस्थान, रगवाड़	3.22
	पौड़ी	
2.	मिनी औद्योगिक आस्थान, बुवाखाल	2.15
	टिहरी	
3.	मिनी औद्योगिक आस्थान, लक्षमोली (देवप्रयाग)	1.71
	उत्तरकाशी	
4.	मिनी औद्योगिक आस्थान, मोरी (खरसाड़ी)	2.68
	योग :-	**9.76**

उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र

क्र0 सं0	औधोगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	देहरादून	
1.	औद्योगिक आस्थान, सेलाकुई	257.00
	टिहरी	
2.	औद्योगिक आस्थान, ढालवाला	31.57
	पौड़ी	
3.	औद्योगिक आस्थान, जशोदरपुर	81.96
4.	औद्योगिक आस्थान, बलभद्रपुर	26.00
	चमोली	
5.	औद्योगिक आस्थान, शिमली, (टटासू मज्याड़ी)	28.75
	हरिद्वार	
6.	औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार	106.13
7.	औद्योगिक आस्थान, बहादराबाद	132.55
8.	औद्योगिक आस्थान, लण्डोरा	102.99
	नैनीताल	
9.	औद्योगिक आस्थान, भीमताल	107.85
10.	औद्योगिक आस्थान, पीपलसाना	30.18
	ऊधमसिंनगर	
11.	औद्योगिक आस्थान, बाजपुर–1	43.76
12.	औद्योगिक आस्थान, बाजपुर–2	46.75
13.	औद्योगिक आस्थान, काशीपुर	97.78
14.	औद्योगिक आस्थान, हेमपुर	803
15.	औद्योगिक आस्थान, खटीमा	25.79
	अल्मोडा	
16.	औद्योगिक आस्थान, मोहान	46.00
	योग :-	**1968.06**

उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबन्धन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वर्ष 2002 में सिडकुल का गठन किया गया। सिडकुल द्वारा अब तक 7939 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है :–

क्र.सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र	भूमि (एकड़ में)
1	देहरादून	• फार्मासिटी, सेलाकुई	50
		• आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड	67
2	हरिद्वार	• एकीकृत औद्योगिक आस्थान, बी.एच.ई.एल., हरिद्वार	1695
3	ऊधमसिंह नगर	• एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पंतनगर	3234
		• एल्डिको सिडकुल औद्योगिक आस्थान, सितारगंज	1093
		• सितारगंज, सिडकुल फेज–2	1700
4	पौड़ी	• विकासकेन्द्र, सिगड्डी, कोटद्वार	100
		कुल :-	**7939**

वर्तमान राज्य सरकार के गठन के उपरान्त राज्य में औद्योगिक निवेश तथा इस हेतु विभिन्न उद्देश्यों से निवेशकों को आकर्षित करने हेतु सिडकुल के प्रयास/उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं -

1. वर्ष 2020–21 में सिडकुल के एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में 44 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई जिसमें 597 करोड़ रूपयों का निवेश हुआ और 4050 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

2. सिडकुल की एक नीति मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट पॉलिसी–2015 के अंतर्गत 04 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 882 करोड़ रूपयों का निवेश किया गया ।

3. सिडकुल द्वारा जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड में भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु आई0आई0ई0 सितारगंज फेज–2 में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। सिडकुल द्वारा रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार में जमा की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है।

4. उत्तराखण्ड विभिन्न प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थिति से समृद्ध है, जो राज्य को जंगली और सुगंधित प्रजातियों की एक विशाल जैव विविधता वाला केन्द्र बनाता है। काशीपुर, उत्तराखण्ड में लगभग 41 एकड़ के क्षेत्र में राज्य एरोमा पॉलिसी के अंतर्गत एरोमा पार्क विकसित कर आवंटन प्रारंभ कर दिया गया है।

5. हरिद्वार में 101.30 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाईस पार्क विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड में प्रस्तावित मेडिकल डिवाईस पार्क के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आन्ध्र प्रदेश के कलॉम इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यह पार्क भारत सरकार की योजना ''मेडिकल डिवाईस पार्कों को बढ़ावा'' के अंतर्गत विकसित किया जायेगा। सिडकुल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति हेतु डिपार्टमेन्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, भारत सरकार को मूल्यांकन हेतु भेजा जा चुका है।

6. भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/सिडकुल हेतु खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह एक महत्वकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य 07 राज्यों के अंतर्गत आने वाले 20 शहरों में एक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना है, जिसमें एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना सम्मिलित है।

7. भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा औद्योगिकीकरण और इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाईन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (संशोधित योजना अप्रैल, 2020) में लागू की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इसी क्रम में एकीकृत औद्योगिक आस्थान जिला ऊधमसिंहनगर में 102 एकड़ भूमि ई0एम0सी0 हेतु चिन्हित की गयी है। सिडकुल द्वारा इस विषय में हितधारकों से एक वेबिनार के माध्यम से गहन चर्चा की गयी। साथ ही, ई0एम0सी में एंकर यूनिट को आकर्षित करने हेतु एक ई0ओ0आई0 भी जारी किया गया है।

8. सिडकुल द्वारा मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में होटल/रिसोर्ट/वैलनेस रिसोर्ट स्थापित करने हेतु दो प्लॉट उपलब्ध है। मदन नेगी में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इस विषय में प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी0) जारी किया जा चुका है।

9. प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु एरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी प्रख्यापित की गई है। मेक इन इण्डिया के अंतर्गत निहित उद्दश्यों की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में भी एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के दृष्टिगत डिफेन्स क्षेत्र के ले0 कर्नल के स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जो रक्षा उत्पादन से जुडी इकाईयों से आवश्यक समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगें।

कलस्टर विकास

भारत सरकार केएमएसएमई मंत्रालय, उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक विभाग व रसायन व पेट्रो रसायन विभाग द्वारा क्लस्टर विकास से संबंधित योजनायें लागू की गयी है और परियोजना में केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में कार्य किया जाता है।

राज्य में कार्यरत एमएसएमई इकाईयों की दक्षता तथा लागत कम किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता के साथ कार्य करते हुये संबंधित सेक्टरों में निम्न क्लस्टरों का चिन्हांकन किया गया है :–

S. No.	District	Probable Location	Cluster	Remarks	Central Scheme
1	Haridwar	Sultanpur-Sabatwali	Jaggery & Khandsari CFC	A common facility centre for sugarcane farmers to process the Jaggery and Khandsari. The facility will also have a NABL Accredited Testing lab, cold storage unit, warehouse facility and state of art Packaging centre.	MSE-CDP Scheme
2	Nainital	Baijuniya Haldu, Kaladungi	Gold Jewellery CFC	The Region is popular for Gold Jewellery and SPV members are setting up a facility for base Ornamenting and BIS Hallmark testing facility to help the local artisans.	MSE-CDP Scheme
3	Haridwar	Bhagwanpur	PET Fabric CFC	The facility, set up by the local Bhagwanpur Industrial Association, will be used to make the intermediate raw material i.e. PET Fabric. This will be used by Flex manufacturers, Pharma and Packaging industry. Currently this raw material is imported from China.	MSE-CDP Scheme
3	Udham Singh Nagar	IIE Kashipur	Mentha Oil CFC	The Factional distilling unit along with a cold storage and packing unit will be set up to help the Mentha farmers in the surrounding region. The output is used in confectionaries, Pharma and various other industries.	MSE-CDP Scheme
5	Dehradun	IIE Pharmacity, Selaqui	Pharmaceuticals CFC	The Pharmaceutical Micro and Small Enterprises of Pharma city have formed an SPV to set up a Pharmaceutical Analytical Testing Lab and formulation and development centre.	MSE-CDP Scheme

6	Haridwar	Bansowali Region, IIE Haridwar	Electrical Infrastructure Development	IIE Haridwar is planned and well-established Industrial Estate by GoUT notified in 2004. The proposed intervention shall help in meeting additional energy demands in the region for present and upcoming units in Bansowali region.	MSE-CDP Scheme
7	Udham Singh Nagar	IIE Kashipur	Development of Water Infrastructure	Integrated Industrial Estate (IIE) Kashipur is planned industrial estate by GoUT. This project will fulfil the water infrastructure need of current and upcoming industrial units in IIE Kashipur.	MSE-CDP Scheme
8	Dehradun	IIE Pharmacity, Phase 2, Charba	Development of Roads, Storm Water Drains & other allied Infrastructure	IIE Pharmacity Phase 2, Charba is an extension of IIE Pharmacity, Selaqui, Dehradun & the same shall be developed (with civil infrastructure / other facilities) due to high demand & growing requirements of Pharma & other Industrial Units.	MSE-CDP Scheme
9	Nainital	Haldwani	Aipan Craft	The cluster is currently working on traditional art of AIPAN and 550 Artisans are currently working actively. SPV members are setting up a facility for machinery upgradation, raw material bank and printing facility to help the local artisans.	SFURTI Scheme
10	Haridwar	Sherpur, Haridwar	Honey Cluster	A common facility centre for Bee-keepers and honey processors to process the honey. The facility will also have a NABL AccreditedTesting lab, cold storage unit and Packaging unit	MSE-CDP Scheme
11	Rudraprayag	Paprasu	Urban Haat	The objective is to setup a permanent marketing infrastructure in Rudraprayag to provide direct marketing facilities to the handicrafts Artisans / handloom weavers. This will enable them to sell their products round the year to a wider target audience.	Urban Haat Guidelines of MoT, GoI
12	Udham Singh Nagar	Pantnagar	Pharmaceuticals	Discussion in Process: The Pharmaceutical Micro and Small Enterprises of Pantnagarare forming an SPV to set up a NABL accredited testing, packaging and printing unit.	MSE-CDP Scheme

इन चिन्हांकित क्लस्टरों में से आरंभिक रूप से निम्नांकित 5 क्लस्टरों एवं 3 आधारभूत संरचना विकास; Infrastructure Development) की डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

जैविक गुड़ एवं खण्डसारी क्लस्टर, सुल्तानपुर–सबतवाली, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

Project Overview

- Beneficiaries – 42 cluster units, 1680 (direct), 5000+ (indirect)
- Land Area – 11000 sq. ft
- Project Cost - 18.79 Cr.

Cluster Challenges

- Traditional processing units, which are inefficient
- Absence of testing and hallmarking facility nearby
- High TAT and high labour cost
- Lack of Hygiene in processing, packaging and storage

Proposed Interventions

- NABL Accredited Quality Testing Facility & R&D Lab
- A Modern Model Jaggery Processing Unit (50 TCD Capacity)
- A Cold Storage & Warehousing Unit
- A Training & Skill Development Centre

Location

- Sultanpur, Sabatwali 184 km from Delhi & 71 km from Dehradun,
- Nearest Railway station- Roorkee,
- Nearest airport Dehradun

Financials

- Land & Building : 3.79 Cr
- Plants & Machinery: 14.58 Cr
- Preliminary, pre-operative and working capital : 0.42 Cr
- Total- 18.79 Cr

Means of Finance

INR 14.32 Cr by GoI

INR 1.87 Cr by SPV

INR 2.59 Cr by State

Page 1

जैविक गुड़ एवं खण्डसारी क्लस्टर, सुल्तानपुर–सबतवाली, हरिद्वार।

Jaggery

Khandsari Sugar

Page 2

औद्योगिक पूंजी निवेश के इच्छा पत्र

अगस्त, 1991 से जनवरी, 2003 तक भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड के लिए जारी उद्यमी औद्योगिक ज्ञापन/लैटर ऑफ इन्टेन्ट की कुल संख्या **341** थी, जिनमें रू. **6,382/-** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **60,345** का रोजगार प्रस्तावित था, प्राप्त हुये थे।
जनवरी, 2003 से मार्च, 2022 तक 2414 उद्यमी औद्योगिक ज्ञापन/लैटर ऑफ इन्टेन्ट उत्तराखण्ड के लिए जारी किये गये हैं, जिनमें रू. **97852/-** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **4,53,366** लोगों को रोजगार प्रस्तावित था।

वर्षवार स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	आई.ई.एम./ एल.ओ.आई.	प्रस्तावित निवेश (करोड रूपये में)	प्रस्तावित रोजगार
1	अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 2002 तक	341	6382.00	60345
	योग :-	**341**	**6382.00**	**60345**

विशेष पैकेज के पश्चात्

1	जनवरी, 2003 से मार्च, 2004 तक	149	1425.00	22407
2	मार्च, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक	126	4126.00	22349
3	जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक	343	5209.00	66080
4	जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक	469	13763.00	79302
5	जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक	117	8367.00	33435
6	जनवरी, 2008 से दिसम्बर,2008 तक	150	6115.00	29102
7	जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक	165	9293.00	48338
8	जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक	217	7997.00	34901
9	जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक	80	6877.00	20152
10	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक	134	13270.00	20224
11	जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक	158	2012.00	23240
12	जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक	38	1976.00	8910
13	जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक	38	3061.00	12638
14	जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक	42	2764.00	13510
15	जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक	45	1894.00	4292
16	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक	47	1380.00	4481
17	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक	46	2142.00	4370
18	जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक	18	377.00	1710
19	जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक	27	5609.00	3450
20	जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक	5	195.00	475
	योग :-	**2414**	**97852.00**	**453366**

एमएसएमई–उद्यम रजिस्ट्रीकरण

(https://udyamregistration.gov.in)

केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उप धारा (9) के साथ पठित उप–धारा (1) और धारा 8 की उप धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–2, खंड–3, उप–खण्ड–2 में प्रकाशित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना सं.का.आ 1702(अ)' दिनांक 01 जून, 2020, का.आ. 2052(अ), तारीख 30 जून, 2017, का.आ.3322(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2013 और का.आ. 1722(अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है इस निमित सलाहकार समिति की सिफारिशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात 1 जुलाई, 2020 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकरण के लिये कतिपय मानदंड अधिसूचित करती है और ज्ञापन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात ''**उद्यम रजिस्ट्रीकरण**'' कहा गया है) फाईल करने की प्ररूप प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात :–

1. उद्यमों का वर्गीकरण :- उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात :-

1) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन पांच करोड से अधिक नहीं है।

2) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान दस करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन पचास करोड रूपये से अधिक नहीं है।

3) ऐसा मध्यम उद्यम, जहा संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान पचास करोड़ रूपये से अधिक नही है और आवर्तन दो सौ पचास करोड़ से अधिक नही है।

2. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के अंतर्गत शामिल होना :-

1) कोई व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करने की आशय रखता है, स्व–घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में ऑनलाईन उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाणपत्रों या सबूत को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2) रजिस्ट्रीकरण के समय उद्यम (जिसे उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में "उद्यम" कहा गया है) को "उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या" के रूप में ज्ञात एक स्थायी पहचान संख्या दी जायेगी।

3) रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर **''उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र''** अर्थात एक ई–प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

3. वर्गीकरण के लिये विनिधान और आवर्तन के सम्बन्ध में समेकित मापदंड :-

1) किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकरण के लिये विनिधान और आवर्तन का एक समेकित मापदंड लागू होगा।

2) यदि कोई उद्यम अपनी वर्तमान श्रेणी के लिये विनिधान या आवर्तन के दोनों मानदंड में से किसी अधिकतम सीमा को पर करता है, तो वह उस श्रेणी में अस्तित्वहीन हो जायेगा तथा उसे अगली उच्चतर श्रेणी में रखा जायेगा किंतु किसी भी उद्यम को तब तक निम्नतर श्रेणी में नही रखा जायेगा जब तक वह विनिधान तथा आवर्तन के दोनों मापदंडों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिये विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के नीचे नहीं चला जाता हो।

3) वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) सहित सभी इकाईयां, जिन्हें समान स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिये सूचीबद्ध किया गया है, को साहूमिक रूप से एक उद्यम के रूप में माना जायेगा और ऐसी सभी इकाईयों के लिये विनिधान और आवर्तन संबंधी आंकडों पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जायेगा तथा सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में श्रेणी का विनिश्चय करने के लिये केवल कुल मूल्य पर विचार किया जायेगा।

4. संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान की गणना :-

1) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान में विनिधान की गणना को आय कर अधिनियम, 1961 के तहत फाईल किये गये पूर्ववर्ती वर्षो के आयकर रिर्टन (आईटीआर) से जोडा जायेगा।

2) नये उद्यम की दशा में, जहां कोई पूर्व आईटीआर उपलब्ध नहीं है, वहां उद्यम के संप्रवर्तक के स्व–घोषणा के आधार पर विनिधान किया जायेगा और ऐसी छूट उस वित्त वर्ष में 31 मार्च के पश्चात समाप्त हो जायेगी, जिसमें वह उद्यम अपना पहला आईटीआर फाईल करता है।

3) उद्यम के संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विरचित आयकर नियम, 1962 में संयंत्र और मशीनरी में उसका है और इसमें सभी मूर्त अस्तियां (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग से भिन्न) शामिल होंगी।

4) यदि उद्यम बिना किसी आईटीआर का नया है, तो संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर की खरीद (इन्वॉइस) मूल्य, चाहे पहली बार या दूसरी बार खरीदा गया हो, माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोडकर, स्व–प्रकटीकरण के आधार पर हिसाब में लिया जायेगा।

5) अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं की लागत को संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की राशि की गणना से बाहर रखा जायेगा।

5. **आवर्तन की गणना :-**

1) वर्गीकरण में प्रयाजन के लिये कोई उद्यम, चाहे सूक्ष्म, लघु या मध्यम हो, के आवर्तन की गणना करते समय माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात को बाहर रखा जायेगा।

2) उद्यम के लिये आवर्तन और निर्यात आवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी आयकर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) और जीएसटीआईएन से सम्बन्ध होगी।

3) ऐसे उद्यम के आवर्तन सम्बन्धी, जिनके पैन नही है, को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिये स्व–घोषणा के आधार पर माना जायेगा और उसके पश्चात, पैन और जीएसटीआईएन अनिवार्य होगा।

6. **रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया :-**

1) रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रारूप उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में उपलब्ध कराया जायेगा।

2) उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाईल करने लिये कोई फीस नहीं होगी।

3) उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिये आधार संख्या अपेक्षित होगी।

4) आधार संख्या स्वामित्व फर्म के मामले में स्वत्वधारी की होगी, भागीदारी फर्म के मामले में प्रबंधक भागीदारी की और हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) के मामले में कर्ता की होगी।

5) कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या किसी सहकारी समिति या सोसाइटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसके प्राधिकृत हस्तारक्षरकर्ता अपने आधार संख्या सहित अपना जीएसटीआईएन और पैन उपलब्ध करेंगें।

6) यदि कोई उद्यम पैन सहित उद्यम के रूप में सम्यकरूप से रजिस्ट्रीकृत है, तो पूर्व वर्षो की किसी भी जानकारी की कमी, जब उसके पास पैन नहीं था, को स्व–घोषणा के आधार पर भरा जायेगा।

7) काई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाईल नहीं करेगा, परंतु विनिर्माण या सेवा या दोनो प्रकार की गतिविधियों को एक उद्यम रजिस्ट्रीकरण में विनिर्दिष्ट किया या जोडा जाय।

8) यदि कोई जानबूझकर दुर्व्यपदेशन जानकारी देता है या उद्यम रजिस्ट्रीकरण या उन्नयन प्रक्रिया में दिखाई देने वाले स्व–घोषित तथ्यों और आकडों को छिपाने का प्रयास करता है, तो वह अधिनियम की धारा 27 के अधीन विनिर्दिष्ट दंड का पात्र होगा।

7. विद्यमान उद्यमों का रजिस्ट्रीकरण :-

1) ईएम–भाग–2 या यूएएम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी विद्यमान उद्यम 1 जुलाई, 2020 को या उसके पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगें।

2) 30 जून, 2020 तक रजिस्ट्रीकृत सभी उद्यमों को इस अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जायेगा।

3) 30 जून, 2020 से पहले रजिस्ट्रीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेंगें।

4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन किसी अन्य संगठन के साथ रजिस्ट्रीकृत उद्यम, उद्यम रजिस्ट्रीकरण के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करेंगें।

8. सूचना का अद्यतन और वर्गीकरण में संक्रमण अवधि :-

1) उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या वाला कोई उद्यम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिये आईटीआर और जीएसटी रिटर्न के ब्यौरे सहित उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में ऑनलाईन अपनी सूचना तथा ऐसी अन्य अतिरिक्त सूचना, जो अपेक्षित हो, स्व–घोषणा के आधार पर अद्यतन करेगा।

2) ऑनलाईन उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुसंगत जानकारी अद्यतन करने में विफल होने पर उसका स्तर रद्द किये जाने के लिये उद्यम स्वयं जिम्मेदार होगा।

3) प्रदान की गयी जानकारी या आईटीआर या जीएसटी रिटर्न सहित सरकारी स्रोतों से प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर उद्यम के वर्गीकरण को अद्यतन किया जायेगा।

4) किसी उद्यम की क्रमिक वृद्धि (निम्नतर से उच्चतर श्रेणी मे) अथवा क्रमिक ह्रास (निम्नतर श्रेणी की ओर अग्रसर होना) की स्थिति में उद्यम को उसके स्तर में होने वाले परिवर्तन के बारे में सूचित किया जायेगा।

5) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान या आवर्तन अथवा दोनों के उच्चतर परिवर्तन तथा परिणामस्वरूप पुनः वर्गीकरण की स्थिति में उद्यम रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के समाप्त होने से लेकर एक वर्ष की समाप्ति तक अपने वर्तमान स्तर को बरकरार रखेगा।

6) किसी उद्यम के क्रमिक ह्रास की स्थिति में, चाहें वह पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हुआ हो या संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में विनिधान या आवर्तन में वास्तविक परिवर्तन अथवा दोनों के कारण हुआ हो तथा चाहे उद्यम अधिनियिम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, उद्यम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपनी वर्तमान श्रेणी में बना रहेगा तथा ऐसे परिवर्तन वाले वर्ष के पश्चात के वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से परिवर्तित स्तर का लाभ प्रदान किया जायेगा।

9. उद्यमों की सुविधा और उनकी शिकायतों का निवारण :-

1) विभिन्न संस्थाओं और विकास संस्थाओं (एमएसएमईडीआई) सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्यालयों में कार्यरत चैम्पियन कंट्रोल रूम रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आगे सुगमता पूर्वक सभी प्रकार की संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिये एकल खिडकी के रूप में कार्य करेंगें।

2) जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) भी अपने–अपने जिलों में एकल खिडकी सुविधा प्रणाली के रूप में कार्य करेंगें।

3) यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जिसके अंतर्गत आधार संख्या का न होना भी है, उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाईल नहीं कर पाता है तो वह अपने आधार संख्या नामांकन पहचान पर्ची अथवा आधार नामांकन के अनुरोध की प्रति अथवा बैंक की फोटोयुक्त पासबुक अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस में से किसी भी एक को लेकर उपर्युक्त किसी भी एकल खिडकी प्रणाली से उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिये संपर्क कर सकता है तथा एकल खिडकी प्रणाली, जिसके अंतर्गत प्रक्रिया भी है, उसकी आधार संख्या प्राप्त करने में सहायता करेगी और तत्पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण की आगे की प्रक्रिया में सहायता करेगी।

4) किसी भी त्रुटि अथवा शिकायत के मामले में संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक उद्यम द्वारा दिये गये उद्यम रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों के सत्यापन के संबंध में जांच करेगा और तत्पश्चात अपनी आवश्यक टिप्पणी के साथ मामले को संबंधित राज्य सरकार के निदेशक अथवा आयुक्त अथवा उद्योग सचिव के पास भेजेगा जो उद्यम को नोटिस जारी करने और उस मामले को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा तथा जांच के आधार पर ब्यौरों में संशोधन कर सकेगा अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने की सिफारिश कर सकेगा।

***सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का.आ.1702(अ) दिनांक 01 जून, 2020 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की निम्न प्रकार परिभाषा लागू की गई है :-**

पूर्व प्राविधान	वर्तमान प्राविधान
विनिर्माणक/उत्पादक उद्यम	
(क)– एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रूपये से अधिक न हो।	(क)– सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
(ख)– एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रूपये से अधिक हो, किन्तु 5 करोड़ रूपये से अधिक न हो।	(ख)– लघु उद्यम वह उद्यम है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
(ग)– एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 5 करोड़ रूपये से अधिक हो, किन्तु 10 करोड़ रूपये से अधिक न हो।	(ग)– मध्यम उद्यम वह उद्यम है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 250 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
सेवा प्रदाता उद्यम	
(क)– एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 10 लाख रूपये से अधिक न हो।	
(ख)– एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 10 लाख रूपये से अधिक हो, किन्तु 2 करोड़ रूपये से अधिक न हो।	
(ग)– एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक हो, किन्तु 5 करोड़ रूपये से अधिक न हो।	

फाईल किये गये उद्योग आधार मैमोरेण्डम/उद्यम रजिस्ट्रीकरण का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्योग आधार मैमोरण्डम (18 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2021 तक)			उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण (वर्ष 2021-22)			अब तक फाईल किये गये कुल उद्योग आधार		
		स्थापित उद्यमों की संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	स्थापित उद्यमों की संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	स्थापित उद्यमों की संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)
1	नैनीताल	1504	8162	662.74	291	1079	84.32	1795	9241	747.06
2	उधमसिंहनगर	3061	18164	849.27	629	4007	39.92	3690	22171	889.19
3	अल्मोड़ा	1237	4288	149.18	271	894	10.13	1508	5182	159.31
4	पिथौरागढ़	1025	2719	68.67	220	694	10.64	1245	3413	79.31
5	बागेश्वर	741	2110	42.42	152	436	7.84	893	2546	50.26
6	चम्पावत	739	2754	56.71	160	490	4.23	899	3244	60.94
7	देहरादून	2380	19341	796.58	567	11340	208.95	2947	30681	1005.53
8	पौड़ी	1886	10704	374.23	404	1682	125.85	2290	12386	500.08
9	टिहरी	1342	5639	196.81	1000	2984	131.99	2342	8623	328.80
10	चमोली	849	2792	48.86	177	427	11.15	1026	3219	60.01
11	उत्तरकाशी	874	2636	61.20	180	511	18.40	1054	3147	79.60
12	रूद्रप्रयाग	834	2659	58.09	342	999	27.520	1176	3658	85.61
13	हरिद्वार	3321	36038	1194.21	680	10447	190.56	4001	46485	1384.77
योग :-		**19793**	**118006**	**4558.97**	**5073**	**35990**	**871.50**	**24866**	**153996**	**5430.47**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयॉ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें रू0 700.29 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से **माह 31 मार्च, 2022 तक** 73,961 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा उद्यमिता ज्ञापन भाग–2/उद्योग आधार /उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाइल किये गये हैं, जिनमें रू0 15,334.56 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 3,82,431 लोगों को रोजगार दिया गया है। लघु स्तरीय उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत/उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 फाइल/उद्योग आधार/ उद्यम रजिस्ट्रीकरण करने वाले उद्यमों का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	दिनांक 8-11-2000 तक (राज्य गठन के समय) स्थापित लघु स्तरीय उद्यम			राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9-11-2000 से माह 31 मार्च, 2022 तक स्थापित उद्यम			कुल स्थापित उद्यम		
	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)
नैनीताल	816	3513	158.3600	4316	19972	1154.63	**5132**	**23485**	**1312.99**
उद्यमसिंहनगर	804	4899	233.7100	8808	69709	4363.02	**9612**	**74608**	**4596.73**
अल्मोड़ा	904	1846	17.7800	3945	10251	242.21	**4849**	**12097**	**259.99**
पिथौरागढ़	534	1013	5.8500	3190	7983	126.93	**3724**	**8996**	**132.78**
बागेश्वर	387	607	2.0400	1838	4672	84.86	**2225**	**5279**	**86.90**
चम्पावत	147	322	4.9500	1879	5557	97.61	**2026**	**5879**	**102.56**
देहरादून	2321	7232	88.0100	7694	64135	1824.47	**10015**	**71367**	**1912.48**
पौड़ी	1720	4196	28.3900	5459	22143	712.52	**7179**	**26339**	**740.91**
टिहरी	1025	2413	14.4400	4984	15683	469.58	**6009**	**18096**	**484.02**
चमोली	844	1154	5.4500	2901	7303	123.62	**3745**	**8457**	**129.07**
उत्तरकाशी	1734	2364	10.6000	2860	7113	143.39	**4594**	**9477**	**153.99**
रूद्रप्रयाग	394	737	7.2000	2273	6581	152.15	**2667**	**7318**	**159.35**
हरिद्वार	2533	8213	123.5100	9651	102820	5139.28	**12184**	**111033**	**5262.79**
योग :-	**14163**	**38509**	**700.29**	**59798**	**343922**	**14634.27**	**73961**	**382431**	**15334.56**

कार्यरत् वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में **माह मार्च, 2022** तक कार्यरत् वृहत उद्योगों की संख्या **329** है, जिनमें **रू. 37,957.94** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **1,11,451** लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित वृहत उद्योगों की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
1	देहरादून	23	604.06	4753
2	हरिद्वार	124	18047.33	58224
3	ऊधमसिंहनगर	174	15458.39	44106
4	नैनीताल	3	3669.01	3469
5	पौड़ी	3	116.86	784
6	उत्तरकाशी	1	8.10	19
7	चमोली	1	54.19	96
	योग :-	**329**	**37957.94**	**111451**

राज्य में कार्यरत वृहत उद्योगों की स्थिति

विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार
उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 8–11–2000 तक)	39	8369.78	29197
उत्तराखण्ड राज्य बनने से अब तक (9–11–2000 से मार्च, 2022 तक)	290	29588.16	82254
योग :-	**329**	**37957.94**	**111451**

- **Central Institute of Petrochemicals and Engineering Technology (CIPET):-**

भारत सरकार द्वारा देहरादून के आईटीआई, डोईवाला में **Central Institute of Petrochemicals and Engineering Technology (CIPET)** स्थापना की गई है। वर्तमान में इसमें डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। संस्थान को एआईसीटीई से मान्यता भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान सत्र में 600 युवाओं को विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अल्पकालीन 3/6 माह के प्रशिक्षणोपरान्त 120 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में मासिक वेतन पर रोजगार भी प्रदान कराया जा रहा है। सिपेट द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग, टूलिंग, परीक्षण एवं निरीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा तकनीकी सेवायें भी प्रदान की गई हैं। सिपेट की परीक्षण प्रयोगशाला की राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड(NABL) द्वारा मान्यता की संस्तुति प्रदान की गई है।

CIPET : CENTRE FOR SKILLING AND TECHNICAL SUPPORT (CSTS) - DEHRADUN

मुख्य संस्थान की स्थापना हेतु इसी आईटीआई से लगी हुई लगभग 10 एकड़ भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन कर डिजाईन निर्माण किया जा रहा है। संस्थान द्वारा डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषणायें तीन अलग–अलग चरणों में की गयी थीं। उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः–

I. कोविड-19 का सामना करने के लिये एमएसएमई को राहत और क्रेडिट सहायता हेतु प्रमुख उपाय :

1. व्यवसाय, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मिलित है, को 3 लाख करोड का बिना किसी जमानत के ऑटोमैटिक ऋण :

- इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिये बनाई गई जिसमें उनको 3 लाख करोड़ रूपयों तक की अतिरिक्त निधि पूर्णतः गारंटित आपातकाल क्रेडिट लाइन के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है।
- 25 करोड़ रूपयों तक के बकाया और 100 करोड़ रूपयों के पण्यावर्त वाले उधारकर्ता इसके पात्र होगें। यह याजना मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एनबीएफसी को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार के गारंटी शुल्क और नई जमानत की आवश्यकता नहीं है।

2. दबाव ग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 20, 000 करोड़ रूपयों का गौण- ऋण :

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो कि अनर्जक परिसंपतियां है अथवा दबावग्रस्त है, के लिये 20,000 करोड़ रूपयों के गौण ऋण का प्राविधान किया गया। सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिये 4000 करेाड़ रूपये क्रेडिट ग्रारंटी ट्रस्ट को दिये गये। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रर्वतकों को, यनिट में मौजूदा स्टेक के 15 के बराबर है, किंतु अधिकतम 75 लाख रूपये तक गौण–ऋण उपलब्ध करवायें।

3. एमएसएमई की नई परिभाषा -

- एमएसएमई की परिभाषा में निम्न प्रारंभिक सीमा ने एमएसएमई में यह भय उत्पन्न कर दिया था कि अब उनको लाभ मिलने समाप्त हो जायेगें। इसलिये सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में निवेश सीमा को बढाकर संशोधन कर दिया। टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड जोडा गया है और विनिमार्ण तथा सर्विस सेक्टर के मध्य भिन्नता दर्शाने वाले आधार को हटा दिया गया है।

4. 200 करोड़ रूपयों तक की वैश्विक निविदाओं को स्वीकृति नहीं देना

- सरकार के सामान्य वित्तीय नियम में संशोधन किया गया है जिसमें 200 करोड़ रूपयों से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं के मंगाये

जाने को अस्वीकार कर दिया गया है। यह मेक–इन–इण्डिया को सहायता देने वाला एक कदम है और इसमें एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

5. एमएसएई के लिये अन्य सुधारक उपाय

- एमएसएमई के लिये ई–मार्केट लिंकेज, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का स्थान लेंगी, सरकार और सीपीएसई से एमएसएमई को प्राप्य होने वाली राशियों का भुगतान 45 दिनों के अंदर किया जायेगा। इससे एमएसएमई की विपणन और नकदी की समस्योओं का निपदान हो जायेगा।

चैम्पियंस : एमएसएमई के लिये ऑलाईन प्लेटफार्म

- भारत सरकार ने 09 मई, 2020 को एक बडी पहल करते हुये एमएसएमई की सहायता के लिये चैंपयंस ऑनलाईन प्लेटफार्म की शुरूआत की। ''**चैम्पियंस**'' का अर्थ है :–

  उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढाने के लिये आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्य अनुप्रयोग। यह एक आई0सी0टी0 आधारित प्रौद्योयोगिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य छोटी इकाईयों की समस्याएं दूर करके, प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान करते हुये पूरी व्यापार चक्र प्रक्रिया के दौरान हैन्ड होल्डिंग/मार्गदर्शन द्वारा बडी इकाईयों में परिवर्तित करना है। यह प्लेटफार्म एमएसएमई की समस्त आवश्यकताओं के लिये एकल विंडों समाधान उपलब्ध कराता है।

  यह एक प्रौद्योगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष सह–प्रबंधन सूचना प्रणाली है। टेलीफोन, इण्टरनेट तथा वीडियों–कान्फ्रेंल जैसे आईसीटी टूल्स के अतिरिक्त, इस सिस्टम में आर्टिफिशन इन्टैलीजैंस डाटा एनेलिटिक्स तथा मशीन लर्निग भी है।

  यह भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल सीपी ग्राम्स तथा एमएसएमई मंत्रालय के अन्य बैंक आधारित प्रणालियों के साथ वास्तविक समय के आधार पर पूर्णरूपेण एकीकृत है।

  प्रणाली के एक भाग के रूप में हब एवं स्पॉक मॉडल में 70 नियंत्रण कक्ष बनाये गये है। यह हब नई दिल्ली स्थित सचिव, एमएसएमई कार्यालय में है। स्पोक्स राज्यों में स्थित मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थानों में होंगें।

  भारत सरकार ने बिल सुविधाओं/चैपियंस प्लेटफार्म के माध्यम से विस्तारित समर्थन प्रदान करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी भरोसा जताया है।

उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना

- भारत की उत्पादन क्षमता तथा निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की।

- यह योजना भारतयी उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी और अग्रणी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी, दक्षता सुनिश्चित करेगी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ करेगी, निर्यात में वृद्धि करेगी तथा हितकर निर्माण परिवेश उपलब्ध कराते हुये भारत को विशेष तौर पर इस क्षेत्र के तहत आने वाले 10 चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बना देगी। इसके अतिरिक्त यह योजना देश में एमएसएमई केन्द्रों के साथ बैकवर्ड लिंकेज भी स्थापित करेगी जिससे समग्र विकास होगा तथा व्यापक रोजगार के अवसर उत्तपन्न होंगें।

सेक्टर इन पीएमआई

- एकडवांस सैल कैमिस्ट्री बैटरी
- इलैक्ट्रानिक/तकनीकी उत्पाद
- ऑटोमोबाईल एवं ऑटों घटक
- फार्मा औषधियां
- टेलीकोम एवं नेटवर्किंग उत्पाद
- टैक्सटाईल उत्पाद
- खाद्य उत्पाद
- उच्च क्षमता नामे सौर पीजी व एनई
- व्हाईट गुड्स
- विशेष इस्पात/स्टील

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत एमएसएमई के लिये लागू ''**इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गारण्टी स्कीम**'' का लाभ अधिकाधिक पात्र इकाईयों को पहुंचाने के लिये राज्य सरकार, एसएलबीसी, बैंकों एवं औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है, जिसकी प्रगति निम्नानुसार है :–

ईमर्जेंसी क्रेडिट लाईन गारण्टी स्कीम (ईसीएलजीएस)

Phase-I up to Rs. 25 Crores (Progress as on 31.03.2022)

(Rs. in crores)

Eligible loan A/Cs		No of Accounts		Amount		Coverage Percentage
		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
107683	2562.12	72966	45152	1957.92	1730.65	67.76

Source-RBI

Phase-II Above Rs. 25 to 50 Crores (Progress as on 31.03.2022)

(Rs. in crores)

Eligible loan A/Cs		No of Accounts		Amount		Coverage Percentage
		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
1078	246.63	99	89	163.46	139.83	9.18

Source-RBI

स्ट्रेस्ड एसेट्स सबऑर्डिनेट डेब्ट फण्ड योजना

(Progress as on 31.03.2022)

(Rs. in lacks)

No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA) as on 30.4.2020	No. Eligible Borrowers under CGSSD	Sanctioned under CGSSD	
		No.	Amt.
5509	321	22	67.00

Source-RBI

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015
(यथासंशोधित–2016, 2018, 2019, 2020 व 2021)

यह नीति 31 जनवरी, 2015 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

1. जनपद/क्षेत्रों का वर्गीकरण :

श्रेणी	सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	• जनपद अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग। • जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)। • जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)
श्रेणी–बी+	• जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाला, मुनी–की–रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र। • जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।
श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	• जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।

2. वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम/गतिविधियां :

- हरित तथा नारंगी श्रेणी के विनिर्माणक उद्यमों के अतिरिक्त लाल श्रेणी (**Red Category**) के चिन्हित उद्यम।
- मिल्क प्रोसेसिंग, बटर, चीज एवं अन्य डेयरी उत्पाद।
- उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियां।
- पर्यटन नीति–2018 में अधिसूचित पर्यटन गतिविधियां।
- होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।

- जैव प्रौद्योगिकी।
- संरक्षित कृषि एवं औद्योनिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियां।
- पंचगब्य द्रव्य।
- स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं।
- सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- एम0एस0एम0ई0 नीतियों में चिन्हित अन्य विनिर्माणक/सेवा गतिविधियां।

वित्तीय प्रोत्साहन :

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता :

क्र0सं0	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)
2	श्रेणी–बी एवं श्रेणी–बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम रू. 35 लाख)
3	श्रेणी–सी	30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)
4	श्रेणी–डी	15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15 लाख)

2. ब्याज उपादान :

क्र0सं0	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
2	श्रेणी–बी एवं श्रेणी–बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3	श्रेणी–सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
4	श्रेणी–डी	05 प्रतिशत (अधिकतम रू. 03 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)

3. स्टाम्प शुल्क में छूट :

क्र0सं0	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	शत प्रतिशत
2	श्रेणी–बी एवं श्रेणी–बी+	शत प्रतिशत
3	श्रेणी–सी	शत प्रतिशत
4	श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

4. इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात बी.टू.सी. विक्रय पर अधिरोपित एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति :

क्र0सं0	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात 90 प्रतिशत
2	श्रेणी–बी एव ंबी+	प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात 75 प्रतिशत

5. विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement):

संयोजित विद्युत भार	श्रेणी–'ए'	श्रेणी–'बी' व 'बी+'
	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
100 केवीए	प्रथम 05 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात 75 प्रतिशत।	प्रथम 05 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात 60 प्रतिशत।
100 केवीए से ऊपर	60 प्रतिशत।	50 प्रतिशत।

6. विशेष राज्य परिवहन उपादान:

क्र.सं.	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम
2	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
3	श्रेणी–बी़	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू. 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

7. नवीन प्राविधानः केवल श्रेणी- ''ए'' एवं ''बी'' में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में स्थापित/स्थापित होने वाले चिन्हित निम्नांकित उद्यमों को इस वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त होगा :

क्र0सं0	उत्पाद/क्रियाकलाप	प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा
1	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवाएं (IT/ITES)	इन्टरनेट व्यय पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता।
2	कृषि एवं फलाधारित उद्योग (पहाड़ी दालों, फलों तथा साग–सब्जियों की सफाई, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं संरक्षण)	मण्डी शुल्क में शत प्रतिशत छूट।
3	➢ Manufacturing of Non-lcoholic/ alcoholic products alonwith Distillery and Bruwery. ➢ Manufacturing of Foreign liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery alongwith Distillery and Bruwery.	राज्य आबकारी नीति के तहत देय आबकारी शुल्क, बॉटलिंग शुल्क, बॉटलिंग शुल्क एवं अन्य देय करों/शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता। एमएसएमई नीति के अंतर्गत नवीन प्राविधानों कें अंतर्गत Non-lcoholic/alcoholic beverage तथा Fermentation/Bottling of foreign सपुनवत उत्पादों पर राज्य आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों यथाः आबकारी शुल्क, बॉटलिंग फीस, अनुज्ञा शुल्क एवं देय शुल्कों की प्रतिपूर्ति सहायता की सीमा/मात्रा/ अनुमन्यता एवं प्रक्रिया के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा यथा प्रक्रिया वित्त विभाग तथा आबकारी विभाग के परामर्श/सहमति प्राप्त करने के उपरांत विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 (यथासंशोधित-2016 तथा 2018) (वर्ष 2020-21)

योजनान्तर्गत एमएसएमई नीति–2015 के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 233 दावों के सापेक्ष रू0 57.60 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है।

महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना

उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **''महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना''** दिनांक 15 अगस्त, 2015 से आरम्भ की गई है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–542/XXVII(2)/2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

योजनान्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगेः–

1. **पूंजीगत् उपादान सहायता :** कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 25 लाख।
2. **ब्याज उपादान सहायता :** बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 6 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

योजना का उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन कर उद्यम स्थापना के लिए वांछित पूंजी की व्यवस्था के लिए बैंकों के माध्यम से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि महिलायें स्वयं का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका भी निभा सकें। आगामी 3 वर्षों में योजना के अन्तर्गत 10,000 महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

महिला उद्यमी की परिभाषा : महिला उद्यमी से आशय ऐसी महिला से है, जिसने स्वयं के स्वामित्व में उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो। भागेदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदारी, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी समिति/सहकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य महिलायें होनी आवश्यक हैं।

योजना का क्रियान्वयन : योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। प्रदेश स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड तथा जिला स्तर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा।

पात्रता :

1. नये उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसके द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2015 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/क्रियाकलाप प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. भाग–1/ई.एम. भाग–2 की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

2. विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो। विनिर्माणक उद्यमों के लिए वर्तमान में प्लांट व मशीनरी में निवेश की सीमा क्रमशः रू0 25 लाख, रू05 करोड़ तथा रू0 10 करोड़ एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम के लिए उपकरण में विनिधान की सीमा क्रमशः रू0 10 लाख, रू0 2 करोड़ तथा रू0 5 करोड़ निर्धारित है।
3. ऐसे उद्यम में महिला का पूर्ण स्वामित्व हो। भागीदारी फर्म, सहकारी संस्था/समिति, स्वयं सहायता समूह, साझेदारी तथा प्रा.लि. कम्पनी की दशा में महिला उद्यमी/उद्यमियों की अंशधारिता 51 प्रतिशत से अधिक हो।
4. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

एमएसएमई नीति 2015 के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2020-21)

योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक 93 दावों के सापेक्ष रू0 6.89 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है।

औद्योगिक विकास नीति-2017

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की अधिसूचना सं0–2(2)2018–SPS दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण को बढावा देने के लिये औद्योगिक विकास योजना–2017 दिनांक 01.04.2017 से लागू की गई है। यह औद्योगिक विकास योजना दिनांक 01.04.2007 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31.03.2022 तक प्रवृत्त रही।

इस नीति के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2017 को अथवा उसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली नई तथा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाईयों को योजना का लाभ अनुमन्य होगा। उपादान प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिये केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बेवसाइट **www.dipp.nic.in** पर आनॅलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना में पात्र इकाईयों को प्लांट एवं मशीनरी मद में कियें गये अचल पूंजी निवेश (Pant & Machinary) पर 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 5 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पात्र इकाई को भवन, प्लांट व मशीनरी के बीमा या भुगतान किये गये बीमा प्रीमियम की 5 वर्ष तक शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नई औद्योगिक इकाईयां, पर्याप्त विस्तार करने वाली इकाईयां बायोटैक्नोलॉजी एण्ड 10MW विघुत पावर उत्पादन करने वाली इकाईयां योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी। तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने पदार्थ, पान मसाला, प्लास्टिक कैरी बैग, पैट्रोलियम या गैस रिफाइनरी, 10MW से अधिक विघुत पावर उत्पादन करने वाली इकाईयां, सीमेन्ट, स्टील रोलिंग मिल, उत्पाद का उत्पादन करने वाली इकाईयां नकरात्मक सूची में होने के कारण योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नही होगी।

IDS Status as on 31.03.2022

S No.	Particulars	No. of Applications	
		Pre-Registration	Claims
	Total Online Registration Applications Received	**983**	**88**
1.	Applications Approved/Registered by Empowered Committee, Govt. of India	299	49 (Sanction)
2.	Applications Recommended/Forwarded to DPIIT/EC	428	3
3.	Recommended Applications in which Clarification Sought by EC	39	-
4.	Clarification Sought by SNO	217	24
5.	Under Process	-	10
6.	Applications to be put up for the decision of the SLC	-	2

स्टार्टअप नीति-2018

राज्य में इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने तथा राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से निकले छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से एम.एस.एम.ई. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 403/VII-2-18/41- एम.एस.एम.ई/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति प्रख्यापित की गयी है।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाने के प्राविधान किए गए हैं –

1. एक वर्ष तक रू0 10,000 मासिक भत्ता। (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता रू0 15,000 देय होगा।)
2. आवश्यकता आधारित सहायता के रूप में रू0 500,000 तक की सहायता।
3. उत्पाद/सेवा के विपणन के लिए रू0 500,000 तक की सहायता। (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता रू0 750000 लाख देय होगी)
4. पेटेण्ट व्यय की प्रतिपूर्ति– शत् प्रतिशत अधिकतम भारतीय पेटेण्ट के लिए रू0 1,00,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेण्ट के लिए रू0 5,00,000 तक।
5. राज्य माल एवं सेवाकर की प्रतिपूर्ति।
6. स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट।
7. इंक्यूबेशन स्पेस की दरों में छूट।

इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष तक आयकर से छूट एवं श्रम एवं कर अधिनियमों के अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न निरीक्षणों से भी छूट के साथ–साथ लोक उपापन में भी विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गयी है।

मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाने के प्राविधान किए गए हैं–

1. पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ तक की सहायता।
2. रनिंग एक्सपेंसिस के रूप में तीन वर्ष तक रू0 2 लाख की सहायता।
3. मैचिंग ग्राण्ट के रूप में अधिकतम रू0 2 करोड़ तक की सहायता।

स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन स्र्टाट–अप के रिकॉगनिशन तथा वित्तीय प्रोत्साहन के लिये www.startuputtarakhand.com के नाम से पोर्टल तैयार किया गया है।

स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत राज्य में 128 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा 30 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य में 11 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमति जारी की जा चुकी है। सम्पूर्ण राज्य में बूट कैम्पों के माध्यम से नवाचारी विचारों का चयन कर उन्हें स्टार्टअप उद्यम के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के स्टार्टअप बूट कैम्प वर्चुअली आयोजित किये गये हैं, जिनमें लगभग 750 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

उत्तराखंड निर्यात नीति 2021

(उत्तराखण्ड ख्राासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1570/VII-3-21/02(10).एमएसएमई/2020 दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 से प्रख्यापित)

1. प्रस्तावना

राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है तथा इस क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों, कृषि आधारित एवं प्रसंस्कृत खाद्य, सगंध एवं औषधीय पौधों पर आधारित उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्युटिकल्स तथा पर्यटन एवं वैलनेस जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात की असीम सम्भावनायें है। निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्र के निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में राज्यों को सक्रिय रूप से शामिल किया है। उत्तराखण्ड सरकार का लक्ष्य केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों का लाभ उठाने और अपने स्वयं के प्रयासों को केंद्र सरकार के साथ संरेखित करने का है।

2. नीति दृष्टि एवं उद्देश्य दृष्टि :

उत्तराखण्ड को घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर निर्यात में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा एक समुचित निर्यात अवसंरचना का निर्माण एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित कर उभरते क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य

i निर्यात के तेजी से विकास हेतु एक सरलीकृत, सक्रिय एवं संवेदनशील संस्थागत तंत्र प्रदान करना।

ii नए निर्यात के अवसरों का सृजन तथा मौजूदा निर्यात अवसंरचना जैसे गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक सम्पदा/क्लस्टर से रेल–सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करना।

iii मूल्य संवर्धन एवं गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स, हस्तशिल्प, हथकरघा, तथा ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक एवं फ़ोकस निर्यात क्षेत्रों की निर्यात क्षमता बढ़ाना।

iv उत्तराखण्ड से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों को वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

v राज्य के मौजूदा तथा नए निर्यातकों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।

vi निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय एवं वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

3. उत्तराखण्ड निर्यात रूपरेखा

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी एचएस) अध्यायों पर आधारित 99 भारतीय ट्रेड क्लैरिफिकेशन में से, उत्तराखंड ने 91 आईटीसी एचएस अध्यायों में, जिसमें 92% योगदान देने वाले 20 प्रमुख चैप्टर भी सम्मिलित हैं, निर्यात में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

4. नीति के लक्ष्य एवं कार्यान्वयन

नीति के लक्ष्य :

i. वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 15900 करोड के कुल निर्यात को बढाकर 5 वर्षो में रू0 30,000 करोड किया जायेगा।

ii. 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन।

नीति का कार्यान्वयन

i. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और 5 साल की अवधि के लिए प्रवृर्त्त रहेगी।

ii. इस नीति को आवष्यकतानुसार समय–समय पर संषोधित कर अधिसूचित किया जा सकेगा।

iii. इस नीति में किसी भी समय संशोधन होने पर यदि किसी इकाई को मूल नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन दिये जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा और इकाई लाभ हेतु अर्ह बनी रहेगी।

5. फोकस क्षेत्र / सेक्टर

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) द्वारा तैयार की गई उत्तराखण्ड निर्यात कार्यनीति में अभिज्ञापित प्रमुख क्षेत्रों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत एवं विष्व के संबंध में प्रकाशित तुलनात्मक लाभ पर आधारित है और उत्तराखण्ड से किये गये समग्र निर्यात के 50% को संस्थापित करता है।

A) **कृषि तथा संबद्ध**
B) **वैलनेस एवं आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा तथा होम्योपैथी)**
C) **फार्मास्यूटिकल्स**
D) **ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध क्षेत्र**
E) **पर्यटन एवं आतिथ्य**
F) **हथकरघा एवं हस्तशिल्प**
G) **शैक्षणिक सेवाए**

6. परिभाषाए

निर्यातक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है या निर्यात करने का इरादा रखता है और एक आईईसी नंबर रखता है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से छूट न हो।

ईओयू का मतलब निर्यातोन्मुखी इकाई है जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा परमिट पत्र (एलओपी) जारी किया गया है, वार्षिक कारोबार के कम से कम 30% निर्यात वाली इकाई को ईओयू कहा जाएगा और वह नीतिगत लाभों के लिए पात्र होगी।

ग्रीनफील्ड परियोजनाएं/नई इकाइयाँ : नए निवेश और परिचालन सेट–अप वाली इकाइयाँ

i. नई इकाइयों को परिचालन शुरू होने के तीसरे वर्ष तक वार्षिक कारोबार के 30% निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए या

ii. इस लाभ के उद्देश्य के लिए नई इकाई का पहले 3 वर्षों का औसत निर्यात कारोबार का कम से कम 25% होना चाहिए, जिसे एक्सपोएटर कहा जाना चाहिए।

iii. नई इकाइयों को इस आशय की निर्यात प्रतिबद्धताओं का विवरण प्रदान करना चाहिए।

7. नीति विशेषताएँ

7.1 निर्यात अवसंरचना

राज्य की रणनीतिक स्थिति, एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से निकटता, इसे कुशल रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से माल की गतिशीलता हेतु अनुकूल बनाती है। दो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) एवं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) की उपस्थिति भी व्यापार तथा निर्यात की सुविधा हेतु अवसंरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करती है।

राज्य सरकार राज्य के निर्यात अवसंरचना को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय करेगी:

A) भंडारण एवं कंटेनर सुविधाएं तथा एयर कार्गो सुविधाएं बढ़ाना

B) मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

C) नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहन

D) विकास केंद्रों की स्थापना

E) उत्तराखण्ड – एक जनपद – दो उत्पाद (One District Two Product) योजना

F) जिलों को एक्पोर्ट हब के रूप में विकसित करना

G) परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं का विकास

H) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिकेज को मजबूत करना :

I) कृषि निर्यात सेल की स्थापना

7.2 निर्यात प्रोत्साहन संस्थागत व्यवस्था

निर्यात संवर्धन अधिकार प्राप्त समिति

एक अनुकूल एवं लाभदायक निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, राज्य स्तर एवं जनपद स्तरीय निर्यात स्तर समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है :

i. राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन अधिकार प्राप्त समिति

ii. जिला स्तरीय निर्यात समिति

7.3 निर्यात सुगमता

उत्तराखण्ड एंटरप्राइज सिंगल विंडो फैसिलिटेशन एंड क्लीयरेंस एक्ट, 2012 के माध्यम से राज्य सरकार इकाई स्थापना की प्रक्रिया को सरलीकृत कर रही है।

7.4 निर्यात में उत्कृष्टता पुरस्कार

निर्यात को बढ़ावा देने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु, उत्तराखण्ड सरकार नीचे दिए गए श्रेणियों के अनुसार राज्य में संचालित निर्यातकों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रदान करेगी:

i. **सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार :** मूल्यांकन वर्ष हेतु निर्यात के मूल्य के संदर्भ में उच्चतम निर्यात वाले निर्यातक को सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। (प्रस्तावित श्रेणियाँ – प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर)

ii. **गुणवत्ता पुरस्कार :** वह निर्यातक जो मूल्यांकन वर्ष में बिना किसी नुकसान / नुकसान के निर्यात करता है, उसे गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

iii. **उत्कृष्टता प्रमाण पत्र :** निर्यातक जो पूर्ववर्ती वर्ष से निर्यात मूल्य में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्राप्त करता है उसे उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा।

7.5 निर्यात प्रोत्साहन (सांकेतिक)

क्र.सं.	वित्तीय प्रोत्साहन	लाभान्वित होने वाली इकाईयों की संख्या	विक्कीय प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति/ अनुदान की मात्रा/सीमा
1.	भूमि की निर्धारित दरों में छूट/रियायत	प्रथम 25 निर्यातक इकाईयों को	25 प्रतिशत (सिडकुल बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा)
2.	भू उच्चीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	प्रथम 20 निर्यातक इकाईयों को	25 प्रतिशत की दर से रू. 15 लाख प्रति इकाई 4 वर्षों तक
3.	विपणन सहायता	प्रथम 100 निर्यातक इकाईयों को	अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतु 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 2 लाख प्रति इकाई तथा राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतु 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50,000 प्रति इकाई। (महिला स्वामित्व वाली निर्यातक इकाईयों को अतिरिक्त 15 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी)
4.	कौशल विकास	प्रथम 50 नई निर्यातक इकाईयों को	रू. 1 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई की दर से

5.	शोध एवं अनुसंधान (आर. एण्ड डी.) सहायता	प्रथम 4 परियोजनाओं हेतु	रू. 25 लाख प्रति परियोजना
6.	प्रमाणीकरण सहायता	प्रथम 25 इकाईयों को	रू. 10 लाख प्रति इकाई 50 प्रतिषत की दर से
7.	ई–मार्केटिंग सहायता	प्रथम 100 इकाईयां	रू. 1 लाख प्रति इकाई
8.	ब्याज प्रोत्साहन	प्रथम 30 निर्यातक इकाईयां	रू. 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई 05 प्रतिशत की दर से
9.	सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना	विदेश व्यापार विभाग, भारत सरकार की भारत सेवा निर्यात योजना (SEIS) के अन्तर्गत सेवा निर्यात के तहत लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन लेने के लिए राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।	
10.	जागरूकता कार्यक्रम	13 जनपद/मुख्यालय स्तर पर	5 वर्ष हेतु रू. 5 लाख प्रति जिला तथा रू. 10 लाख मुख्यालय स्तर पर

7.6 साझेदारी

राज्य सरकार मौजूदा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और संबंधित निर्यात परिषदों के शिविर कार्यालयों की स्थापना के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, जैसे FIEO, IIFT, EEPC, SEPC, ECGC, चाय बोर्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित कर निर्यातकों को जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी।

उत्तराखण्ड से निर्यात एवं आयात की स्थिति

भौगोलिक कठिनाइयों एवं लॉजिस्टिक बाधाओं के बावजूद भी उत्तराखण्ड राज्य से गत वर्षों में निर्यात की स्थिति में सतत् वृद्धि दर्ज की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य को सम्पूर्ण भारत के परिपेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से 2019–20 में **19वें** स्थान पर था। प्रदेश का कुल निर्यात भारत में सम्पूर्ण निर्यात का **0.48** हिस्सा है। वर्ष 2013–14 से 17–18 के अतंर्गत राज्य ने सकारात्मक कम्पाउण्ड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6.79 प्रतिशत प्राप्त की जबकि भारत की निर्यात ग्रोथ इस अवधि में –0.89 प्रतिशत रही। अगस्त 2020 में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2020 रिपोर्ट में, उत्तराखण्ड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है। यह बुनियादी निर्यात इन्फ्रास्टक्चर सुविधाओं एवं एक अनुकूल व्यापार और निर्यात वातावरण के साथ साथ राज्य द्वारा अच्छे निर्यात प्रदर्शन की उपस्थिति से सम्भव हुआ है।

उत्तराखण्ड **ऑटोमोबाइल एवं फार्मा क्षेत्र** मे एक महत्वपूर्ण मन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है और इस क्षेत्र की इकाईयां निर्यात के क्षेत्र में प्रयासरत हैं और इस दिशा में निर्यात बढ़ाये जाने की अच्छी सम्भावनायें हैं। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, संगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, जैव–प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि राज्य के लिए निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं। राज्य से वर्ष 2018–19 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कोविड काल में भी उत्तराखण्ड राज्य से माह अप्रैल से अगस्त 2020 के मध्य रू0 8624 करोड का निर्यात हुआ है जो कि वर्ष 2019–20 में दर्ज निर्यात रू0 16971 करोड का लगभग 50 प्रतिशत है और इसमें भी फार्मा सेक्टर में गत वर्ष माह अप्रैल से अगस्त 2019 में हुए कुल निर्यात 479 करोड रू की तुलना में इसी अवधि में इस वर्ष 639 करोड रू का निर्यात दर्ज किया गया है जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक है।

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ रूपये में)
2011–12	3530
2012–13	6071
2013–14	6782
2014–15	8509
2015–16	7350
2016–17	6011
2017–18	10837
2018–19	16285
2019–20	16971
2020–21 (अप्रैल से दिसम्बर, 21 तक)	10579
	*Source: DGCIS Kolkata

Uttarakhand Export Figures for FY 2021-Dec, 2021

S. No	HS Codes	Commodity Section	Value In INR (In Crore)	% of Total Exports
1	01-05	Animals And Animals Products	**118.16**	1.12
2	06-14	Vegitable Products	235.46	2.23
3	15	Animals Or Vegitables Fats	1.70	0.02
4	16-24	Prepared Foodstuffs	408.31	3.86
5	25-27	Mineral Products	147.45	1.39
6	28-38	Chemical Products	2348.55	22.20
7	39-40	Plastics & Rubber	1171.41	11.07
8	41-43	Hides & Skins	5.90	0.06
9	44-46	Wood & Wood Products	29.44	0.28
10	47-49	Wood Pulp Products	360.06	3.40
11	50-63	Textiles & Textile Articles	456.77	4.32
12	64-67	Footwear, Headgear	21.45	0.20
13	68-70	Articles Of Stone, Plaster, Cement, Asbestos	131.32	1.24
14	71	Pearls, Precious Or Semi-Precious Stones, Metals	1262.94	11.94
15	72-83	Base Metals & Articles Thereof	2073.41	19.60
16	84-85	Machinery & Mechanical Appliances	804.61	7.61
17	86-89	Transportation Equipment	753.46	7.12
18	90-92	Instruments - Measuring, Musical	98.56	0.93
19	93	Arms & Ammunition	31.58	0.30
20	94-96	Miscellaneous	118.89	1.12
21	97-98	Works Of Art	0.04	0.00
22	99	Others	0.00	0.00
Grand Total			**10579.47**	100.00

राज्य एवं जिला स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन समिति के गठन एवं निर्यात आफीसर एवं निर्यात आयुक्त की तैनाती की अपेक्षा की गई थी और उत्तराखण्ड राज्य ने उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया है। राज्य की निर्यात रणनीति (एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी) बनाये जाने हेतु फियो (FIEO) को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। फियो के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य के लिये निर्यात रणनीति तैयार कर ली गई है। राज्य की निर्यात नीति का ड्राफट EEPC, APEDA, FIEO & DGFT तथा उत्तराखण्ड के विभिन्न निर्यातको के सहयोग से तैयार कर लिया गया है, जिसे अतिशीघ्र ही अधिसूचित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद को निर्यात हब के रूप में विकसित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही बर्तमान में गतिमान है जिसके तहत उत्तराखण्ड राज्य के सभी तेरह जनपदों में जिला

निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन एवं बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की जा चुकी है और डीजीएफटी के सहयोग से सभी जनपदों द्वारा जिला निर्यात योजना (डीईपी) तैयार की गई है और 10 जनपदों में कार्ययोजना DEPC से अनुमोदित की गई है। अन्य 3 जनपदों की कार्ययोजना भी पूर्ण है और यथाशीघ्र अनुमोदित करवा दी जायेगी। जिला निर्यात योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर स्थापित संस्थागत संरचना की अगुवाई जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी कर रहें हैं और जिला स्तर के अन्य संबंधित अधिकारी इसके सदस्य नामित किये गये हैं साथ ही स्थानीय उद्योग संघों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और उनके सुझावों को भी जिला निर्यात योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मलित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 54/VII-3/04(02)MSME/2020
देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में सक्षम एंव अनुकूल विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन हेतु जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार करने व उसके क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक समन्वित एवं सहक्रियात्मक (Integrated and Synergistic) प्रयास हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत **जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति** का निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति :-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
6	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7	जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य
8	जिला विकास प्रबंधक– NABARD	सदस्य
9	जिला खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
10	क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रतिनिधि –DGFT	सदस्य
12	जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
13	जिला स्तरीय औद्योगिक संगठन के दो नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14	दो नामित प्रमुख निर्यातक	सदस्य
15	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र	संयोजक सदस्य

किसी भी विषय विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में बुलाया जा सकेगा।

राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 4168 दिनांक 19.11.2019 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में अवगत कराया गया है कि प्रत्येक जिले को एक Export Hub के रूप में Convert किया जाये ताकि निर्यात को grassroot level तक प्रोत्साहित किया जा सके।

2. जिला निर्यात सवंर्धन समिति के कार्य :-

- जिला निर्यात सवंर्धन समिति में जिलाधिकारी सभी सम्बन्धित विभागों जैसे कृषि, उद्यान, पर्यटन, शिक्षा इत्यादि का सहयोग लेते हुए जनपद के लिए निर्यात सवंर्धन हेतु कार्ययोजना बनाये व जनपद स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जाय। जिसका मुख्य उद्देश्य Convert Each District into an Export Hub होगा। इसमें वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का समुचित सहयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। नीतिगत प्रकरणों को शासन स्तर पर सन्दर्भित किया जाएगा।
- जिला स्तर पर Export Potential उत्पादों की पहचान सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर निर्यात सवंर्धन हेतु कार्ययोजना (District Export Plan) तैयार कर उसे क्रियान्वित करना ताकि प्रत्येक जिले को एक Export Hub के रूप में स्थापित किया जा सके।
- जिले में मौजूदा निर्यातकों का समग्र डेटाबेस तैयार करना।
- निर्यात के सम्भावित और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के साथ उद्योगो/व्यापारियों की पहचान सुनिश्चित करना व उनके प्रत्येक identified potential export product gsrq sub-groups बनाना जिसमें सभी stakeholders जैसे manufacture, artisan, exporter इत्यादि सम्मिलित हो।
- ऐसे उद्योग/व्यापारियों की पहचान जो अन्य व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से अपना निर्यात कर रहे हैं।
- निर्यातकों की बाधाओं और समस्याओं (Bottlenecks) की पहचान करना व उनके समाधान के लिए उपाय विकसित करने हेतु नियमित बैठक कराना।
- जिला स्तर पर लॉजिस्टिक्स एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करना।
- राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न अवसंरचना विकास योजनाओं के माध्यम से अपने जिले में निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए प्रस्ताव Initiate करना।
- Training and Development needs identified करना व अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करते हुए ट्रेंनिग कराना।
- भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु प्रदान किये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों (Incentive) पर Informative Material तैयार करना व विभिन्न माध्यमों जैसे सैमिनार,

ट्रेनिंग, अतिथि व्याख्यान, सीखने व प्रायोगिक अनुभव हेतु अन्य जिलो की यात्राएं इत्यादि द्वारा प्रचार–प्रसार करना।

- जिला स्तर पर निर्यातकों के बैंकिंग प्रकरणों और क्रेडिट सम्बन्धित प्रकरणों के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से समुचित सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
- जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन हेतु One Point Facilitator के रूप में कार्य करना।
- Foreign buyers को आमंत्रित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की Market Access Initiative (MAI) Scheme का बेहतर उपयोग करने हेतु जिला स्तर पर Buyer Seller Meet का आयोजना करना।

3. **जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति** (DEPC) का कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र में होगा एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति की बैठकों का आयोजन, अनुश्रवण इत्यादि कार्य किये जाऐंगे।

4. समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में न्यून्तम एक बैठक अवश्य की जायेंगी तथा बैठक का कार्यवृत्त महा निदेशक/निर्यात आयुक्त (Export Commissioner) को प्रेषित किया जायेगा, जिसकी लगातार राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा समीक्षा भी की जायेगी।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

एकल खिड़की व्यवस्था
(SINGLE WINDOW SYSTEM)

- उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/स्वीकृतियों/अनापत्तियों/अनुज्ञां के लिये सूचना, मार्ग–दर्शन, आवेदन–पत्रों की उपलब्धता तथा आवेदन–पत्रों के केन्द्रीय व समयबद्ध निस्तारण के लिए **एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था** दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से लागू।
- उद्यम स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञां के लिये अनुमोदित प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति की अधिकतम समय–सीमा 15 दिन।
- उद्यम के संचालन हेतु वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों हेतु अधिकतम 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित।
- उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 तथा उद्यम संचालन के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म–2 पर आवेदन का प्राविधान।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 पर आवेदन हेतु दिनांक 2–3–2016 से विभागीय पोर्टल investuttarakhand.uk.gov.in पर ऑनलाईन व्यवस्था।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 पर आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अभिमत/निर्णय हेतु 15 दिन की समय सीमा निर्धारित।
- आवेदन के लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय स्थित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र प्रकोष्ठ नोडल एजेन्सी नामित।
- पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्रों पर किसी विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही न किये जाने पर डीम्ड स्वीकृति का प्राविधान।
- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के प्राविधान।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के निवेश प्रस्तावों पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति तथा बृहत उद्यमों के प्रस्तावों पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति अधिकृत।
- विभागों/जिला प्राधिकृत समिति के निर्णयों के विरूद्ध राज्य प्राधिकृत समिति को तथा राज्य प्राधिकृत समिति के निर्णय के विरूद्ध सरकार को अपील करने का प्राविधान।

- उद्यमियों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग निदेशालय में अलग से **टॉल-फ्री नम्बर 91-7618544555** स्थापित हैं।
- **''उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था''** के अधीन प्रगति विवरण निम्नानुसार है :-

सिंगल विन्डो के माध्यम से अनुमोदित निवेश प्रस्ताव

	Unit Type	Total Unit Approved	Investment (INR. Crore)	Employment
April-2016 To March-2017	MSME	468	631.95	5422
	LARGE	15	1639.64	3134
April-2017 To March-2018	MSME	549	1144.81	9195
	LARGE	17	1412.16	3809
April-2018 To March-2019	MSME	1075	3593.74	24354
	LARGE	48	5554.96	8823
April-2019 to March-2020	MSME	1562	4350.05	35735
	LARGE	56	7656.65	8448
April-2020 to March, 2021	MSME	1495	2776.00	26412
	LARGE	41	1888.46	4417
April-2021 to March, 2022	MSME	1791	4740.56	32901
	LARGE	63	4088.38	13911
GRAND TOTAL FOR MSME UNITS		**6940**	**17237.11**	**134019**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**240**	**22240.25**	**42542**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**7180**	**39477.36**	**176561**

ईज आफ डूईंग बिजनेस
(Ease of Doing Business)

- राज्य में निवेश के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर त्वरित व समयबद्ध अनुज्ञांए/अनुमति/ अनुज्ञापन/ स्वीकृतियां जारी करने के लिए **''ईज आफ डुईंग बिजनेस''** के अन्तर्गत भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा सभी राज्यों हेतु वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित 352 कार्य बिन्दुओं पर अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।
- इस वर्ष डीआईपीपी द्वारा 352 कार्य बिन्दु जनपद स्तर के सुधारों के लिये भी निर्धारित किये गये हैं। सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से इन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है।
- निवेशकों के लिए सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं/प्रक्रियाओं की जानकारी वैबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
- विभागवार निर्धारित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की मुख्य सचिव द्वारा नियमित समीक्षा।
- सभी वांछित स्वीकृतियों/अनुज्ञां/सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था।
- अपेक्षित स्वीकृतियां/अनुज्ञां/अनापत्ति ऑनलाइन समयबद्ध जारी किये जाने की व्यवस्था।
- उद्यम/व्यवसाय के लिए वांछित स्वीकृति/अनुज्ञां/अनापत्ति आदि के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र के प्रारूप, सूचनाओं, दिशा–निर्देशों को विभागीय पोर्टल पर उपलब्धता।
- औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था।
- निवेशकों के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमतियों, अनुमोदनों हेतु **''ईज आफ डुईंग बिजनेस''** की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है और विभिन्न विभागों के लिये निर्धारित कार्यबिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है।
- राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की रोजगार सृजन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की एमएसएमई नीति में इस क्षेत्र के विकास के लिये आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ–साथ समुचित इको सिस्टम विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड सरकार का ध्यान, एक नागरिक अनुकूल और उत्तरदायी प्रशासन के प्रति केन्द्रित है। राज्य ने **''ईज आफ डुईंग बिजनेस''** पहल के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए सार्वजनिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाकर तरह–तरह की मंजूरी के लिए समय–सीमा में कमी की है। राज्य में एकल खिड़की व्यवस्था, व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाईसेंस और अनुमोदनों के **''वन स्टॉप शॉप''** के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

वर्ष 2022-23 की रैंकिंग के लिये अग्रिम योजना

- डीआईपीपी द्वारा वर्ष 2022 की रैंकिंग के लिये 352 कार्यबिन्दु निर्धारित किये गये हैं, जिसमें ईओडीबी तथ ईओएल के बिन्दु भी सम्मिलित है।
- सम्बन्धित विभागों के साथ कार्ययोजना पर चर्चा।
- डीआईपीपी द्वारा निर्धारित 352 कार्यबिन्दुओं के अतिरिक्त सुझाये गये अन्य कार्यबिन्दुओं पर भी कार्य।
- विभिन्न राज्यों में अपनाई गयी बेस्ट प्रेक्टिसेज को लागू करना।
- उद्यमियों से फीडबैक प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया हेतु समुचित व्यवस्था।
- विभागों एवं उद्यमियों को स्थापित व्यवस्थाओं का समुचित लाभ लेने हेतु अभिप्रेरण एवं क्षमता निर्माण।
- राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर **"निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र"** का सुदृढ़ीकरण।
- जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का क्रियान्वयन।

उद्योग मित्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/VII–2–15/146–एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के प्रस्तर–10.1 एवं 10.2 में नीति के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण/निगरानी तंत्र के अधीन राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति तथा राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के गठन का प्राविधान किया गया है। नीति में उल्लिखित प्राविधानों के तहत मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति का गठन किया गया है।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लेगी, जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति में निर्णय सम्भव न हो सके। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य उद्योग मित्र समिति में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों/नीतिगत विषयों को ही निर्णय हेतु विचार के लिये रखा जायेगा तथा राज्य राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण तथा लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय, औद्योगिक इकाईयों की रूग्णता दूर करने के प्रस्तावों पर विचार, औद्योगिक विकास में बाधक नियम/अधिनियम एवं शासनादेश, जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर निर्णय तथा ऐसे बिन्दु/प्रस्ताव, जो एमएसएमई नीति में समाहित नहीं हैं, किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में है, पर विचार एवं निर्णय के लिये प्राधिकृत है। प्राधिकृत समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी तथा बैठक के एजेण्डा में जिला उद्योग मित्र से सन्दर्भित प्रकरणों तथा उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जायेगा।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति के कार्यों में मुख्य रूप से जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभागों से समय–सीमा के अन्तर्गत स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने की समीक्षा, एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों के व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही एवं जिन मामलों को जिला स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सका है, को राज्य स्तर पर विचार/निर्णय के लिये सन्दर्भित करना है। जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस

- एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 के अन्तर्गत प्रत्येक माह के अन्तिम शुक्रवार ''**स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस**'' के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों से जुड़े सभी विभागों/संस्थाओं/बैंकों के अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए अपनी–अपनी योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराते हुये उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 1400/VII-3/19(24)-एमएसएमई/2019
देहरादून दिनांक 06 अगस्त, 2019

राज्य में उद्यमिता एवं रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढाने, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा एवं जनपद के ऋण जमा अनुपात की समग्र समीक्षा एवं राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को नये दृष्टिकोण/कौशल के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर पर **स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति** का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति :-		
1	जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
5	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
6	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
8	सहायक निदेशक डेयरी	सदस्य
9	जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य
10	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11	मुख्य नगर अधिकारी के प्रतिनिधि/अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय	सदस्य
12	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	**संयोजक सदस्य**

नोट :- किसी भी विषय विशेषज्ञ को को आवश्यकतानुसार बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में बुलाया जा सकता है।

1. स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति के कार्य :

- जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति में जिलाधिकारी सभी सम्बन्धित विभागों जैसेः वन, उद्यान, कृषि, पशु पालन, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, समाज कल्याण, डेरी विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास आदि का सहयोग लेते हुए जनपद के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास की कार्ययोजना बनायेंगे। इसमें वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों का समुचित सहयोग सुनिश्चित कराया जायेगा। नीतिगत प्रकरणों को शासन स्तर पर संदर्भित किया जायेगा।

- जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के स्वरोजगार कार्यक्रमों की मैपिंग व वार्षिक लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करना।
- सभी योजनाओं के लिये निर्धारित लक्ष्यों का एकत्रीकरण।
- विभिन्न विभागों की स्वरोजगार सृजन के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित कराना।
- आवेदन पत्रों की सुगमता से उपलब्धता, वांछित प्रपत्र आदि की जानकारी public domain में उपलब्ध होना सुनिश्चित करना।
- पलायन की दृष्टि से चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में संभाव्य गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- जिला स्तर पर ऋण जमा अनुपात की निरंतर समीक्षा तथा ऋण उपलब्धता में सुधार।
- जिला स्तर पर विभिन्न उद्यमियों को बडें निवेशकों के संपर्क में लाकर एन्सीलरी तथा वेण्डर डेवलपमेंट को प्रोत्साहन।
- जिला स्तर पर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को साथ लाते हुये उद्यमिता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का सघन आयोजन।
- स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों को भी एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था का लाभ।
- जनपद स्तर पर उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का केलेण्डर तैयार किया जाना, केलेण्डर के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन तथा कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं एवं बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार सेक्टर विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।
- जनपद स्तर पर संभाव्य उद्यमों/गतिविधियों का चिन्हांकन एवं तद्नुरूप विशेष उद्यमिता कार्यक्रमों का आयोजन।
- महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिये सभी स्वरोजगार योजनाओं में महिलाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाना।
- महिलाओं के मध्य स्वरोजगार योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार।

2. **स्वरोजगार एवं अनुश्रवण समिति** के सचिवालय जिला उद्योग केन्द्र में होगा एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति के बैठकों के आयोजन, अनुश्रवण आदि कार्य किये जायेगें।

3. **उक्त समिति द्वारा प्रत्येक माह में** न्यूनतम एक बार अवश्य बैठक की जायेगी तथा बैठक का कार्यवृत्त महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जिसकी लगातार राज्य स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

4. **समति के कार्यो का वित्त पोषण :–** उक्त समिति का संचालन तथा विभिन्न उद्यमिता प्रोत्साहन गतिविधियों को जिला प्लान की उद्यमकर्ता विकास योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया जायेगा।

ह0/–
(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एंव लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रेरित करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना श्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलित हैं :

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एंव अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अंग के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षकों का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टरों एंव आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एंव नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैं –

दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15–20 व्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15–20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई0आई0टी0/इन्जिनियरिगं कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई0एस0टी0सी0, आदि अन्य विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार संपादित कराये जाने का प्राविधान रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इण्टरप्रीनियरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20–25 व्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्य में लगे फील्ड स्टाफ तथा जनपद के महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, अपर सांख्यकीय अधिकारी, सहायक प्रबन्धक एवं सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) आदि को प्रदेश में व प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर के उच्च कोटी तथा प्रबन्धकीय व तकनीकी संस्थाओं के अधीन उद्योगों की आधुनिक तकनीक व प्रबन्धन में प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे उद्यमियों को आधुनिक परिवेश में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न राजकीय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरप्रिन्यौरशिप एण्ड स्माल विजनिस डवलपमेन्ट (NIESBUD) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग (NISIET) आदि तथा अन्य उपयोगी संस्थानों के तत्वाधान में आयोजित किये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करानें एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिगत देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया है। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जनपद के जिला उद्योग केन्द्र तथा जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।
- इस वित्तीय वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिये 20 लाख तक की विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना के लिये ऋण सुविधा का प्राविधान किया गया है।
- योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15, 25 एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है।

पात्रता :-

- अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से अधिक हो।
- उद्योग क्षेत्र में 10 लाख से अधिक एवं सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की योजना पर लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास होनाा अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया :-

- जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन किया गया है। जिसमें उद्योग, खादी बोर्ड, खादी कमीशन, बैंक व जिला पंचायत के नामित सदस्य टास्कफोर्स के सदस्य होगें।

योजना का क्रियान्वयन :- योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना :-

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को **माह में दो बार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करवाने के निर्देश दिये गये हैं,** व साथ ही अधिक से अधिक आवेदन पत्रों को टास्क फोर्स समिति से संस्तुति करवाकर बैंक शाखाओं को आनलाईन प्रेषित किये जायेंगे।

- बैंको से अपेक्षा है कि उन्हे प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करें व मार्जिन मनी दावे नोडल बैंक को यथा शीघ्र प्रेषित किये जाये। बैंको एवं जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा मिलकर यह सुनिश्चित किया जाय कि मार्जिन मनी लक्ष्य पूर्ति दिसम्बर माह तक हो सके। लक्ष्यों के सापेक्ष अच्छी प्रगति होने की दशा में भारत सरकार से अधिक लक्ष्य हेतु अनुरोध किया जा सके।
- योजना के अन्तर्गत स्वीकृत इकाइयों के लाभार्थियों को पीएमईजीपी ई–पोर्टल में आनलाईन ईडीपी प्रशिक्षण लेने का प्रावधान किया गया है।
- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ब्लॉक लेवल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे व योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जायेगा ताकि अधिकाधिक व्यक्ति योजना का लाभ उठा पायें। इन कार्यक्रमों में बैंको की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है।
- बैको के साथ समन्वय स्थापित कर Awareness Camp आयोजित करवाये जायेंगे। रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण योजना है। अतः निर्देशानुसाार योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत द्वितीय वित्तीय ऋण की व्यवस्था की गयी है, जिसके अंतर्गत जिन उद्यमियों द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण लिया गया है वे अपने उद्यम के विस्तारीकण हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड के ऋण पर रू0 15.00 लाख तकी सब्सिडी (पर्वतीय क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 20 लाख) प्राविधान किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित मार्जिन मनी (करोड़ रू0 में)	सृजित रोजगार
2017–18	1558	28.10	12464
2018–19	2168	40.83	17344
2019–20	1815	34.00	15420
2020–21	2237	45.13	17576
2021–22	1832	39.60	14656
योग :-	**9610**	**187.66**	**77460**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति (वर्ष 2021-22)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	विभाग/संस्था का नाम	लक्ष्य		स्वीकृत मार्जिन मनी		वितरित मार्जिन मनी		रोजगार
		इकाई	मार्जिन मनी	सं0	धन0	सं0	धन0	
1	जिला उद्योग केन्द्र	686	20.69	1033	20.90	993	20.58	7944
2	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	514	15.51	711	15.43	677	14.34	5416
3	खादी ग्रामोद्योग आयोग	514	15.51	182	5.24	162	4.68	1296
	योग :-	**1714**	**51.71**	**1926**	**41.57**	**1832**	**39.60**	**14656**

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)

- प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के समीप रोजगार के अवसर सुलभ कराना है।
- उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- योजना में पात्र गतिविधि : उद्योग, सेवा, व्यवसाय तथा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जिनमें नकदी कृषि/बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, डेरी,मांस प्रसोधन आदि की इकाईयां पात्र हैं।
- **योजना की अधिकतम सीमा :** सेवा तथा व्यवसाय हेतु अधिकतम रू0 10 लाख एवं विनिर्माण हेतु रू0 25 लाख तक की परियोजनाओं पर बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जायेगा।
- लाभार्थी का अंशदान : 10 प्रतिशत सामान्य श्रेणी, 05 प्रतिशत विशेष श्रेणी।
- स्वीकृत/संवितरित ऋण की अदायगी : न्यूनतम 3वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Mortgage) नहीं ली जायेगी।
- अनुदान की मात्रा एवं सीमा : परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत।

परियोजना की पात्रता :

विनिर्माण क्षेत्र	परियोजना की लागत (सीमा)	रू0 25 लाख
सेवा क्षेत्र	परियोजना की लागत (सीमा)	रू0 10 लाख
व्यापार क्षेत्र	परियोजना की लागत (सीमा)	रू0 10 लाख

- **अनुदान**

लागू समय सीमा	अनुदान	क्षेत्र श्रेणी	विनिर्माण गतिविधियां	सेवा गतिविधियां
एक बार	कम से कम 2 साल के लिये कारोबार के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को समायोजित किया जायेगा	श्रेणी 'ए' (पर्वतीय)	25% (अधिकतम 6.25 लाख तक)	25% (अधिकतम 2.50 लाख तक)
		श्रेणी 'बी' (पर्वतीय)	20% (अधिकतम 5 लाख तक)	20% (अधिकतम 2 लाख तक)
		श्रेणी 'बी+'		
		श्रेणी 'सी'	15% (अधिकतम 3.75 लाख तक)	15% (अधिकतम 1.50 लाख तक)
		श्रेणी 'डी'		

टिप्पणी :- एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार श्रेत्रीय वर्गीकरण (यथासंशोधित 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) (वर्ष 2020-21 तक प्रगति)

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई	लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत	बैंकों द्वारा वितरित
1	नैनीताल	संख्या	250	298	270
2	उधमसिंहनगर	संख्या	200	254	214
3	अल्मोड़ा	संख्या	250	294	217
4	पिथौरागढ़	संख्या	250	285	268
5	बागेश्वर	संख्या	200	282	220
6	चम्पावत	संख्या	250	345	290
7	देहरादून	संख्या	200	248	243
8	पौड़ी	संख्या	250	374	288
9	टिहरी	संख्या	250	269	159
10	चमोली	संख्या	250	276	270
11	उत्तरकाशी	संख्या	250	451	282
12	रूद्रप्रयाग	संख्या	200	246	231
13	हरिद्वार	संख्या	200	242	201
	योग :-		**3000**	**3864**	**3153**

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)

(वर्ष 2021-22)

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य (संख्या में)	बैंकों द्वारा स्वीकृत (संख्या में)	बैंकों द्वारा वितरित (संख्या में)
1	नैनीताल	425	413	350
2	उधमसिंहनगर	340	385	222
3	अल्मोड़ा	425	320	269
4	पिथौरागढ़	425	480	424
5	बागेश्वर	340	480	379
6	चम्पावत	425	418	358
7	देहरादून	340	461	401
8	पौड़ी	425	510	401
9	टिहरी	425	477	291
10	चमोली	425	627	615
11	उत्तरकाशी	425	507	281
12	रूद्रप्रयाग	340	369	312
13	हरिद्वार	340	387	281
	योग :-	**5100**	**5834**	**4584**

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम

- वैश्विक महामारी कोविड–19 तथा लॉकडाउन के कारण ग्रामीण तथा शहरी छोटे व्यवसायी/उद्यमी/पथ विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह छोटे व्यवसायी/उद्यमी आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस पूंजी का उपयोग अपने दैनिक वस्तुओं की खरीद में करने के कारण व्यवसाय/उद्यम के संचालन के लिए उनके पास पूंजी का अभाव बना हुआ है।
- उत्तराखण्ड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में **मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैना) उद्यम योजना** अक्टूबर, 2021 में लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रू0 50,000 तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अति सूक्ष्म उद्यमों/व्यवसाय (Nano Enterprise), जैसेः सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अण्डे आदि की बिक्री, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज प्वाइंट, ब्यूटी पार्लर, इम्ब्रॉयड्री, सिलाई–बुनाई, बुक बाईंडिंग, स्क्रीन पिंटिंग, चूड़ी वाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप/अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, रिंगाल कार्य, पेपर बैग निर्माण, कैण्डिल निर्माण, देसी गाय पालन, मशरूम की खेती, साग–सब्जी उगाना, मत्स्य पालन, मशीन रिपेयरिंग, फूल विक्रेता, कार वाशिंग, ब्लॉगिंग, ट्यूबर, बार्बर, कॉबलर्स, पैन शॉप्स, डेयरी, बैकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन/मीट शॉप, छोटी बेकरी, कारपेन्ट्री, लौहारगिरी, लॉण्ड्री आदि ऐसी प्रमुख गतिविधियां हैं, जो कोविड–19 के कारण अत्यधिक प्रभावित हुई हैं।
- अनुदान/ग्राण्ट का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विकसित पोर्टल www.msy.uk.gov.in के माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) द्वारा किया जायेगा।
- **अनुदान की अधिकतम सीमा (परियोजना लागत पर) :-**

श्रेणी	**सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु**	**अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिंछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु**
श्रेणी 'ए' (पर्वतीय)	35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 17,500/–	40 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20,000/–
श्रेणी 'बी' (पर्वतीय)	30 प्रतिशत, अधिकतम रू0 15,000/–	35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 17,500/–
श्रेणी 'बी+'		
श्रेणी 'सी'	25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 12,500/–	30 प्रतिशत, अधिकतम रू0 15,000/–
श्रेणी 'डी'		

टिप्पणी :- एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार श्रेत्रीय वर्गीकरण (यथासंशोधित 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021)

एक जनपद दो उत्पाद

- बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ–मेटेरियल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच व नवोन्मेश के आधार पर नया रूप दिये जाने की संभावनाओं के दृष्टिगत एवं उपलब्ध संसाधनों का यथोचित उपयोग करते हुये, उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों को चिन्हित करते हुये, उनके उत्पादन को बढावा दिये जाने हेतु एवं प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास तथा स्थानीय लोगों की आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से **एक जनपद दो उत्पाद योजना** सितम्बर, 2021 में लागू की गयी है।
- इस योजना को सफल बनाने के लिए बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास तथा डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ मैटीरियल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच एवं नवोन्मेष के आधार पर नया रूप दिया जाना प्रस्तावित।
- **योजना का क्रियान्वयन :** उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (PMU) की स्थापना की जायेगी।
- **योजना के विभिन्न अवयवों की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन सहायता :**
- **मार्जिन मनी सहायता :** प्रत्येक जनपद में चिन्हित ओडीटीपी उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के लिए नयी एवं पूर्व से कार्यरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, एमएसएमई नीति–2015, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना आदि से डवटेलिंगं
- **सामान्य सुविधा केन्द्र सहायता :** योजनान्तर्गत सामूहिक सुविधाआ केन्द्रों का विकास भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, जैसे क्लस्टर विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, स्फूर्ति योजना, डीसी हैण्डलूम एवं डीसी हैण्डीक्राफ्ट की सामान्य सुविधा केन्द्र योजना/राज्य की ग्रोथ सेन्टर योजना से डवटेलिंग करते हुए किया जायेगा।
- **कौशल/उद्यमिता विकास :** कौशल विकास हेतु जनपदवार चिन्हित किये गये उत्पादों के निर्माण के कौशल में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उत्पाद में गुणात्मक सुधार करना एवं उत्पादक में उद्यमिता का संचार करना है जिससे उत्पाद की बाजार मांग में वृद्धि हो तथा उत्पादक को मूल्य वृद्धि का लाभ पहुँचे।
- **डिजाइन विकास :** डिजाइनर्स की सहायता से डिजाइन डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के डिजाइन विकास हेतु विकास आयुक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से डवटेलिंग करते हुए प्रोटोटाइप विकास किया जायेगा।

- **पैकेजिंग एवं लैबलिंग :** पैकेजिंग एवं लैबलिंग विकास पर हुए व्यय भार की प्रतिपूर्ति हेतु एक बार में 90 प्रतिशत तक एक मुश्त सहायता दिये जाने हेतु योजनान्तर्गत बजट में आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

- **विपणन सहायता :** जनपद/राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला, प्रदर्शनी एवं सेमिनार/बायर सेलर मीट में प्रतिभाग पर स्टाल किराया/आने जाने का व्यय प्रतिपूर्ति तथा आवास के लिए सामूहिक व्यवस्था आनलाइन मार्केटिंग/पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं/राज्य सरकार की मार्केटिंग योजना के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

- **ब्राण्डिंग :** चिन्हित ODTP उत्पादों की ब्रान्डिंग के लिए बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी गेस्ट हाउस, अदि स्थानों पर ODTP लोगो यूक्त ग्लो साइन बोर्ड, होर्डिंग्स, फलैक्स बैनर आदि के माध्यम से। विभाग द्वारा चिन्हित उत्पादों के विपणन हेतु शो केस/विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हथकरघा, भारत सरकार की योजनाओं से डवटेलिंग कर सहायता प्रदान की जायेगी।

- **पात्र गतिविधियां :** पात्र गतिविधियों में एक जनपद दो उत्पाद योजना में जनपद हेतु चिन्हित दो उत्पादों के विर्निमाण/सेवा तथा राज्य के सभी 26 उत्पादों के व्यवसाय से सम्बन्धित गतिविधि शामिल है

एक जनपद दो उत्पाद की चिन्हित सूची

क्र. सं.	जिला	जिलो में बनने वाले मुख्य उत्पाद	जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा चिन्हित अग्रणी उत्पाद	एमएसएमई विभाग द्वारा चिन्हित एक जिला दो उत्पाद
1.	अल्मोडा	1. ट्वीड 2. बाल मिठाई 3. ऐपण 4. वेलनेस पर्यटन 5. हैंडलूम व हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 6. ताम्र उत्पाद 7. नेचुरल फाइबर	1. वेलनेस पर्यटन 2. हैंडलूम व हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद	1. ट्वीड (Tweed) 2. बाल मिठाई (Bal Mithai)

2.	बागेश्वर	1. ताम्र शिल्प उत्पाद 2. अनाजयुक्त बेकरी उत्पाद 3. मण्डुवा बिस्कुट 4. हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट उत्पाद 5. पर्यटन 6. हस्तशिल्प उत्पाद 7. पेट ब्रीडिंग	1. पर्यटन 2.हस्तशिल्प उत्पाद	1. ताम्र शिल्प उत्पाद (Copper Artefacts) 2. मण्डुवा बिस्कुट (Manduwa Biscuits)
3.	चम्पावत	1. लौह शिल्प उत्पाद 2. हाथ से बुने उत्पाद 3. दुग्ध उत्पाद 4. शहद 5. कृषि एवं सह उत्पाद	1. लौह शिल्प उत्पाद 2. दुग्ध उत्पाद	1. लौह शिल्प उत्पाद (Iron Crafts Products) 2. हाथ से बुने उत्पाद (Hand Knitted products)
4.	चमोली	1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 2. बिच्छु घास उत्पाद 3. नेचुरल फाइबर 4. राजमा 5. एरोमेटिक हर्बल उत्पाद 6. फल आधारित उत्पाद 7. शहद 8. गुलाब जल 9. हर्बल ग्रीन टी	1. राजमा 2. एरोमेटिक हर्बल उत्पाद	1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद (Handloom and Handicrafts Products) 2. एरोमेटिक हर्बल उत्पाद (Aromatic Herbal Products)
5.	देहरादून	1. बेकरी उत्पाद 2. मशरूम 3. बासमती 4. फार्मा प्रोडक्टस 5. रेडीमेड गारमेंटस 6. लींची उत्पाद	1. बासमती 2. फार्मा प्रोडक्टस	1. बेकरी उत्पाद (Bakery Products) 2. मशरूम (Mushroom)
6.	हरिद्वार	1. जगरी 2. खांडसारी 3. हनी 4. आटोमूवील्स 5. पाटरी 6. फार्मा प्रोडक्टस	1. फार्मा प्रोडक्टस 2. आटोमूवील्स	1. जगरी (Jaggery) 2. हनी (Honey)

7.	नैनीताल	1. कैंडल क्राफ्ट 2. ऐपन क्राफ्ट 3. प्रोसेसड फूट 4. लेमन ग्रास प्रोडक्ट्स	1. प्रोसेसड फूट 2. ऐपन क्राफ्ट	1. ऐपन क्राफ्ट (Aipan Craft) 2. कैंडिल क्राफ्ट (Candle Craft)
8.	पिथौरागढ़	1. मंडुवा रागी 2. मुंस्यारी राजमा 3. ऊनी कारपेट्स 4. अमेश उत्पाद 5. नमकीन चाय	1. मंडुवा रागी 2. मुंस्यारी राजमा	1. ऊनी कारपेट्स (Woolen Carpets) 2. मुंस्यारी राजमा (Munsyari Rajma)
9.	पौड़ी	1. हर्बल मेडीसिन 2. एग्री एव एलाइड प्रोडक्टस 3. वुडन फर्नीचर 4. लेमनग्रास आयल	1. हर्बल मेडीसिन 2. एग्री एव एलाइड प्रोडक्ट्स	1. हर्बल उत्पाद (Herbal Products) 2. वुडन फर्नीचर (Wooden Furniture)
10.	रूद्रप्रयाग	1. हैंडीक्राफ्ट मंदिर उत्पाद 2. हैंडीक्राफ्ट उत्पाद 3. मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प 4. प्रसाद उत्पाद 5. रामदाना उत्पाद 6. एग्री एलाइड प्रोडक्ट्स	1. हैंडीक्राफ्ट उत्पाद 2. रामदाना उत्पाद	1. मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प (Mandir Imitation Handicrafts) 2. प्रसाद उत्पाद (Prasad Products)
11.	टिहरी	1. नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स 2. टिहरी नथ 3. एडवेंचर टूरिज्म 4.हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स 5. अदरक उत्पाद	1. एडवेंचर टूरिज्म 2. हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स	1. नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स (Natural Fiber Products) 2. टिहरी नथ {Tehri Nath (Traditional Nose Ring)}
12.	उद्यमसिंह नगर	1. मेंथा आयल 2. मूंज ग्रास उत्पाद 3. ब्लाक पिंटेड उत्पाद 4. फूड प्रोडक्ट्स 5. राइस एवं लींची 6. आटोमूवील्स	1.राइस एवं लींची 2. आटोमूवील्स	1. मेंथा आयल (Mentha Oil) 2.मूंज ग्रास उत्पाद (Moonj Grass Products)
13.	उत्तरकाशी	1. उनी हस्तशिल्प (बैंडी उत्पाद) 2. एप्पल फूट बेस उत्पाद 3. राजमा 4. वूलन प्रोडक्ट्स	1. एप्पल 2. राजमा 3. वूलन प्रोडक्ट्स	1. ऊनी हस्तशिल्प (बैंडी उत्पाद) {Woolen Handicrafts (Bandy Products)} 2. एप्पल फ्रूट बेस उत्पाद (Apple Fruit based Products)

उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज फौसिलिटेसन काउन्सिल

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 प्रवर्त होने से पूर्व लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम–1993 के अधीन विलम्बित संदाय के भुगतान हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2221/औ0वि0/182–उद्योग/ 2001 दिनांक 6 नवम्बर, 2001 से उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल नियम–2001 प्राख्यापित किये गये थे। उक्त अधिनियम की धारा–32(1) द्वारा लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम–1993 को निरसित कर दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–5 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान पर संदाय प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम की धारा–30(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कियान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी तथा धारा–30, उपधारा–2(क) के अधीन विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद की संरचना, सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और धारा–23 की उपधारा–3 के अधीन परिषद के सदस्यों के कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रकिया का निर्धारण कर सकेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद 3 से अधिक किन्तु 5 से कम सदस्यों से मिलकर गठित की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार के उद्योग विभाग में नियुक्त निदेशक उद्योग पदेन अध्यक्ष तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के संगमों/संगठनों के एक या अधिक पदाधिकारी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के एक या अधिक प्रतिनिधि, उद्योग, वित्त, विधि, वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्ति को सदस्य नामित किया जायेगा।

यह परिषद अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम–1996 के प्राविधानों के तहत दावों पर आपसी बातचीत व सुनवाई कर दावों का निस्तारण करेगी। संख्या–2896/सात–2–10/182/ उद्योग/2001/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा–30 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2010 को उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद नियमावली–2010 प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली में कतिपय संशोंधनों के साथ संशोधित नियमावली 2018 प्रख्यापित की गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरता परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को आयोजित की गई। **विगत वर्षो की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-**

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त दावों की संख्या	कुल धनराशि (रू0 करोड़ में)	निस्तारित दावों की संख्या	निस्तारित कुल धनराशि (रू0 करोड़ में)	अस्वीकृत दावों की संख्या	अस्वीकृत कुल धनराशि (रू0 करोड़ में)	पारस्परिक समझौते से निस्तारित मामलों की संख्या	पारस्परिक समझौते से निस्तारित मामलों की कुल धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	2017-18	48	12.94	47	12.83	6	0.54	18	3.95
2	2018-19	83	15.09	24	10.04	1	0.09	6	1.55
3	2019-20	55	29.73	25	3.58	3	0.66	1	0.02
4	2020-21	88	48.49	42	38.71	4	1.01	8	3.41
5	2021-22	84	57.41	43	40.11	3	0.72	3	1.32
Total		**358**	**163.66**	**181**	**105.27**	**17**	**3.02**	**36**	**10.25**

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या:1242/VII-3-9/143-उद्योग/2003
देहरादूनः दिनांकः 20 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–संख्या : 1242/VII-3-19/143–उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 से उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–261/VII-2-14/143-उद्योग/2003, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत क्रय वरीयता नीति तथा परिपत्र संख्या :–1314(1)/VII-2-17/143–उद्योग/2003, दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अतिक्रमित करते हुए तथा वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 126/XXVII(7)32/2007 टीसी/2019, दिनांक 12 जुलाई, 2019 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के **सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं के शासकीय उपापन (Public Procurement) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने** हेतु **क्रय वरीयता नीति-2019** लागू की गयी है।

यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

यह नीति उन सूक्ष्म व लघु उद्यमों तथा स्टार्टप्स पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग विभाग से लघु उद्योग स्थायी पंजीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 (MSMED Act-2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) की अभिस्वीकृति अथवा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार प्राप्त किया हो या जिनको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप कॉउंसिल से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता मिली हो।

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, समान, पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा।

क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प, स्टार्टप्स सहित) को प्रदेश के मध्यम व बृहत उद्यमों और प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें, न्यूनतम दर (L_1) से अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत हो। परन्तु राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिये अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।

निविदा में प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित), जिसने L_1+10 प्रतिशत (श्रेणी ए व बी के वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिये L_1+15 प्रतिशत) मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है और ऐसी परिस्थिति में जहां प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित) के अतिरिक्त L_1 दरें किसी अन्य इकाई की हों, वहां प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म व लघु उद्यमों की मूल्य की दरें L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर उन्हें आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। ऐसे एक से अधिक प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से (निविदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

सामग्री/सेवाओं के उपापन के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विभाग/संस्थान/उपक्रम/निकाय के लिये प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा–हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) से न्यूनतम 25 प्रतिशत उपापन करना आज्ञापक (Mandatory) होगा। सूक्ष्म व लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अन्दर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से खरीद के लिये 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

संव्यवहार लागत में कमी– संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को निशुल्क निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराकर निविदा हेतु निश्चित अग्रिम राशि (EMD) में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी।

राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर, विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (Pre-qualification) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा ऑपरेशन्स और उपकरण जहाँ पर विनिर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा व परिचालन का अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो, सालाना टर्नओवर तथा पूर्व अनुभव की शर्त में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

ग्रोथ सेन्टर योजना

ग्रोथ सेन्टर को Accelerated Development हेतु चिन्हित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें बैबवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेज विकसित किये जाने हेतु आवश्यक पूंजी निवेश सरकारी एवं निजी क्षेत्र के समन्वय से सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रोथ सेन्टर एक ऐसा क्षेत्र होगा, जो अपनी परिधि में चिन्हित उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन की दृष्टि से विकसित करेगा।

ग्रोथ सेन्टर मुख्यतः उत्पाद आधारित (Product based) या सेवा आधारित (Service based) हो सकता है। ये केन्द्र मुख्यतः अपने पृथक अग्रणी आर्थिक गतिविधि के चलते विशिष्ट आर्थिक केन्द्र होंगे।

1 उद्देश्य :-

(1) ग्रोथ सेन्टर की स्थापना मुख्यतः अग्रणी उत्पाद (लीड प्रॉडक्ट)/सेवा के चिन्हांकन, जिसमें, Critical Gaps को दूर कर आर्थिक गतिविधि के प्रसार द्वारा क्षेत्र विशेष का विकास करना।

(2) क्लस्टर आधारित एप्रोच पर सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों के सफल संचालन हेतु सक्षम उद्यमी/कृषक उत्पादक/शिल्पकार एवं बुनकर को संगठित कर इसके निरन्तर व्यवसाय हेतु सुगमीकरण करना।

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में सामूहिक सपोर्टिव कार्यक्रमों के संचालन जैसे सामूहिक सुविधा केन्द्रों, टेस्टिंग लैब एवं अन्य अवस्थापना सृजन हेतु क्षमता विकास।

(4) क्लस्टर स्तर पर चयनित/प्रोत्साहित उद्यम गतिविधि हेतु आवश्यक इनपुट्स जैसेः नवीन तकनीक का समावेश, मशीनरी एवं उपकरण, डिजाइन, पैकेजिंग व विपणन सम्बन्धी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता हेतु आवश्यक लिंकेज स्थापित करना।

(5) उद्यमीय गतिविधि के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय समावेश एवं उपलब्ध प्रोत्साहन योजना के प्रति भावी उद्यमियों को जागरूक करना।

(6) क्लस्टर स्तर पर उपलब्ध उत्पाद की उपलब्धता का आंकलन, विपणन हेतु उपलब्ध सरप्लस, जिसमें अर्द्धप्रसंस्कृत/मूल्य सवंर्द्धित उत्पाद हेतु संग्रहणकर्ता ग्रुप एवं कार्यकर्ता के बीच संयोजन एवं सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(7) क्लस्टर स्तर पर संचालित प्रोत्साहित उद्यम/उत्पाद को बाजार अवसर, व्यवसाय चयन, व्यवसायिक योजना विकास व वित्तीय समावेशन हेतु Mentoring की सुनिश्चितता।

(8) उत्पादों हेतु ब्राण्ड का विकास, पैकेजिंग का विकास एवं टेस्टिंग लैब, सामान्य सुविधा केन्द्र, डिजाइन स्टूडियो, इग्जीविशन कम ट्रेड सेन्टर आदि का विकास। विपणन सुविधाओं हेतु ई–मार्केटिंग तथा विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग।

(9) स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तीव्र अभिवृद्धि के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित कर युवाओं के पलायन पर अंकुश।

2 यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 सितम्बर, 2018 से प्रारम्भ की गयी है।

3 योजना के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन :–

(1) ग्रोथ सेन्टर के नोटीफाइड क्षेत्र में ग्रोथ सेन्टर के Accelerated Growth हेतु वांछित Infrastructure/Support हेतु किये गये राजस्व व पूंजीगत व्यय योजना के अधीन पात्र होंगे। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तावित ग्रोथ सेन्टर का भारत सरकार/राज्य सरकार/वाह्य सहायतित योजनाओं में प्रथमतः वित्तपोषण हेतु प्रयास किया जायेगा।

(2) अन्य श्रोतों से उपलब्धता न होने पर, ग्रोथ सेन्टर योजना में Capital Grant व Consultancy Services हेतु एक बार अनुदान अनुमन्य होगा।

(3) अनुवर्ती व्यय (Reccuring Cost) हेतु सम्बन्धित विभाग अपने वार्षिक बजट में प्राविधान करेंगे। योजना में पद सृजन की अनुमति नहीं होगी।

(4) विभाग आवश्यकतानुसार निजी निवेश/निवेशक को आमंत्रित कर सकते हैं। यदि फारवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज हेतु निजी निवेश/निवेशक को आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें भी एमएसएमई नीति के अधीन श्रेणी–ए के जनपदों हेतु निर्धारित अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम रू. 40 लाख तक निवेश प्रोत्साहन सहायता चिन्हित ग्रोथ सेन्टर्स में अनुमन्य होगी।

i ग्रोथ सेन्टर योजना में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन संचालित योजनाओं में अनुमन्य उपादान निश्चित मद हेतु (Particular Component) एक ही श्रोत से लिये जाने की अनुमन्यता होगी।

ii ग्रोथ सेन्टर योजना में ग्रोथ पर आधारित गतिविधियों जिन्हें विभाग इंगित करें पर ही व्यय अनुमन्य होगा।

iii Term Loan पर ब्याज उपादान में 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख प्रतिवर्ष तक की प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्ष हेतु।

iv सम्बन्धित फर्म/इकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (B2C) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य ITC के समायोजन के उपरान्त जमा किये गये SGST में 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 20 लाख प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(5) एन0आर0एल0एम0 के अधीन गठित महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन (FPO), कृषक सहकारी संगठन भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

4 योजना का संचालन :–

i ग्रोथ सेन्टर के चयन का अनुमोदन/स्वीकृति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जायेगी।

ii योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

iii सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ग्रोथ सेन्टर योजना हेतु नोडल विभाग होगा।

जनपदवार विभागवार स्वीकृत ग्रोथ सेन्टर

जनपद का नाम	ग्रोथ सेन्टर की संख्या	क्रियान्वयन एजेन्सी
पिथौरागढ़	11	आईटीडीए–1, आईएलएसपी–4, ऊन बोर्ड–2, मत्स्य–1, यूएसआरएलएम–1, जलागम–1, वन–1
बागेश्वर	10	आईएलएसपी–4, ऊन बोर्ड–1, मत्स्य–1, यूएसआरएलएम–1, डेयरी–1, कृषि–1, जलागम–1,
अल्मोड़ा	9	आईएलएसपी–6, जलागम–1, एमएसएमई–1, पशु आहार–1
चम्पावत	5	यूएसआरएलएम–3, जलागम–2
नैनीताल	11	खादी बोर्ड–1, यूएसआरएलएम–6, एमएसएमई–1, जलागम–3
ऊधमसिंहनगर	7	यूएसआरएलएम–4, मत्स्य–1, ग्राम्य विकास–1, एमएसएमई–1
चमोली	15	डेयरी–1, आईएलएसपी–5, ऊन बोर्ड–2, मत्स्य–3, एमएसएमई–2, खादी बोर्ड–1, यूएसआरएलएम–1
रूद्रप्रयाग	10	डेयरी–1, आईएलएसपी–2, ऊन बोर्ड–1, मत्स्य–1, उद्यान–1, जलागम–2, यूएसआरएलएम–2
उत्तरकाशी	10	आईएलएसपी–2, ऊन बोर्ड–3, मत्स्य–1, उद्यान–1, पर्यटन–1, जलागम–1, उद्योग/एम.एस.एम.ई–1
टिहरी	6	जलागम–1, आईएलएसपी–2, ऊन बोर्ड–1, मत्स्य–1, यूएसआरएलएम–1
पौड़ी	9	जलागम–4, आईएलएसपी–1, यूएसआरएलएम–3, एनआरएलएम–1
देहरादून	6	जलागम–2, आईएलएसपी–1, डेयरी–1, यूएसआरएलएम–1, आईटीडीए–1,
हरिद्वार	3	यूएसआरएलएम–1, मत्स्य–2
योग :-	**112**	

ग्रोथ सेन्टर जनपदवार विवरण

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	पौड़ी	9	3563	8	चमोली	15	4650
2	अल्मोड़ा	9	6170	9	उत्तरकाशी	10	2614
3	देहरादून	6	1260	10	हरिद्वार	3	123
4	बागेश्वर	10	3288	11	उधमसिंह नगर	7	2399
5	टिहरी	6	2553	12	नैनीताल	11	5149
6	पिथौरागढ़	11	3134	13	चम्पावत	5	873
7	रूद्रप्रयाग	10	2512	**योग :-**		**112**	**38308**

गतिविधिवार स्वीकृत ग्रोथ सेंटर

गतिविधि	स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या	गतिविधि	स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या	गतिविधि	स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या
एग्री बिजनेस आधारित	38	शहद एवं मौन पालन आधारित	4	प्रसाद आधारित	5
बेकरी आधारित	5	एलईडी उत्पादन आधारित	2	मसाला उत्पाद आधारित	5
डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद आधारित	6	शिल्प आधारित	5	फल प्रसंस्करण आधारित	6
मत्स्य आधारित	11	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित	2	हथकरघा व क्विल्ट आधारित	3
ऑर्ग्रेनिक ऊन आधारित	10	पर्यटन आधारित	2	पशुआहार आधारित	1
ऐरोमा आधारित	4	मुर्गी पालन	1	खिलौना	1
पेपर मेकिंग	1				

माटी कला बोर्ड

प्रदेश सरकार द्वारा कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति के लिए माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक सहायता एवं विपणन के उद्देश्य से **(उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड)** का गठन किया गया।

बोर्ड के कार्य :

- माटी कला उद्योगों से सम्बन्धित अधोसंरचना की सुविधाएं यथा–बिजली पानी, सड़क, आदि की व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शेड आवंटन हेतु सुझाव देना।
- टैक्स, खनिज रायल्टी आदि पर युक्तियुक्त नीति बनाना।
- संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना।
- तकनीकी सहायता हेतु मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना।
- उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु मेला–प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कराना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला से जुड़े शिल्पियों को 60 विद्युत चालित चाक वितरित की गई।

हथकरघा योजनायें

हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजनायें

(विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की योजनायें) :-

(1) एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना

(Integrated Development and Promotion of Handicrafts)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के 24300 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किये जाने हेतु वर्ष 2014–15 में परियोजना स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों में दो माह की 144 एवं पांच माह की 38 डिजाइन वर्कशॉप आयोजित की गई हैं जिनमें 5,840 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से बायर सेलर मीट, लोकल लेविल मार्केटिंग वर्कशॉप, राज्य स्तरीय विपणन कार्यशाला तथा राज्य स्तर पर 08 प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। **सभी 15 ब्लॉकों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें विभिन्न शिल्पों में मशीन एवं उपकरण स्थापित किये गये।**

क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	शिल्प
	चमोली	जोशीमठ	जूट, काष्ठ, कार्पेट, प्राकृतिक रेशा
		कर्णप्रयाग	रिंगाल, काष्ठ, कार्पेट, वूलन
	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रिंगाल, कार्पेट
		धारचूला	कार्पेट
	ऊधमसिंहनगर	खटीमा	मूंज
		जसपुर	ब्लॉक प्रिटिंग, चिन्दी दरी
	उत्तरकाशी	डुण्डा	रिंगाल, वुड, वूलन, कार्पेट
		भटवाड़ी	रिंगाल, वुड, वूलन, कार्पेट
	टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	रिगाल
	नैनीताल	हल्द्वानी	ऐपण, जूट
	रूद्रप्रयाग	उखीमठ	रिंगाल
	देहरादून	सहसपुर	जूट
	बागेश्वर	बागेश्वर	ताम्र शिल्प, कार्पेट
	हरिद्वार	रूड़की	पॉटरी, जूट
	अल्मोडा	हवालबाग	ऐपण, ताम्रशिल्प

(2) मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

(I) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के 5 जनपदों (जनपद पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल) में वुडन, वूलन, हैंड निटिंग, हैंड इम्ब्राइडरी एवं ऐपण शिल्प में चार माह के छः तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम धनराशि रू0 60,05,560.00 स्वीकृत किये गये हैं जिनमें सामान्य वर्ग के 120 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(II) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में जनपद टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ, अल्मोडा, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर एवं रूद्रप्रयाग में पांच माह के 9 एकीकृत डिजाइन विकास प्रोजेक्ट क्रमशः प्राकृतिक रेशा, कार्पेट, ताम्र शिल्प, नमदा, ब्लॉक प्रिटिंग, रिंगाल एवं बैम्बू पर आयोजित किये जाने हेतु प्रति परियोजना धनराशि रू0 14,85,000.00 के सापेक्ष रू0 133.65 करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं जिनका संचालन किया जा रहा है। जिसमें सामान्य, अनूसूचित जाति एवं जनजाति के 360 शिल्पियों को उक्त चिन्हित शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(III) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के विभिन्न जनपदों यथा देहरादून, चम्पावत, नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में दो माह के 12 तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः क्रोशिया, जूट, वूलन, हैंड निटिंग एवं ऐपण शिल्प की 12 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं जिसमें 240 सामान्य वर्ग के शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(3) इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं टेक्नोलॉजी सपोर्ट योजना (Infrastructure & Technology Support Scheme)

(I) उक्त योजनान्तर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, परिसर, देहरादून में इम्पोरियम स्थापित किये जाने हेतु धनराशि रू0 33.30 लाख की परियोजना वर्ष 2019–20 में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के पक्ष में स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून के परिसर में हिमाद्रि इम्पोरियम का निर्माण सम्बन्धी कार्य पूर्ण करते हुये 20 सितम्बर, 2021 को मा0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया।

(II) राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु **(उत्तराखण्ड सदन)**, नई दिल्ली में "हिमाद्रि इम्पोरियम" की स्थापना उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के द्वारा की जा चुकी है जिसका उद्घाटन दिनांक 21–2–2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।

(4) (विकास आयुक्त (हथकरघा) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की योजनायें)

नैशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

(National Handloom Development Programme)

विकास आयुक्त (हथकरघा) भारत सरकार द्वारा बुनकरों को विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना में आवश्यक संशोधन करते हुये, नैशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम योजना संचालित की गई है जिसके अन्तर्गत निम्न प्रकार ब्लॉक लेविल क्लस्टर योजनायें संचालित की जा रही हैं।

I. ब्लॉक लेविल कलस्टर, मटेना, दीनापानी (अल्मोड़ा) :-

भारत सरकार द्वारा परिषद को वित्तीय वर्ष 2017–18 में मटेना, दीनापानी (अल्मोड़ा) में धनराशि रू0 114.12 लाख की परियोजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 30.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किये जाने हेतु बुनकर सेवा केन्द्र, चमोली को धनराशि रू0 15.64 लाख तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा को धनराशि रू0 2.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। परियोजना के अन्तर्गत 280 बुनकरों को आच्छादित किया जा रहा है।

II. ब्लॉक लेविल कलस्टर, बाबरखेड़ा , जसपुर उधमसिहनगर

बाबरखेड़ा, जसपुर, ऊधमसिंहनगर में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 137.040 लाख की ब्लॉल लेविल क्लस्टर परियोजना स्वीकृत की गई है एवं प्रथम किस्त में 5.40 लाख की धनराशि परिषद के पक्ष में अवमुक्त की गई है। परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है।

इन ब्लॉक लेविल क्लस्टरों के अन्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

(1) बुनकर समूहों का गठन

(2) यार्न डिपो की स्थापना

(3) डिजाइनो का विकास

(4) सामान्य सुविधा केन्द्र/रंगाई घर की स्थापना

(5) प्रचार–प्रसार

(6) बुनकरो को करघे एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराना

(7) बुनकरो को प्रशिक्षण प्रदान कराना

(8) बुनकरों को कार्यस्थल उपलब्ध कराना

2. राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें :-

(1) शिल्पी पेंशन योजना :-

उत्तराखण्ड राज्य के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शिल्पियों हेतु पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ऐसे शिल्पी जो समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहें है तथा जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है का चयन जनपद स्तर पर चयनित समिति द्वारा चयन किये के उपरांत उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप रू0 400/– प्रति माह की दर से उद्योग विभाग द्वारा शिल्पी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11 जनपदों में 313 शिल्पियों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

(2) थारू बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना :-

योजनान्तर्गत राज्य के थारू–बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा सम्पादित किये गये प्रचलित शिल्पों के साथ–साथ बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप परम्परागत एवं नवीन शिल्पों में विभिन्न डिजाईनों में नये उत्पाद विकसित होंगे तथा प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के कौशल में अभिवृद्वि होने के फलस्वरूप रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। योजनान्तर्गत 20 महिलाओं के समूहों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक 10 महिला समूहों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है।

(3) उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार योजना :-

योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के सरंक्षण, संर्वद्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सिद्ध हस्त शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को **उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न** पुरूष्कार योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत शिल्पी को पुरूष्कार स्वरूप रू0 1.00 लाख की धनराशि, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 50 शिल्पियों को पुरूष्कार प्रदान किये गये।

दिनांकः 07.01.2022 को राज्य के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से निम्न 04 शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न

पुरूष्कार प्रदान किये गये। पुरूष्कृत शिल्पियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति–पत्र, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह् एवं रू0 1.00 लाख की राशि से सम्मानित किया गया।

1. डॉ यशोधर मठपाल, लोक संस्कृति संग्रहालय, गीताधाम, भीमताल(नैनीताल)
2. श्री कंवर पाल, ग्राम सकौती, पो0 गुरूकुल, नारसर, हरिद्वार।
3. श्रीमती विमला देवी, ग्राम व पो0 शेरपुर, विकासनगर, देहरादून।
4. श्री धर्म प्रसाद,रानीचौरी, जगधार, टिहरी गढ़वाल।

(4) हथकरघा, हस्तशिल्प एवं लघु उद्यम पुरूष्कार योजना :-

जनपद स्तर पर हथकरघा, हस्तशिल्प एवं लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत उक्त तीनों विधाओं में जनपद स्तर पर उत्पादों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है ताकि वे इन उत्पादों को अधिकाधिक रूप से तैयार कर विपणन कर सकें। जनपद स्तर पर चयनित किये गये पुरूष्कृत उत्पादों को राज्य स्तर पर चयन किया जाता है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन एवं पर्यटन के साथ शिल्पों के विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को **"हिमाद्रि"** ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। ऑनलाईन मार्कटिंग में ।ज्ञंवद (अमेजन) के साथ टाईअप किया गया है।

हिमाद्रि उत्पादों की Flipkart ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्चिंग

उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के समृद्ध विकास हेतु एक शीर्ष संस्था है। परिषद के अन्तर्गत राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प

उत्पादों का विपणन प्रोत्साहन **"हिमाद्रि ब्राण्ड''** नेम के माध्यम से किया जा रहा है। परिषद में NIFT, NID, IICD एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रशिक्षित डिजाइनरों के मार्गदर्शन में राज्य के विभिन्न जनपदों में बुनकरों एवं शिल्पियों के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों **जैसे- ताम्र शिल्प, ऐंपण, काष्ठ शिल्प, बैम्बू, रिंगाल, मूंज उत्पाद, शॉल, कालीन, स्टॉल, पंखी आदि** उत्पादों को विकसित कर, हिमाद्रि इम्पोरियमों के माध्यम से विपणन किया जा रहा है। राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी विपणन के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Flipkart समर्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत Flipkart पोर्टल पर लॉन्चिंग की गयी।

राज्य के विभिन्न जनपदों जैसे–जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल में ऐंपण शिल्प, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा में ताम्र शिल्प, अल्मोड़ा के बैम्बू शिल्प, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के मूंज घास उत्पाद, रूद्रप्रयाग में काष्ठ कला शिल्प, देहरादून के सोफ्ट टोय, पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के हथकरघा उत्पाद आदि विभिन्न उत्पादों को Flipkart ऑनलाइन पोर्टल पर विपणन हेतु उपलब्ध है, इससे राज्य के उत्पादों को राज्य एवं राज्य से बाहर भी विपणन के अवसर प्राप्त हो रहे है।

नैशनल हैण्डलूम एक्सपो

विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित **''नैशनल हैण्डलूम एक्सपो''** का आयोजन उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा देश के बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। यह आयोजन **दिनांकः 23 मई, 2022 से 05 जून, 2022** तक आयोजित किया जा रहा है। देश के बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा जो उच्च स्तरीय हथकरघा उत्पादों का उत्पादन करते हैं, के द्वारा एक्सपो में प्रतिभाग किया जा रहा है। गत वर्षों से देहरादून का नैशनल हैण्डलूम एक्सपो देश में अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ने में सफल रहा है।

इस वर्ष इस आयोजन में **उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगना** आदि **कुल 10 राज्यों** द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक्सपो में देहरादून सहित राज्य के विभिन्न भागों के लोगों द्वारा यहॉ सम्पूर्ण भारत वर्ष से आये हुये विशिष्ट हथकरघा उत्पादों को बड़ी उत्सुक्ता से क्रय किया जाता है। क्योंकि एक्सपो में हथकरघा उत्पादों की बहुत बड़ी रेंज उपलब्ध होती है, देहरादून के लोग प्रतिवर्ष बड़ी उत्सुक्ता से इस आयोजन की प्रतीक्षा करते हैं।

एक्सपों में इस वर्ष भी विभिन्न राज्यों की **साड़ियां, जयपुरी चादरें, कांजीवरम सिल्क, बनारसी साड़ियां, बेडशीट, बेडकवर, स्कार्फ, ट्वीड, कालीन आदि बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। दर्शकों के लिये जयपुर के कॉटन उत्पाद, जम्मू कश्मीर के हथकरघा उत्पादन, पश्चिम बंगाल की जमदानी बालचौरी साड़ियां, उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियां, कर्नाटक की चिन्तामणि एवं कांजीवरम साड़ियां, बिहार की टसर साड़ियां, मध्य प्रदेश की चन्देरी एवं महेश्वरी सांड़िया, बिहार की टसर साड़ियां एवं भागलपुरी ड्रेस मैटिरियल, तेलंगना की पोचमपल्ली साड़ियां** विपणन हेतु उपलब्ध रहीं।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के बागेश्वर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल एवं देहरादून व हरिद्वार के बुनकरों द्वारा उत्पादित हथकरघा उत्पाद स्कार्फ मफलर, थूलमा, चुटका, टवीड, आदि उत्पाद भी विपणन हेतु उपलब्ध हैं। इस वर्ष उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जनपद स्तरीय उत्पादन केन्द्रों द्वारा भी एक्सपो मे प्रतिभाग किया गया।

इस वर्ष नैशनल हैण्डलूम एक्सपो में **लगभग 80 स्टॉल** स्थापित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत लगभग **30 स्टॉल** उत्तराखण्ड राज्य के बुनकरों के लिये आरक्षित किये गये।

थीम पैवेलियन

विकास आयुक्त (हथकरघा) भारत सरकार के बुनकर सेवा केन्द्र, चमोली द्वारा देश के विभिन्न प्रान्तों के विशिष्ट हथकरघा उत्पाद का प्रदर्शन थीम पैवेलियन में किया गया। हथकरघे पर कपड़ा उत्पादन एवं विभिन्न हथकरघा डिजाइनों का सजीव प्रदर्शन भी किया गया। हथकरघा उद्योग

के सम्बन्ध में इस पैवेलियन के माध्यम से आने वाले दर्शकों, छात्रों एवं अन्य उत्सुक लोगों को जानकारियां उपलब्ध करायी गयीं।

हिमाद्रि मण्डप

उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, जो राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के समृद्ध विकास के लिये गठित शीर्ष संस्था है, द्वारा राज्य के विशिष्ट उत्पादों को हिमाद्रि ब्राण्ड नेम के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा है। नैशनल हैण्डलूम एक्सपो में हिमाद्रि मण्डप में हथकरघा उत्पादों के साथ–साथ हस्तशिल्पियों को भी विपणन के लिये स्थान उपलब्ध कराया गया।

हिमाद्रि मण्डप में एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रतिष्ठित डिजाइन संस्थाओं के डिजाइनरों के माध्यम से राज्य के 15 विकासखण्डों में विकसित किये गये नवीन उत्पादों को भी प्रदर्शन/विपणन हेतु प्रस्तुत किया गया।

पटेल नगर, देहरादून में स्थित जिला उद्योग केन्द्र परिसर में हिमाद्रि इम्पोरियम का उद्घाटन एवं उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार का वितरण।

दिनांकः 20.09.2021 को देहरादून में पटेल नगर स्थित जिला उद्योग केन्द्र परिसर में नवनिर्मित हिमाद्रि इम्पोरियम का उद्घाटन एवं उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार का वितरण मा0 मंत्री औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार श्री गणेश जोशी द्वारा मा0 विधायक, धर्मपुर (देहरादून) श्री विनोद चमोली जी की अध्यक्षता में किया गया।

परिषद द्वारा राज्य के उत्कृष्ट शिल्प उत्पादों का हिमाद्रि ब्राण्ड के अन्तर्गत इस हेतु स्थापित विभिन्न इम्पोरियमों के माध्यम से विपणन किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून में पटेल नगर स्थित जिला उद्योग केन्द्र के परिसर में हिमाद्रि इम्पोरियम स्थापित किया गया है। इस इम्पोरियम के माध्यम से राज्य के विशिष्ट शिल्प उत्पाद जैसे ऐंपण, ताम्र शिल्प, रिंगाल, काष्ठ शिल्प, बैम्बू, नमदा, कालीन, मूंज, पॉटरी एवं वूलन उत्पाद विपणन हेतु उपलब्ध हैं। टैक्सटाइल उत्पादों में राज्य की स्थानीय कला ऐंपण का कार्य किया जा रहा है। ताम्र शिल्प से परम्परागत उत्पादों के साथ–साथ बाजार मांग के अनुरूप नवीन डिजाइनों के उत्पाद विकसित किये जा रहे हैं।

राज्य के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से निम्न 04 शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार प्रदान किये गये। पुरूष्कृत शिल्पियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति–पत्र, शॉल, स्मृति चिन्ह् एवं रू0 1.00 लाख की राशि से सम्मानित किया गया।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
खादी एवं ग्रामोद्योग परिचय

खादी का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमे से दो या सभी प्रकार के सूतो के मिश्रण से भारत मे हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमे स्थाई पूॅजी निवेश (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी 50 हजार से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र मे) समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन

उत्तर प्रदेश राज्य मे खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के चहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं0 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप मे हुआ था तदोपरान्त उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं0 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश मे कियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायतशासी संस्था के रूप मे पुर्नगठित हुआ तथा अप्रैल 1967 मे उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनाये बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। इससे पूर्व ये योजनायें प्रथम एंव द्वितीय पंचवर्षी योजनाकाल मे उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत संचालित की जा रही थी। पृथक राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387/2002–133 उद्योग/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नवत की गयी है :–

मा0 बोर्ड के सदस्यों का विवरण सरकारी/गैरसरकारी

1.	मा0 मंत्री जी लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास	सदस्य
5.	राज्य निदेश खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग	सदस्य
7.	अपर निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड	(विशेष आमंत्रित सदस्य)
8.	क्षेत्रीय श्री गॉधी आश्रम देहरादून	(विशेष आमंत्रित सदस्य)
9.	गैरसरकारी सदस्य	(07)

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोट–मोटे तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगो को स्थापित करवाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बोर्ड के कार्य

बोर्ड के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं :–

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वयवित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगो में लगे हुए अथवा उसमे अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितब्ययी दरो पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियॉ भी है, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन, जो राज्य सरकार द्वारा नियमो के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञो/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

विभागीय योजनाओं का विवरण

व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना।	(जिला योजना)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।	(केन्द्रपोषित योजना)
ऊन/तागा बैंक की स्थापना।	(जिला योजना)
खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट।	(राज्य सैक्टर)
खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	(राज्य सैक्टर)

ऊन/तागा बैंक की स्थापना (जिला योजना)

- प्राथमिकता के आधार पर राज्य की स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय किया जाना।
- ऊन की प्रशोधन के उपरान्त खादी की संस्था समितियों एवं विभागीय केन्द्रों में कतकर/बुनकर को उच्च गुणवत्ता की ऊन उपलब्ध कराना।
- पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के सहयोग से भेड़पालकों की ऊन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना।
- ऊन क्रय करने हेतु राज्य के ऊन बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन क्रय केन्द्र की स्थापना।

उत्तराखण्ड ऊन योजना

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ 04 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन अल्मोड़ा, चम्बा, श्रीनगर, जसपुर में स्थापित।
- इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीनस्थ 20 उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से धागा कताई एवं वस्त्र बुनाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- 08 कलस्टर केन्द्रों के माध्यम से कताई, बुनाई गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2021-22 की प्रगति

वर्ष	उत्पादन (लाख रू0 में)	बिक्री (लाख रू0 में)	रोजगार व्यक्ति
2020–21	157.38	287.60	240

खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट

- राज्य सैक्टर योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर श्री गॉधी जयन्ती के शुभ अवसर पर आम जनता को खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत् छूट की सुविधा।
- छूट की अवधि 108 कार्यकारी दिवसों के लिए लागू की जाती है।
- इस छूट का लाभ राज्य में लगभग 60 खादी संस्थाओं के 200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही है।

खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, जनपद स्तरीय एवं अन्य प्रदर्शनी/गोष्ठी/सेमीनार तथा प्रचार–प्रसार का आयोजन अथवा प्रतिभाग किया जाता है।
- राष्ट्रीय प्रदर्शनी – देहरादून का आयोजन।
- अन्तर्राज्यीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग।
- जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन।
- निजी प्रतिष्ठानों द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में प्रतिभाग।
- विभिन्न प्रदर्शनियों में विभागीय उत्पादों का क्रय–विक्रय (Byers seller Meet) शिविरों का आयोजन।
- विभागीय योजनाओं/उत्पादों के प्रचार–प्रसार हेतु जनपद स्तर पर गोष्ठीयॉ/सेमीनारों का आयोजन।
- प्रदर्शनी पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- कताई बुनाई प्रशिक्षण एवं डिजायन विकास कार्यक्रम।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की रणनीति तथा कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु

भेड़ पालन प्राचीन काल से उत्तराखण्ड का मुख्य व्यवसाय है। यहॉ की लगभग 65 प्रतिशत वन भूमि व 15 प्रतिशत चराई भूमि में भेड़ व बकरियों को चरान व चुगान के उत्तम चारागाह विद्यमान है। यही कारण है कि भेड़ पालन व्यवसाय इस क्षेत्र के निवासियों के आजिविका का प्रचुर आधार रहा है। साथ ही खादी वस्त्रों का अपना विशेष महत्व है। स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय कर उसके प्रशोधन उपरान्त खादी के वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा नियमित प्रयास किये जाते है। उसके अलावा परम्परागत कतकर बुनकरों विशेषकर महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु नियमित प्रयास किये जा रहे है।

तागा प्रयोग करने वाले बुनकरों को ऊन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुये ऊन तागा बैंक का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का सग्रहण कर प्राकृतिक रेशों पर आधारित पारम्परिक काश्तकारों (दस्कारी) को संरक्षित करते हुये कलस्टर चिन्हीकरण से लेकर कारीगरों के कौशल विकास तथा उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन एवं प्रदर्शन हेतु नियमित बाजार उपलब्ध कराना है।

खादी उत्पाद

कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग के मुख्य कार्य/दायित्व

- **खनिज अन्वेषण कार्य**–खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है।

- **खनन प्रशासन कार्य**– खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। उत्पादित खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से खनिज की निकासी प्रचलित नीति एवं नियमावली के अन्तर्गत विनियमित की जाती है।

- **भूअभियांत्रिकीय कार्य**–भूअभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन/प्रशासन को प्रेषित करना है।

- **खनिज खोज–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**– राजस्व बृद्धि तथा रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक नये उपखनिज क्षेत्रों की खोज/चिन्हित करते हुये उनका आवंटन कराये जाने हेतु विभाग प्रयासरत है। योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खनन क्षेत्रों तथा उपरोक्तानुसार ई–टैण्डरिंग के उपरान्त स्वीकृत/आवेदित खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पर्यावरणीय अध्ययन/मॉनीटरिंग कराया जाना।

- **खनन सर्विलांस योजना**– प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत मैनुअल परिवहन प्रपत्र के स्थान पर E-Ravana प्रणाली लागू कर दी गई है तथा खनिज परिवहन/खनन सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/सुदृढीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

विभाग के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- खनिजों के वैज्ञानिक विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये विदोहन हेतु शासन के निर्देशानुसार व्यवहारिक नीतियों को प्रस्तावित करना।
- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- जनपदीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।
- जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।

- खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें नियमानुसार पट्टे पर आवंटित किया जाना।
- प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना।
- राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराये जाने के प्राविधान है। उक्त धनराशि से प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज किया जाना।

राज्य में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज

क्र0 सं0	खनिज	उपलब्धता (मिलियन टन में)	जनपदवार
1.	**लाइम स्टोन**	950	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
2.	**डोलोमाइट**	200	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
3.	**मैग्नेसाइट**	180	बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़
4.	**सोपस्टोन**	160	अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली, पिथौरागढ़
5.	**फास्फोराइट**	20	देहरादून, टिहरी गढ़वाल
6.	**बेस मेटल्स**	10	अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
7.	**बेराइट्स**	छण।	देहरादून
8.	**सिलिकासेण्ड**	10000	उत्तरकाशी, देहरादून
9.	**ग्रेफाइट**	छण।	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढवाल
10.	**स्लेट्स**	तदैव	उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़
11.	**मारबल्स**	तदैव	देहरादून
12	**नदी तल उपखनिज**	तदैव	राज्य के सभी नदी तलों पर

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

भूअभियांत्रिकीय कार्यों की माह अप्रैल 2021 से माह मार्च, 2022 तक की जनपदवार विस्तृत वार्षिक प्रगति

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण									योग
		भवन	मार्ग	पुल/ बांध	पेयजल	नहर	भूस्खलन	विद्युत टावर	विविध/ स्टोन क्रेशर	अन्य	
1.	अल्मोड़ा	12	0	0	02	0	03	0	08	0	25
2.	बागेश्वर	26	01	0	0	0	0	0	0	0	27
3.	उधमसिंह नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	चम्पावत	17	0	0	0	0	04	0	09	0	30
5.	पिथौरागढ़	18	06	04	0	0	78	0	26	0	132
6.	नैनीताल	26	02	0	07	0	0	0	17	0	52
7.	देहरादून	90	01	0	06	0	01	0	21	0	119
8.	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	पौड़ी	05	0	0	0	0	0	0	0	0	05
10.	चमोली	10	03	0	0	0	33	0	13	0	59
11.	रूद्रप्रयाग	27	0	0	0	0	27	0	50	0	104
12.	टिहरी	09	0	0	01	0	20	0	08	0	38
13.	उत्तरकाशी	08	0	0	0	0	46	12	13	0	79
	योग	248	13	4	16	0	212	12	165	0	670

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून

खनन कार्यो की माह अप्रैल 2021 से माह मार्च, 2022 तक की जनपदवार विस्तृत वार्षिक प्रगति

जनपद का नाम	खनन पट्टा, आर0बी0एम0 खनन अनुज्ञा	खनन पट्टा सिलिका सैण्ड/सोपस्टोन	लाईमस्टोन/मैग्नेसाईट के पट्टे	सीमाबन्धन	भण्डारण अनुज्ञा	स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट	हॉटमिक्स/रेडिमिक्स प्लांट	आकस्मिक निरीक्षण	अवैध खनन/अवैध भण्डरण के प्रकरण	अवैध परिवहन के प्रकरण	मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरण	रिवर ट्रेजिंग	समतलीकरण	विविध	योग
पिथौरागढ	04	02	0	04	09	08	02	361	02	17	0	15	19	0	443
नैनीताल	98	01	33	42	0	215	01	11	28	10	0	0	0	0	439
उत्तरकाशी	04	0	0	01	02	04	05	09	0	02	05	0	0	09	41
टिहरी	15	0	0	0	03	06	05	0	06	0	07	0	0	72	114
चम्पावत	04	0	0	0	25	04	0	0	0	0	0	21	0	65	119
उधमसिंह नगर	144	0	0	25	21	38	02	28	21	10	0	0	0	0	289
देहरादून	37	0	0	08	08	0	0	41	221	0	0	0	0	0	315
हरिद्वार	71	22	0	70	15	12	03	92	92	626	0	0	0	0	1003
चमोली	01	0	0	02	0	06	05	0	02	0	0	0	0	0	16
रुद्रपयाग	03	0	0	0	0	10	06	0	0	0	0	0	0	0	19
अल्मोडा	04	0	0	06	02	02	03	12	15	0	0	0	0	0	44
बागेश्वर	56	0	0	0	25	13	15	07	07	0	0	0	0	0	123
पौडी गढवाल	02	0	0	01	01	02	0	04	04	0	72	0	87	0	173
कुल योग	443	25	33	159	111	320	47	565	398	665	84	36	106	146	3138

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

1. चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में खनिजों से कुल रू0 575.01 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।
2. खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु गठित जिला खनिज न्यास में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं, जिसमें माह मार्च, 2022 तक कुल रू0 246.10 करोड़ जमा हुआ है, जिसके सापेक्ष जनपदों में विकास से सम्बन्धित कुल 744 योजनायें स्वीकृत की गई हैं, और योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग रू0 14.72 करोड का उपयोग किया जा चुका है।
3. राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यो हेतु पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराया जाने के प्राविधान हैं। उपरोक्तानुसार माह मार्च, 2022 तक उक्त कोष में रू0 4,57,288.00 की धनराशि जमा हो चुकी है। राज्य में खनिज भण्डारों के समुचित खोज हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement हेतु हस्ताक्षरित है।
4. खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान हैं।
5. चालू वित्तीय वर्ष में खनन प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च, 2022 तक कुल 3138 स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।
6. चालू वित्तीय वर्ष में भूअभियांत्रिकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास से सम्बन्धित माह मार्च, 2022 तक कुल 670 स्थलीय प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।
7. Ease of Doing Business तथा Single Window संचालन की प्रक्रिया हेतु सीनियर प्रोजेक्ट कंसलटेंट E&Y एजेन्सी द्वारा खनिज परिहार की स्वीकृति के सम्बन्ध में खनन सम्बन्धी सेवाओं को Single Window के माध्यम से सरलीकृत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
8. विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का कार्य E&Y एजेन्सी से कराये जाने तथा उक्त कार्य उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा Ease of Doing Business एवं Single Window प्राजेक्ट के लिए निर्धारित वर्तमान प्रचलित दरों पर कराये जाने की शासन से अनुमति प्रदान की गयी है, के क्रम में E-Rawanna Updation हेतु E&Y एजेन्सी से सेवा सशर्त निर्धारित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
9. राजस्व प्राप्ति, रोजगार सृजन एवं भू–स्वामी को स्वयं की भूमि में आये मलवे को हटाते हुये भूमि के समतलीकरण हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

की अधिसूचना संख्या 1824/VII–।–1/80–ख/16 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) संशोधन नियमावली–2021 का प्रख्यापन किया गया है।

10. राज्य में खनिज विकास, राजस्व वृद्धि, स्टोन क्रेशर आवंटन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII–।–1/2021–03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 का प्रख्यापन किया गया है।

11. अपेक्षित राजस्व अर्जन तथा रोजगार सृजन के दृष्टिगत नदी/जलाशय/नहरों से मलवा/आरबबी0एम0/सिल्ट हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1873/VII-।.1/2021–05(28)/2021 दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 का प्रख्यापन किया गया है।

12. अवैध खनन/परिवहन एवं भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII–1/2021/158 ख–04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 प्रख्यापित की गयी।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

वर्ष 2022-23 हेतु विभाग की रणनीति तथा प्रस्तावित कार्य योजना के मुख्य बिन्दु

1. राज्य में बेसमेंटल तथा खनिज रॉक फॉस्फेट के चिन्हित खनन क्षेत्र में खनिज अन्वेषण कार्य हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement हेतु हस्ताक्षरित है।
2. प्रदेश में खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति तथा रोजगार सृजन व अपेक्षित राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत जनपदों में राजस्व एवं वन क्षेत्र के अधिक से अधिक नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें पट्टे पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।
3. अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज परिवहन/ खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण, खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त स्वीकृत खनन क्षेत्रों में द्रोन सर्वे, सर्विलांस सिस्टम व निकासी मार्गो में मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4. खनन परिहार स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑन लाईन किये जाने हेतु ई–एप्लीकेशन तैयार किया जाना।
5. प्रदेश में उपखनिजों के चुगान हेतु ऐसी नीतियों को तैयार किया जाना, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये अधिक से अधिक राजस्व तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर प्राप्त हो सके।
6. खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। जिला खनिज न्यास (DMF) में जमा धनराशि से जनपदों में खनन प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक से अधिक विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

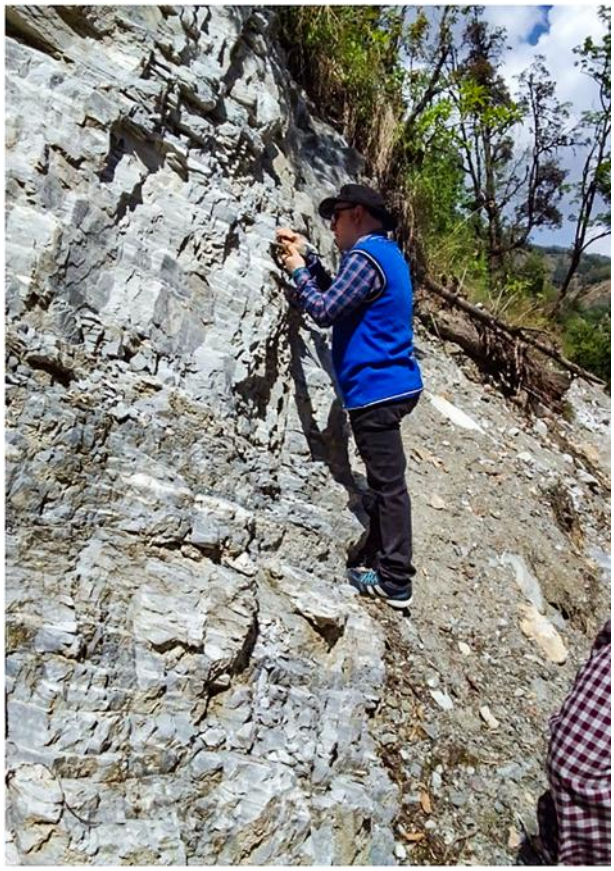

अध्याय-3

उद्योग विभाग

वर्ष 2021-22

समरी

योजनावार - प्राविधान/स्वीकृति/व्यय

माहः- मार्च, 2022 तक

(धनराशि हजार रू0 में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
	कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
1	2	3	4
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	**126215**	**119215**	**87240**
101 औद्योगिक क्षेत्र	**300000**	**300000**	**300000**
102 लघु उद्योग	**2683968**	**1319360**	**1272863**
103–हथकरघा	**27989**	**27486**	**27368**
105–खादी ग्रामोद्योग	**175000**	**175000**	**175000**
योग (2851):-	**3186957**	**1821846**	**1775231**
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**158291**	**153866**	**123026**
4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	**350503**	**32862**	**32762**
कुल योगः-(अनु0सं0-23)	**3821966**	**2127789**	**2018259**

अनु0सं0-30 स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान	**2000**	**2000**	**2000**
अनु0सं0-31 ट्राइवल सब प्लान	**6000**	**3000**	**2157**
योग (2851) (अनु0सं0-30,31):-	**8000**	**5000**	**4157**
महायोग :-(अनु0सं0-23,30,31)	**3829966**	**2132789**	**2022416**

उद्योग विभाग
योजनावार परिव्यय, प्राविधान, स्वीकृति व व्यय -वर्ष 2021-22

राजस्व/पूंजीगत

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
0	1	2	3	4
1	**2058-001-लेखन सामग्री तथा मुद्रण अधिष्ठान व्यय**	123265	116265	84291
2	104 अन्य संसाधनों से मुद्रण की लागत	2950	2950	2949
	योग (2058):-	**126215**	**119215**	**87240**
3	**2851 ग्रामाद्योग तथा लघु उद्योग** 101 औद्योगिक क्षेत्र **02 मेगा इण्डस्ट्रीयल/मेगा टैक्सटाईल नीति के तहत अनुदान**	300000	300000	300000
	योग (2851-101-औद्योगिक क्षेत्र):-	**300000**	**300000**	**300000**
4	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **102 लघु उद्योग** 03–अधिष्ठान योजना	217243	217243	177439
5	**18-उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना**	635	0	0
6	**25-मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान**	3170	3165	2708
7	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **102 लघु उद्योग** 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं **0101 लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0
8	**19 उद्योग मित्र तथा उद्यमिता को सहायता**	5000	5000	4859
9	**20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना**	1	0	0
10	**21 कलस्टर विकास योजना**	10000	9398	5640

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
0	1	2	3	4
11	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूँजी उपादान योजना	123300	34740	34740
12	27 उत्तराखण्ड माटीकला परिषद को सहायता।	1000	0	0
13	29 एमएसएमई अवस्थापना विकास	5000	5000	5000
14	30 महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	70000	70000	68932
15	32 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता	576700	576700	575983
16	33 कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण	1	0	0
17	34 एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0) की स्थापना	1	0	0
18	35 स्टार्टअप एण्ड स्टैंडअप उद्यमिता विकास	20000	8000	7772
19	36 औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार-प्रसार योजना	19514	19514	19514
20	37 उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरष्कार योजना	600	600	569
21	38 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस योजना	60000	60000	59707
22	40 अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला	60000	0	0
23	42 सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन	1	0	0
24	47 एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	10000	0	0
25	48 ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	5000	0	0
26	49 विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान	96800	0	0
27	50 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	1400000	310000	310000
28	2851-9701-वाह्य सहायतित परियोजनायें	1	0	0
योग :- 2851 (102)		**2683968**	**1319360**	**1272863**
29	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 103 हथकरघा उद्योग 07 उत्तरॉचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् को सहायता	15000	15000	15000
30	10 नन्दा देवी योजना	1	0	0
31	11 खादी संस्थाओं का सहयोग	1	0	0
32	12 शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	1500	1500	1382
33	13 समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार इत्यादि विकास योजना	1	0	0
34	14 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार योजना	500	500	500

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
0	1	2	3	4
35	**16 हथकरघा, कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता**	500	0	0
36	**17 राजकीय डिजाइन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं एपरेल प्रशिक्षण**	2486	2486	2486
37	**18 वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश**	8000	8000	8000
	योग :- 2851 (103) हथकरघा	**27989**	**27486**	**27368**
38	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **105 खादी ग्रामोद्योग** 05—वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान—खादी बोर्ड अधिष्ठान	85000	85000	85000
39	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **105 खादी ग्रामोद्योग** **03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता**	40000	40000	40000
40	**21 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट**	50000	50000	50000
	योग :- 2851 (105) खादी	**175000**	**175000**	**175000**
	कुल योग:- 2851 (101,102,103,105) **(ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग)**			
41	**001-निदेशन तथा प्रशासन** 03 खनिज प्रशासन का अधिष्ठान	147491	147491	118802
42	**001-खनिज खोज** 04—राज्य खनिज विकास परिषद	3000	500	188
43	**102-पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्धन** 03—पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्धन	2500	1250	24
44	**102-खनिज खोज** 04—खनन सर्विलांश	5300	4625	4012
	योग (2853) :-	**158291**	**153866**	**123026**

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
0	1	2	3	4
45	**4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय** 102 लघु उद्योग 01 केन्द्र पुरोनिधानित **01 सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एनपीबीसहित)**	90000	0	0
46	**10-नेशनल इन्सटीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना**	1	0	0
47	**11-ग्रोथ सेन्टर का संचालन**	150000	13285	13185
48	**9501- सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एनपीबीसहित)**	10500	0	0
49	**9701-वाह्य सहायतित परियोजनायें**	1	0	0
50	**9801-नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अधीन ग्रामीण हाट का निर्माण**	100000	19577	19577
51	**103-02-हरि प्रसाद टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना**	1	0	0
	योग (4851):-	**350503**	**32862**	**32762**
	कुल योग-उद्योग (अनु0सं0-23)			

स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (वर्ष 2021-22)

मुख्य लेखाशीर्षक-2851 (अनुदान सं0-30)

राजस्व

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
0	1	2	3	4
1	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 103 हथकरघा उद्योग 02 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	2000	2000	2000
	योग:-	**2000**	**2000**	**2000**

ट्राइबल सब प्लान

मुख्य लेखाशीर्षक-2851 (अनुदान सं0-31)

राजस्व

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22		
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
0	1	2	3	4
1	04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	1000	1000	1000
2	05 थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना	5000	2000	1157
	योग:-	**6000**	**3000**	**2157**

वर्ष 2021-22
भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

माहः-मार्च, 2022

क्र0 सं0	मद/योजना का नाम	इकाई	वार्षिक योजना लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
	(उद्योग) **राज्य पोषित योजनायें**			
1	मेगा इण्डस्ट्रियल/ मेगा टैक्सटाईल नीति के तहत अनुदान	इकाई संख्या	5	0
2	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना **(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	स्वीकृत लाभार्थी संख्या	1714	1832
3	लघु उद्योगों की गणना **(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	इकाई संख्या	1	0
4	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	संस्थान संख्या	1	0
5	कलस्टर विकास योजना	कलस्टर केन्द्र संख्या	1	0
6	औद्योगिक प्रोत्साहन, मेला, प्रदर्शनी, सेमीनार, गोष्ठी, प्रचार व प्रसार	प्रदर्शनी संख्या	38	0
7	उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरूष्कार	पुरूष्कार संख्या	78	0
8	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता	समितियों की संख्या	2	2
9	दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी उपादान	लाभान्वित इकाई संख्या	-	-
10	माटी कला परिषद के लिये सहायता	लाभान्वित संख्या	1	1
11	एसएसएमई अवस्थापना विकास	आस्थान संख्या	5	1
12	महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	लाभार्थी संख्या	-	20
13	नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अधीन ग्रामीण हाट का निर्माण	हाट संख्या	-	-

14	प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता	इकाई संख्या	-	52
15	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण	प्रशिक्षार्थी संख्या	1000	0
16	एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना(पीएमयू)	परामर्शदाता संख्या	4	0
17	स्टार्टअप एण्ड स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना	लाभार्थी संख्या	1000	
18	ईज आफ डूईंग बिजनेस	परामर्शदाता संख्या	13	
19	अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला	संख्या	1	0
20	सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन	इकाई संख्या	-	-
21	**2851**–11–ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	ग्रोथ सेन्टर संख्या		
22	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	इकाई संख्या	5100	4314
23	**2851**-9701–वाह्य सहायतित परियोजनायें	–	-	-
24	10–नेशनल इन्सटीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना	संस्थान संख्या	1	0
25	**4851**–11–ग्रोथ सेन्टर का संचालन	सेन्टर संख्या	-	112
26	**4851**-9701–वाह्य सहायतित परियोजनायें	–	-	-
	(हथकरघा एवं हस्तशिल्प)			
27	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	समिति संख्या	1	1
28	हरि प्रसाद टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना	संस्थान संख्या	1	0
29	नन्दा देवी सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर हैण्डलूम एण्ड नैचुरल फाइबर्स योजना	प्रशिक्षार्थी संख्या	50	0
30	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	शिल्पी संख्या	-	313
31	समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बनकर/शिल्पकार विकास योजना	–	-	-
32	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार योजना	पुरूष्कार संख्या	5	0
33	हथकरघा कताई, बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता	बुनकर संख्या	-	0

	(खादी एवं ग्रामोद्योग)				
34	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट		केन्द्रों की संख्या	200	200
35	खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता		रोजगार सृजन	343	-
36	कताई बुनाई बुनकरों को सहायता		बुनकर संख्या	-	-
37	रेशा खरीद हेतु अनुदान		मात्रा (कि.ग्रा.)	-	-
	राजकीय प्रेस, रूड़की		**प्रेस संख्या**	**1**	1
	खनिज विकास				
38	**अ- मिनरल एक्सप्लोटेशन**				
	(1)	ट्रैवर्सिंग	वर्ग किमी	200	0
	(2)	मैपिंग	वर्ग किमी	3	0
	(3)	ट्रेचिंग / पिटिंग	क्यू0मी0	आवश्यकतानुसार	0
	(4)	ड्रिलिंग	मी0	आवश्यकतानुसार	0
39	**ब- माईनिंग एडमिनिस्ट्रेशन**				
	(1)	भौतिक लक्ष्य	प्रकरणों की सं0	3500	2827
	(2)	राजस्व वसूली	करोड़ रू0 में	750	575
40	**स- भू-अभियांत्रिकी कार्य**		प्रकरणों की सं0	850	620
41	**पर्यावरणी प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**		राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज / चिन्हीकरण	राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज / चिन्हीकरण कराते हुये नियमानुसार उनको पट्टे पर आवंटित किया जाना।	राजस्व बृद्धि तथा रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज / चिन्हित करते हुये उनका आवंटन कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य में उपखनिज क्षेत्रों के आवंटन हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत 45 खनन पट्टे संचालित हैं।

42	**सर्विलांस योजना**		अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु कार्य योजना	खनिज परिवहन हेतु ई–रवन्ना प्रणाली का उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण करते हुये खनन प्रशासन कार्य कलापों को ऑन लाईन किया जाना।	खनिज परिवहन/ खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल को उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है। खनन प्रशासन कार्यकलापों को ऑन लाईन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
	स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान				
43	1–	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	परिषद संख्या	1	1
	ट्राईवल सब प्लान				
44	1–	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकस परिषद को सहायता	परिषद संख्या	1	1

अध्याय-4

लेखाशीर्षकवार उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान वर्ष 2022-23

(वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलनात्मक स्थिति सहित)

समरी

राजस्व/पूंजीगत

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या- 23,30,31

(माहः-मार्च, 2022 तक)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
	कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	
1	2	3	4	5
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	**126215**	**119215**	**87240**	**168005**
2851-ग्रमोद्योग तथा लघु उद्योग				
101—औद्योगिक क्षेत्र	300000	300000	300000	520000
102—लघु उद्योग	2683968	1319360	1272863	1615286
103—हथकरघा उद्योग	27989	27486	27368	46002
105—खादी ग्रामोद्योग	175000	175000	175000	176000
योग (2851):-	**3186957**	**1821846**	**1775231**	**2357288**
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**158291**	**153866**	**123026**	**321750**
4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	**350503**	**32862**	**32762**	**225202**
कुल योगः-(अनु0सं0-23)	**3821966**	**2127789**	**2018259**	**3072245**

अनु0सं0-30 स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान	2000	2000	2000	2000
अनु0सं0-31 ट्राइवल सब प्लान	6000	3000	2157	6000
योग (2851) (अनु0सं0-30,31):-	**8000**	**5000**	**4157**	**8000**
महायोग :-(अनु0सं0-23,30,31)	**3829966**	**2132789**	**2022416**	**3080245**

मद	**वर्ष 2021-22 में स्वीकृत प्राविधान**			**वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान**		
	राजस्व	**पूंजी**	**योग**	**राजस्व**	**पूंजी**	**योग**
अनु0सं0-23	**3479463**	**350503**	**3829966**	**2847043**	**225202**	**3072245**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/ जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका-लेखाशीर्षकवार

राजस्व/पूंजीगत

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
1	**2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण** 00 001 निदेशन एवं प्रशासन **03 राजकीय मुद्रणालय रूड़की अधिष्ठान**	123265	116265	84291	165505
2	104 अन्य संसाधनों से मुद्रण की लागत **03 छपाई की लागत**	2950	2950	2949	2500
	योग (2058):-	**126215**	**119215**	**87240**	**168005**
3	**2851 ग्रामाद्योग तथा लघु उद्योग** 101 औद्योगिक क्षेत्र **04 मेगा इण्डस्ट्रीयल/मेगा टैक्सटाईल नीति के तहत अनुदान** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	300000	300000	300000	500000
4	**05 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति(कार्यालय/सचिवालय)** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0	0	0	20000
	योग (2851-101-औद्योगिक क्षेत्र):-	**300000**	**300000**	**300000**	**520000**

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
5	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **102 लघु उद्योग** 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं **0101 लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
6	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **102 लघु उद्योग** 03–अधिष्ठान योजना	217243	217243	177439	219950
7	**18-उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना**	635	0	0	635
8	**19 उद्योग मित्र तथा उद्यमिता को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000	5000	4859	5000
9	**20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
10	**21 कलस्टर विकास योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10000	9398	5640	10000
11	**23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूँजी उपादान योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	123300	34740	34740	50000
12	**25-मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान**	3170	3165	2708	3595
13	**27 उत्तराखण्ड माटीकला परिषद को सहायता।** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1000	0	0	2000
14	**29 एमएसएमई अवस्थापना विकास** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000	5000	5000	10000

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
15	**30 महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	70000	70000	68932	100000
16	**32 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	576700	576700	575983	400000
17	**33 कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
18	**34 एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई(पी0एम0यू0) की स्थापना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
19	**35 स्टार्टअप एण्ड स्टैंडअप उद्यमिता विकास** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	20000	8000	7772	3500
20	**36 औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार-प्रसार योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	19514	19514	19514	30000
21	**37 उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरष्कार योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	600	600	569	600
22	**38 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	60000	60000	59707	80000
23	**40 अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	60000	0	0	60000
24	**42 सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
25	**48 ग्रोथ सेन्टर की स्थापना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000	0	0	10000

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
26	**49 विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	96800	0	0	100000
27	**50 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (नई योजना)** 50–सब्सिडी	1400000	310000	310000	400000
28	**51निर्यात नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन योजना (नई योजना)** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0	0	0	20000
29	**52-प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम नई योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0	0	0	100000
30	**47 एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश (28510010247 में स्थानान्तरित)** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10000	0	0	10000
31	**2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **102-लघु उद्योग** **97-वाह्य सहायतित परियोजनायें** **01-एम0एस0एम0ई0 में वाह्य सहायतित परियोजनायें** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
	योग :- 2851 (102)	**2683968**	**1319360**	**1272863**	**1615286**
32	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **103 हथकरघा उद्योग** **07 उत्तरॉचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	15000	15000	15000	30000
33	**10 नन्दा देवी योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
34	**11 खादी संस्थाओं का सहयोग** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	2500
35	**12 शिल्पियों हेतु पेंशन योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1500	1500	1382	1500
36	**13 समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार इत्यादि विकास योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	0	0	1
37	**14 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	500	500	500	1500
38	**16 हथकरघा, कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	500	0	0	500
39	**17 राजकीय डिजाइन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं एपरेल प्रशिक्षण** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	2486	2486	2486	2000
40	**18 वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	8000	8000	8000	8000
	योग :- 2851 (103) हथकरघा	**27989**	**27486**	**27368**	**46002**
41	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **105 खादी ग्रामोद्योग** 05–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान–खादी बोर्ड अधिष्ठान	85000	85000	85000	91000
42	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **105 खादी ग्रामोद्योग** **03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	40000	40000	40000	35000

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
43	**21 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट** 50 सब्सिडी	50000	50000	50000	50000
	योग :- 2851 (105) खादी	**175000**	**175000**	**175000**	**176000**
	कुल योगः- 2851 (101,102,103,105) (ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग)	**3186957**	**1821846**	**1775231**	**2357288**
44	**2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग,** **02-खानों का विनियमन तथा विकास** **001-निदेशन तथा प्रशासन** 03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान	147491	147491	118802	290950
45	**001-खनिज खोज** 04—राज्य खनिज विकास परिषद	3000	500	188	13000
46	**2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग,** **02-खानों का विनियमन तथा विकास** **102-पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्धन** 03—पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्धन	2500	1250	24	2500
47	**102-खनिज खोज** 04—खनन सर्विलांश	5300	4625	4012	15300
	योग (2853) :-	**158291**	**153866**	**123026**	**321750**
48	**4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय** 102 लघु उद्योग 01 केन्द्र पुरोनिधानित **01 सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी(एनपीबीसहित)** 53—बृहद निर्माण कार्य	90000	0	0	90000

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22 स्वीकृत प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
0	1	2	3	4	5
49	**10-नेशनल इन्सटीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना** 55–पूँजीगत परिसम्पतियों का सृजन हेतु अनुदान	1	0	0	1
50	**11-ग्रोथ सेन्टर का संचालन** 53–बृहद निर्माण कार्य	150000	13285	13185	50000
51	**4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय** **102 लघु उद्योग** **95 केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश** **9501 सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एनपीबीसहित)** **53-बृहद निर्माण कार्य**	10500	0	0	10500
52	**97-वाह्य सहायतित परियोजनायें** **01- एम0एस0एम0ई0 में वाह्य सहायतित परियोजनायें** 53–वृहत निर्माण कार्य	1	0	0	1
53	**98-नाबार्ड पोषित** **01-नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अधीन ग्रामीण हाट का निर्माण** 53–वृहत निर्माण कार्य	100000	19577	19577	100000
54	**103-हथकरघा उद्योग,** **02-हरि प्रसाद टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना** 53– वृहद निर्माण	1	0	0	2000
	योग (4851):-	**350503**	**32862**	**32762**	**252502**
	कुल योग-उद्योग (अनु0सं0-23)	**3821966**	**2127789**	**2018259**	**3072245**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/ जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका-लेखाशीर्षकवार

मुख्य लेखाशीर्षक-2851-अनुदान संख्या-30

(स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान)

राजस्व मद

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	
0	1	2	3	4	5
1	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **103 हथकरघा उद्योग** **02 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान** **04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	2000	2000	2000	2000
	योगः-	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**

मुख्य लेखाशीर्षक–2851–अनुदान संख्या–31

(ट्राईबल सब प्लान)

राजस्व मद

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1000	1000	1000	1000
2	**05 थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना** 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000	2000	1157	5000
	योग:-	**6000**	**3000**	**2157**	**6000**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार

योजना का नामः-लघु उद्योगो की गणना (100% केन्द्र पुरोनिधानित)

लेखाशीर्षकः- 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

102 लघु उद्योग

0101-लघु उद्योगों की गणना योजना

राजस्व मद

(धनराशि हजार रू0 में)

कोड संख्या	मद का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	
01	वेतन	0	0	0	0
03	महंगाई भत्ता	0	0	0	0
04	यात्रा व्यय	0	0	0	0
06	अन्य भत्ते	0	0	0	0
07	मानदेय	1	0	0	1
08	कार्यालय व्यय	0	0	0	0
11	लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	0	0	0	0
12	कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	0	0	0	0
13	टेलीफोन व्यय	0	0	0	0
15	गाड़ियों का अनुरक्षण/पैट्रोल खरीद	0	0	0	0
18	प्रकाशन	0	0	0	0
27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0
42	अन्य व्यय	0	0	0	0
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	0	0	0
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /स्टेशनरी क्रय	0	0	0	0
	योग :-	**1**	**0**	**0**	**1**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार राजकीय प्रेस, रूड़की

राजस्व मद

अनुदान सं0- 23

लेखाशीर्षक- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

001-निदेशन एवं प्रशासन

03-राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
1	01-वेतन	50975	50975	41013	44000
2	02—मजदूरी	200	200	0	0
3	03-महंगाई भत्ता	15818	15818	10578	17600
4	04-यात्रा व्यय **(पूर्व मानक मद 04, 05 एवं 45 सम्मिलित)**	65	65	57	65
5	06-अन्य भत्ते	6117	6117	2256	4900
6	07-मानदेय	40	40	28	40
7	08- परिश्रमिक	2100	2100	2075	5000
8	09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	420	420	403	0
9	20-लेखन सामग्री एवं छपाई **(पूर्व मानक मद 11 एवं 47)सहित**	300	300	298	300
10	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	100	100	200
11	22- कार्यालय व्यय	1630	1630	1630	2000
12	23-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	100	83	100
13	24-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन, प्रकाशन व्यय **(पूर्व मानक मद 18 एवं 19)**	50	50	38	100
14	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान **(पूर्व मानक मद 09,10 एवं 13 सम्मिलित)**	1200	1200	987	2000

15	**26**- कम्प्युटर हार्ड वेयर/सापटवेयर का क्रय	200	200	200	1000
16	**27**-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	200	200	164	1000
17	**29**-वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का संचालन	150	150	148	200
18	**40**-उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण	5000	5000	4572	50000
19	**44**-सामग्री और सम्पूर्ति	37000	30000	18070	30000
20	**51**- अनुरक्षण	800	1300	1300	6500
21	**52**-लघु निर्माण	300	300	291	500
	योग:-	**122765**	**116265**	**84291**	**165505**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों का अधिष्ठान

राजस्व मद की योजना

अनुदान सं0-23

लेखाशीर्षक- 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

102 लघु उद्योग

03 अधिष्ठान व्यय

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
1	01-वेतन	134068	134068	116965	125500
2	02—मजदूरी	300	300	290	400
3	03-महंगाई भत्ता	41602	41602	30161	50200
4	04-यात्रा व्यय **(पूर्व मानक मद 04, 05 एवं 45 सम्मिलित)**	1000	1000	453	1000
5	06-अन्य भत्ते	16088	16088	8814	13800
6	07-मानदेय	50	50	50	50
7	08-परिश्रमिक	10000	10000	9620	12000
8	09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1500	1500	116	500
9	10-प्रशिक्षण व्यय	35	35	0	200
10	11- अनुमन्यता संबंधी व्यय	200	200	139	200
11	20-लेखन सामग्री एवं छपाई **(पूर्व मानक मद 11 एवं 47)सहित**	800	800	786	1000
12	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400	400	400	400
13	22- कार्यालय व्यय	800	800	778	1000
14	23-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	200	200	42	200
15	24-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन, प्रकाशन व्यय **(पूर्व मानक मद 18 एवं 19)**	200	200	165	300

16	**25**–उपयोगिता बिलों का भुगतान **(पूर्व मानक मद 09,10 एवं 13 सम्मिलित)**	1900	1900	1859	1900
17	**26**– कम्प्युटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400	400	397	400
18	**27**–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1500	1500	942	4000
19	**28**–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	0	0	0	0
20	**29**–वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का संचालन	4500	4500	4402	5000
21	**30**–अतिथ्य व्यय	100	100	99	200
22	**40**–उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण	200	200	190	200
23	**42**–अन्य विभागीय व्यय	200	200	162	200
24	**45**–छात्रवृत्तियॉ और छात्र वेतन	0	0	0	0
25	**51**– अनुरक्षण	200	200	177	300
26	**52**–लघु निर्माण	1000	1000	432	1000
	योगः–	**217243**	**217243**	**177439**	**219950**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना

राजस्व मद

अनुदान सं0- 23

लेखाशीर्षक- 2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

102-लघु उद्योग

18-उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
02—मजदूरी	150	0	0	150
04—यात्रा व्यय	10	0	0	10
08—परिश्रमिक	250	0	0	250
20—लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	40	0	0	40
21—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35	0	0	35
22—कार्यालय व्यय	20	0	0	20
25—उपयोगिता बिल भुगतान	20	0	0	20
26—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25	0	0	25
29—वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का सॅचालन	25	0	0	25
42—अन्य विभागी व्यय	40	0	0	40
51—अनुरक्षण	20	0	0	20
	635	**0**	**0**	**635**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली

राजस्व मद

अनुदान सं0-23

लेखाशीर्षक 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

102 लघु उद्योग

25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
1	01-वेतन	0	0	0	0
2	02—मजदूरी	20	20	0	20
3	03-महंगाई भत्ता	0	0	0	0
4	04-यात्रा व्यय **(पूर्व मानक मद 04, 05 एवं 45 सम्मिलित)**	20	20	0	50
5	06-अन्य भत्ते	0	0	0	0
6	07-मानदेय	1	0	0	1
7	08-परिश्रमिक	2500	2500	2301	2600
8	09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1	0	0	1
9	10-प्रशिक्षण व्यय	1	0	0	1
10	20-लेखन सामग्री एवं छपाई **(पूर्व मानक मद 11 एवं 47) सहित**	50	50	2	100
11	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1	0	0	100
12	22- कार्यालय व्यय	35	35	29	50
13	23-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0	0	0	0

14	**24**–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन, प्रकाशन व्यय **(पूर्व मानक मद 18 एवं 19)**	0	0	0	0
15	**25**–उपयोगिता बिलों का भुगतान **(पूर्व मानक मद 09,10 एवं 13 सम्मिलित)**	100	100	81	150
16	**26**– कम्प्युटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	50	40	100
17	**27**–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	20	20	0	1
18	**28**–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1	0	0	1
19	**29**–वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का संचालन	300	300	244	300
20	**30**–अतिथ्य व्यय	50	50	11	100
21	**40**–उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण	10	10	0	10
22	**42**–अन्य विभागीय व्यय	10	10	0	10
	योगः–	**3170**	**3165**	**2708**	**3595**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून

राजस्व मद

अनुदान संख्या-23

2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

02-खानों का विनियमन तथा विकास

001-निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)

03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान

(हजार रूपये में)

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
1	01-वेतन	57370	57370	52505	56200
2	02—मजदूरी	500	500	323	750
3	03-महंगाई भत्ता	17802	17802	13596	22500
4	04-यात्रा व्यय **(पूर्व मानक मद 04, 05 एवं 45 सम्मिलित)**	500	500	135	500
5	06-अन्य भत्ते	6884	6884	4916	6200
6	07-मानदेय	50	50	39	100
7	08-परिश्रमिक	9250	9250	8925	9000
8	09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500	500	136	200
9	10-प्रशिक्षण व्यय	100	100	15	200
10	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	500	500	226	800
12	20-लेखन सामग्री एवं छपाई **(पूर्व मानक मद 11 एवं 47) सहित**	800	800	767	1000
13	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	1000	1000	1500
14	22- कार्यालय व्यय	800	800	798	1200

15	23-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	900	900	698	1200
16	24-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन, प्रकाशन व्यय **(पूर्व मानक मद 18 एवं 19)**	1200	1200	908	1500
17	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान **(पूर्व मानक मद 09,10 एवं 13 सम्मिलित)**	1000	1000	966	2000
18	26- कम्प्युटर हार्ड वेयर/सापटवेयर का क्रय	600	600	580	1000
19	27-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	16335	16335	4227	20000
20	28-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	0	0	0	3000
21	29-वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का संचालन	6300	6300	6289	6000
22	30-अतिथ्य व्यय	100	100	84	100
23	40-उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण	3000	3000	357	3000
24	42-अन्य विभागीय व्यय	800	800	285	800
25	44-सामग्री और सम्पूर्ति	200	200	27	200
26	51- अनुरक्षण	1000	1000	1000	2000
27	67-वापसी	20000	20000	20000	150000
	योग:-	**147491**	**147491**	**118802**	**290950**

04-राज्य खनिज विकास परिषद

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट प्राविधान
1	**04-राज्य खनिज विकास परिषद** **28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय**	0	0	0	10000
2	**04-राज्य खनिज विकास परिषद** **56-सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन)**	3000	500	188	3000
	योग:-	**3000**	**500**	**188**	**13000**

वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग की योजनाओं में स्वीकृत प्राविधान/जारी स्वीकृति/व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत प्राविधान तालिका मदवार

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून

राजस्व पक्ष की योजना

राजस्व मद

अनुदान संख्या-23

2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

02-खानों का विनियमन तथा विकास

102-खनिज खोज

03-पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना

(हजार रूपये में)

मद संख्या/मानक मद का नाम	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
02-मजदूरी	50	25	0	50
04-यात्रा भत्ता	50	25	0	50
24-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन, प्रकाशन व्यय	100	50	0	100
28-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2000	1000	0	2000
29-वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का संचालन	50	25	24	50
40-उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण	250	125	0	250
योग :-	**2500**	**1250**	**24**	**2500**

अनुदान संख्या-23

2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

02-खानों का विनियमन तथा विकास

102-खनिज खोज

04-खनन सर्विलांश

(हजार रूपये में)

मद संख्या/मानक मद का नाम	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय	वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत प्राविधान
02-मजदूरी	50	25	0	50
04-यात्रा भत्ता	50	25	0	50
20-लेखन सामग्री एवं छपाई **(पूर्व मानक मद 11 एवं 47) सहित**	50	25	22	50
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान **(पूर्व मानक मद 09,10 एवं 13 सम्मिलित)**	50	25	0	50
27-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4000	4000	3966	4000
28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	0	0	0	10000
29-वाहन रखरखाव और ईंधन की खरीद का संचालन	50	25	24	50
40-उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण	1000	500	0	1000
42-अन्य विभागीय व्यय	50	0	0	50
योग:-	**5300**	**4625**	**4012**	**15300**

अध्याय-5

उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड-
आउटकम बजट

वर्ष 2021-22

संगठनात्मक ढांचा

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1851 दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन किये जाने के फलस्वरूप उद्योग से जुड़े विभिन्न विभागीय संगठनों को शासन द्वारा निम्नवत् प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया हैः–

औद्योगिक विकास विभाग		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग	
1.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून	1.	उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
2.	राजकीय लीथो प्रेस, रूड़की	2.	समस्त जिला उद्योग केन्द्र
3.	सिडकुल/सीडा।	3.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
4.	सार्वजनिक उद्यम।	4.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद

उद्योग विभाग का समन्वित बजट अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत व्यवहृत है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त की गई हैं। राज्य में उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप पूंजी निवेश में अभिवृद्धि के साथ–साथ रोजगार सृजन में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2022-23

विभाग का नाम:- उद्योग विभाग **विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0जी0जी0:- 8 एवं 9**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण)									
1	001—निदेशन एवं प्रशासन 03—राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान	कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि	1232.65	0	87	356	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	87 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	वर्षान्त तक
2	104—निदेशक एवं प्रशासन 42—अन्य व्यय	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	29.50	0	0	0	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	वर्षान्त तक
		योग:-	**1262.15**	**0**	**87**	**356**			

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101-औद्योगिक विकास)									
3	04—मेगा इण्डस्ट्रियल/मेगा टैक्सटाईल नीति के तहत अनुदान	भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्सटाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल उपक्रमों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।	3000.00	0	30	30	इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा।	1—टैक्सटाईल उपक्रमों का विकास 2—प्रदेश के पूंजी निवेश में अभिवृद्धि करना 3— रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
		योग (101):-	**3000.00**	**0**	30	30			
राज्य सैक्टर (2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102-लघु उद्योग)									
4	0101— लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	पंचम अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	0.01	0	0	0	भारत सरकार के दिशा—निर्देशानुसार स्थापित उद्यमों की अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	चालू योजनाओं में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं नई नीतियों का क्रियान्वयन।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
5	03–अधिष्ठान व्यय–उद्योग विभाग	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	2172.43	0	190	584	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	उद्योगों की स्थापना/ विकास एवं रोजगार सृजन हेतु निदेशालय/ जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक
6	18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना	पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा देते हुये व्यापार के नये अवसर प्रदान करना।	6.35	0	0	0	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	1–पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा। 2–व्यापार के नये अवसर	वर्षान्त तक
7	19– राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता।	जिला एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	50.00	0	26	35	जनपद स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति द्वारा बैठकें आयोजित की जायेंगी।	1–उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। 2–समयबद्ध निस्तारण 3–राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
8	20–उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	संस्थान की स्थापना कर जनपद स्तर पर बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देते हुये स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।	0.01	0	0	0	–	भावी उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु समस्त जानकारी के साथ–साथ जोखिम वहन हेतु सक्षम बनाना।	वर्षान्त तक
9	21–क्लस्टर विकास योजना	प्रदेश के जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कर क्लस्टर के रूप में उद्यमों की स्थापना द्वारा पूंजी निवेश प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के साथ–साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।	100.00	0	0	5	पर्वतीय जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास द्वारा 10 क्लस्टर विकासित किये जायेंगे।	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक
10	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति।	पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित उद्यम तथा नये उद्यम स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर पलायन की रोकथाम।	1233.00	0	157	120	नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में पर्वतीय इकाईयों को लाभान्वित किया जायेगा।	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
11	25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान	केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार से समन्वय करते हुये विभागीय योजनाओं की समीक्षा करना।	31.70	0	12	12	12 कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।	वर्षान्त तक
12	27–उत्तराखण्ड माटी कला परिषद को सहायता	प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित कर उन्हें विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना।	10.00	0	0	60	माटी कला शिल्पियों को विद्युत चालित चाक/मिट्टी गुंथाई मशीन वितरण की जायेंगी।	1–प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित करना। 2–बाजार आधारित विकास	वर्षान्त तक
13	29–एमएसएमई अवस्थापना विकास निधि	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु।	50.00	0	0	2	एक औद्योगिक आस्थान का सुदृढ़ीकरण	1–औद्योगिक आस्थान में अवस्थापना विकास 2–लघु उद्योगों की स्थापना 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
14	30–महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	नीति के अन्तर्गत प्रदेश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु पूंजी निवेश प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	700.00	0	102	93	नीति के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।	प्रदेश में महिला उद्यमिता के माध्यम से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
15	32–प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	प्रदेश में समुचित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर उद्यम स्थापना कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ–साथ पलायन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराना।	5767.00	0	389	233	नीति के अन्तर्गत स्थापित उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना से पूंजी निवेश में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
16	33–कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में उद्यमरत अथवा सम्भाव्य उद्यमियों को उनकी निष्पादन क्षमता में बृद्धि करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं बाजार मॉग के अनुरूप विकसित किये जाने के लिये उद्यमियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण।	0.01	0	**0**	0	विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार से जोड़ा जायेगा।	तकनीकी दक्षता प्रदान करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार की उपलब्धता।	वर्षान्त तक
17	34–एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) की स्थापना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को क्लस्टर विकास, विपणन, कौशल विकास, तकनीकी सहायता, वित्तीय/ऋण प्रबन्धन एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिये मार्गदर्शन/परामर्श हेतु विभागीय स्तर पर विशेषज्ञता प्राप्त परामर्शदाताओं को मानदेय पर नियुक्त कर एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई गठित की गई है।	0.01	0	0	0	बैंकिंग एवं वित्त, निर्यात, विपणन, डिजाईन एवं टैक्सटाईल विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य के अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन।	प्रदेश के अप्रयुक्त संसाधनों का उचित प्रयोग, निर्मित उत्पाद हेतु विपणन के उचित अवसर, उत्पादों के उत्पादन में उन्नत डिजाइनों का समावेश तथा बैंक लिंकेज हेतु एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
18	35–स्टार्टअप एण्ड स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुमोदित परियोजनाओं में राज्य के युवाओं को टॉपअप/वाईविलिटी गैप फण्डिंग के लिये योजनान्तर्गत नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के साथ–साथ स्टैण्डअप लोन, टॉपअप, वाईविलिटी गैप फण्डिंग आदि के द्वारा राज्य के युवाओं को अभिनव उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा टैक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेसन केन्द्र की स्थापना।	200.00	0	94	128	स्र्टाटअप तैयार करना।	1–प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान करना। 2–प्रक्रिया एवं उत्पाद के स्तर पर नवोनमेशी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	वर्षान्त तक
19	36–औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार	प्रदेश में स्थापित उद्यमों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु प्रचार–प्रसार तथा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।	195.14	0	0	0	3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 24 राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा 28 जनपद स्तरीय मेले एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ राज्य सरकारों द्वारा 18 सेमीनार आयोजित किये जायेंगे।	1–विपणन प्रोत्साहन 2–योजनाओं/ कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमिता के वातावरण के सृजन हेतु अभिप्रेरणा का विकास	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
20	37–उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरूष्कार योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा/हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि तथा उनके शिल्प को प्रोत्साहित करना।	6.00	0	84	84	प्रदेश स्तर पर 6 उद्यमियों एवं शिल्पियों तथा जनपद स्तर पर 78 उद्यमियों एवं शिल्पियों को पुरस्कृत किया गया।	1–उत्पादों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि 2–उत्पाद के साथ–साथ उद्यमी/शिल्पी/बुनकर का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमी/शिल्पी/बुनकर की मान्यता	वर्षान्त तक
21	38–ईज आफ डूईंग बिजनेस	योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजन तथा उद्यम स्थापना हेतु प्राप्त की जाने वाली समस्त अनुज्ञाओं/अनापत्तियों/स्वीकृतियों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार के अधीन समस्त रेखीय विभागों के मध्य औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु समन्वय करना।	600.00	0	372	80	योजनान्तर्गत राज्यों हेतु निर्धारित कार्य विन्दुओं (Action Point) पर 14 परामर्शदाताओं की सेवायें लेते हुये कियान्वयन।	1–निवेश को आकर्षित करना 2–अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा 3–रोजगार के अवसर 4–पलायन पर रोक	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
22	40–अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला	राज्य में विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देष्य से उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निवेषक सम्मेलन **"Destination Uttarakhand'** का आयोजन।	600.00	0	0	0	वैलनेस समिट का आयोजन।	1–निवेश को आकर्षित करना 2–योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार 3–रोजगार के अवसर सृजित करना	वर्षान्त तक
23	42–सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन	प्रदेश की आर्थिकी में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। **"वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी)"** के लागू होने के पश्चात् राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में सेवा क्षेत्र का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विजन–2020 में सेवा क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।	0.01	0	0	0	सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन।	1–जीएसटी को प्रोत्साहन 2–सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
24	9501–एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश हेतु।	100.00	0	0	0	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	वर्षान्त तक
25	48–ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु।	50.00	0	106	112	नये ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जायेंगे।	1–प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2–पलायन पर रोक 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
26	49–विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान आदि हेतु।	968.00	0	0	0	विभिन्न नीतियों में प्राविधानित प्रोत्साहन इकाईयों को उपलब्ध कराये जायेंगे।	1–पूंजी निवेश आकर्षित करना। 2–रोजगार सृजन। 3–प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना।	वर्षान्त तक
27	50–मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना		14000.00	0	3153	4584			

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
28	9701–वाह्य सहायतित परियोजनायें		0.01	0	0	0	–	–	वर्षान्त तक
		योगः-	**26839.68**	**0**	**4685**	**6132**			
राज्य सैक्टर (2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 103-हथकरघा)									
29	07–उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	150.00	0	1	1	कार्यक्रम के अधीन राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया जाना। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
30	नन्दा देवी योजना	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ–साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम–मटेना, जनपद–अल्मोड़ा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।	0.01	0	0	0	मै0 हंस फाउन्डेशन के माध्यम से संचालन।	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपण ान के माध्यम से स्वरोजगार एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
31	11–खादी संस्थाओं को सहयोग		0.01	0	0	0			
32	12–शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन।	15.00	0	236	313	शिल्पियों को रू0 400/– प्रतिमाह प्रति शिल्पी सम्मान स्वरूप प्रदान करना।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु लोगों को प्रोत्साहन, परम्परागत धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन।	वर्षान्त तक
33	13–समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार विकास योजना	प्रदेश के 10 ब्लॉकों के शिल्पियों को, जिनमें महिलायें भी षामिल हैं, को सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, डिजाइन विकास, बैंक लिंकेज, प्रचार–प्रसार आदि के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना।	0.01	0	0	0	10 सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना।	1–शिल्पियों विशेषतः महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना विकसित करना। 2–प्रदेश की आर्थिकी में महिलाओं की भूमिका का उचित चित्रण करना। 3–विपणन विकास 4–क्रेडिट लिंकेज 5–स्वरोजगार सृजित करना	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
34	14–उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार	प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशील, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पियों को चयनित कर पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।	5.00	0	4	5	प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ 5 शिल्पियों का चयन करते हुये पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति।	राज्य की परम्परागत कला एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुये उसके संवर्द्धन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन।	वर्षान्त तक
35	16–हथकरघा कताई–बुनाई महिला कमकारों को सहायता	हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को करघे उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हुये उनकी वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	5.00	0	0	0	–	–	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
36	17–राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर का सुध ारीकरण एवं एपरेल प्रशिक्षण योजना	राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर के समुचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड के युवाओं को Appreal, Embrodiary एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र का सुधारीकरण।	24.86	0	1	1	–	1–युवाओं को एपरेल, इम्ब्राईडरी एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण 2–इस केन्द्र को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित करना 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
37	18–वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश	80.00	0	0	0	–	–	
		योगः-	**279.89**	**0**	**242**	**320**			
राज्य सैक्टर (2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105-खादी ग्रामोद्योग)									
38	05–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता **(वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान)**	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं खादी व्यय हेतु।	850.00	0	120	248	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
39	03–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार कर प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं के विपणन प्रोत्साहन व प्रशिक्षण।	400.00	0	25	25	25 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की योजनाओं का प्रचार–प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग की 25 प्रदर्शनियों में प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं का विपणन व प्रोत्साहन तथा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 150 लोगों में कौशल विकास।	1–खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों के प्रति लोगों को आकर्षित करना 2–क्रेडिट लिंकेज 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
40	21–खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट प्रदान करना।	500.00	0	60	60	60 संस्थाओं के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 200 बिक्री केन्द्रों में हुई बिक्री के सापेक्ष 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किया जायेगा।	1–खादी वस्त्रोद्योग को बढ़ावा 2–खादी क्षेत्र में रोजगार सृजन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन प्रोत्साहन	वर्षान्त तक
	योग (105):-		**1750.00**	**0**	**205**	**333**			

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2853-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून)									
41	**2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन** 03– खनिज प्रशासन का अधिष्ठान	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	1474.91	0	98	183	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय।	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	वर्षान्त तक
42	**04-राज्य खनिज विकास परिषद**	परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु।	30.00	0	1	1	परिषद के मा0 अध्यक्ष को अनुमन्य सुविधाओं पर व्यय तथा राज्य खनिज विकास परिषद के संचालन व्यय।	राज्य खनिज विकास परिषद के कार्यों का सम्पादन।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
43	**102-खनिज खोज** 03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	25.00	0	0	0	राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज/ चिन्हित तथा आवश्यकतानुसार खनिज क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन कराया जाना।	राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज/ चिन्हीकरण।	वर्षान्त तक
44	**102-खनिज खोज** 04–खनन सर्विलांश	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/ परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	53.00	0	0	0	खनिज परिवहन/ खनन सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/ संदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रकियायं ऑनलाईन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।	अवैध खनन/ अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज परिवहन/ खनन सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/ कियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।	वर्षान्त तक
		योगः-	**1582.91**	**0**	**99**	**184**			

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
		4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पुंजीगत परिव्यय 102							
45	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एन0पी0बी0सहित)	प्रदेश तथा अन्य आस–पास के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग / CAD / CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	0	900.00	1	1	एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।	प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टि प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टिनेन्स, एडवांश मशीन मेन्टिनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलण सीण, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
46	10-नेशनल इन्सटीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना	उत्तराखण्ड तथा आस-पास के क्षेत्रों के बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा देहरादून में ही उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित यह केन्द्र प्रतिवर्ष 600 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में, विशेष रूप से फैशन टैक्नोलॉजी कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	0	0.01	0	0	बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना।	बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।	
47	11-ग्रोथ सेन्टर का संचालन	प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।	0	1500.00	106	112	नये ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जायेंगे।	1-प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2-पलायन पर रोक 3-रोजगार सृजन	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
48	9501-सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एन0पी0बी0सहित)	प्रदेश तथा अन्य आस–पास के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग / CAD / CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	0	105.00	0	0	एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।	प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टि प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टिनेन्स, एडवांश मशीन मेन्टिनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलएसीए, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
49	9701-वाह्य सहायतित परियोजनायें		0	0.01	0	0	-	–	–
50	9801–नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट का निर्माण	प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा/ हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	0	1000.00	0	0	पर्वतीय जनपदों के एक औद्योगिक आस्थानों में तथा दो ग्रामीण औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना विकास।	प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा बुनकर शिल्पियों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	वर्षान्त तक
51	**4851-103 02**-हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान	परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्यों हेतु संस्थान की स्थापना।	0	0.01	0	0	संस्थान की स्थापना द्वारा राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्य।	शिल्पियों को कौशल अभिवृद्धि, डिजाईन विकास तथा शिल्पियों का व्यवसायिक उत्पादन द्वारा आय में वृद्धि के साथ–साथ उनके शिल्प की पहचान प्रदेश से बाहर बनाने हेतु।	वर्षान्त तक
		योगः-	**0**	**3505.03**	**107**	**113**			
	योग (अनुदान संख्या-23):-		**34714.63**	**3505.03**					

अनुदान संख्या–30
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1-4-2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022-23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनु0 जनजाति के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	20.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन/ उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
		योगः-	**20.00**	**0**	**1**	**1**			

अनुदान संख्या–31
(ट्राईबल सब प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के जनजातियों के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	10.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन / उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
2	थारू बोक्स एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना।	50.00	0	0	75	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान की जायेगी।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना।	वर्षान्त तक
		योगः–	**60.00**	**0**	**1**	**76**			

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क0सं0	SDG संकेतक	1-4-2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2022 की भौतिक स्थिति	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23
क्लस्टर विकास योजना	Goal -8 Decent work and Economic Growth	–	5	SPV formation 200 units, CFC established-5, Capacity building for 500 workers	Better wages for workers, Skill upgradation and Value added products
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	Goal -8, Decent work and Economic Growth Goal-9 Industry Innovation and Infrastructure	289	233	100 New MSME setup, 500 Self employment, 100 new MSME Credit Linkage	Economic development of the State, Promotion of entrepreneurship and self employment in hilly regions, Reverse migration, Stable employment opportunities.
स्टार्टअप एण्ड स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना	Goal-9 Industry Innovation and Infrastructure	94	128	200 Startups, 5 Incubators	Development of Startup ecosystem in the State.
ईज आफ डूईंग बिजनेस	Goal -8, Decent work and Economic Growth Goal-9 Industry Innovation and Infrastructure	–	–	investuttarakhand.com	Achieving EoDB in Uttarakhand
ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	Goal -8, Decent work and Economic Growth	106	112	SHG formation-100, CLF-40, Growth Centre-25, Self Employment-1000	Better wages for workers, Skill upgradation and Value added products
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	Goal -8, Decent work and Economic Growth Goal-9 Industry Innovation and Infrastructure	3153	4584	5100 entrepreneurs to be supported	Livelihood generation. supporting reverse migrants under the pandemic sistuation,

वर्ष 2022-23

औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की रणनीति तथा कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

1. राज्य में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये भारत सरकार से अपेक्षित सहायता तथा सुविधाओं के लिये निरन्तर प्रयास किया जायेगा।

2. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015** में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, अवस्थापना सुविधा विकास, संस्थागत सहयोग तथा विपणन सहायता प्रदान कर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, हथकरघा–हस्तशिल्प तथा खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

3. महिला उद्यमियों के लिए **विशेष प्रोत्साहन योजना** के तहत प्रदेश की महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन एवं हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के उत्पादों को प्रतिस्पर्धी विपणन सुविधा।

4. उत्तराखण्ड की **लैण्ड लीजिंग पॉलिसी** के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यवस्था का कियान्वयन।

5. **उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था** के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुज्ञापन आदि के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण। उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था उत्तराखण्ड की **लैण्ड लीजिंग पॉलिसी** का प्रचार–प्रसार/प्रभावी कियान्वयन।

6. केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये **औद्योगिक विकास योजना-2017** के अंतर्गत राज्य की अधिकाधिक ईकाईयों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास।

7. राज्य की सभी न्याय पंचायतों में **ग्रोथ सेंटर योजना** का कियान्वयन।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये **क्लस्टर विकास योजना** के अन्तर्गत राज्य में स्थापित फार्मा एवं ऑटो क्लस्टर इकाईयों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने के तारतम्य में क्लस्टर विकास योजना का संचालन विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

9. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये तथा पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित मिनी औद्योगिक आस्थानों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

10. उद्योग मित्र का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इसके अधीन जनपदों में जिला उद्योग केन्द्रों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला उद्योग मित्र की बैठकों का आयोजन प्रभावी रूप से किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों का भी समय–समय पर आयोजन किया जायेगा, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का निरन्तर निवारण किया जा सके।

11. प्रदेश में स्टार्टअप नीति के तहत तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर नवोन्मेषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

12. **''ईज आफ डूईंग बिजनेस''** के अन्तर्गत राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु **''निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र''** के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों को परामर्श दिया जा रहा है।

13. राज्य में युवाओं को उद्यम के स्थापनार्थ मार्ग–निर्देशन एवं तकनीकी/प्रबन्धकीय सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से **''उत्तराखण्ड मेंटरशिप कार्यक्रम''** की ऑनलाईन शुरूआत की गई है। पोर्टल के माध्यम से उद्यम स्थापना की इच्छा रखने वाले युवा बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त, तकनीक, विपणन आदि क्षेत्रों में विशेष सलाह ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अधिनियम–2006 के अध्याय–5 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में गठित **लघु एवं सूक्ष्म उद्यम सुकरता परिषद नियमावली-2018** को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये आगामी वर्षों में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लम्बित देयकों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण कर उनके हितों की रक्षा किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

15. देहरादून में **Central Institute of Plastics and Engineering Technology (CIPET)** की स्थापना की गई है, जिसमें डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

16. प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता तथा प्रमाणित उत्पादों की पहचान स्थापित कर कृषि, बागवानी या गैर कृषि उत्पाद अथवा आर्थिक गतिविधियों वाले भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुये तेजी से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत सभी तरह

के खाद्य उत्पाद, बेमौसमी सब्जियां, मसाले, जड़ी–बूटी, औषधीय पौंध, शहद उत्पाद, पुष्प, प्राकृतिक रेशे, ऊन, रेशम, कण्डाली, भीमल आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

17. स्वरोजगार एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय।

18. **माटी कला बोर्ड** के माध्यम से प्रदेश के माटी शिल्पियों, कुम्हारों को विद्युत चालित चॉक वितरित किये जायेगें व विभिन्न प्रकार के मेलों में अपने उत्पादों के विपणन हेतु प्रोत्साहन।

19. **उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार योजना** के तहत 05 विशिष्ट शिल्पियों को पुरूष्कार।

20. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो, पर्यटन केन्द्रों में **"हिमाद्रि"** एम्पोरियम स्थापित किये गये हैं तथा अन्य पर्यटक स्थलों पर इनकी स्थापना का कार्य गतिमान है। इन्हें सुदृढ़ करते हुये स्थानीय उत्पादों से निर्मित वस्तुओं, हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन व्यापक स्तर पर किये जाने के उद्देश्य से **ग्रामीण हाट** स्थापित किये जा रहे है।

    हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ लिया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार **उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद** के माध्यम से सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हथकरघा कलस्टर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं व राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग के माध्यम से सर्वांगीण सहायता प्रदान करने हेतु नियमित प्रयास किये जायेंगे।

21. महिला शिल्पियों की उत्पादकता एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्नत डिजाइन एवं गुणवत्ता सुधार का प्रशिक्षण प्रदान करते हुये उनकी जीविका एवं आय में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ महिला शिल्पियों को मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में प्रशिक्षित कर शिल्पों के उन्नयन में रोजगार से जोड़ा जायेगा।

औद्योगिक विकास विभाग

- राज्य में पूंजी निवेश हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी विभिन्न सहायता व सुविधाएं, राज्य की उदार औद्योगिक नीति, उद्योगो के लिए शांत वातावरण के प्रतिफल स्वरूप देश की औद्योगिक इकाईयों, प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं नये उद्यमियों द्वारा राज्य में समुचित पूंजी निवेश से औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का कार्य किया गया। राज्य में पूंजी निवेश के लिये उद्यमियों की अभिरूचि को देखते हुए राज्य में उत्कृष्ट कोटि के अवस्थापना सुविधाओं से युक्त औद्योगिक आस्थान विकसित किए गए हैं तथा मेगा प्रोजैक्ट स्थापित हैं। निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में औद्योगिक आस्थान स्थापित किए गये हैं। राज्य स्तर पर उद्योगों की स्थापना के सतत् प्रयास जारी है। राज्य में स्थापित उद्योगों के आगे सफलतापूर्वक संचालन के लिये उद्यमी संघों के साथ निरन्तर विचार–विमर्श करते हुये आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

- प्रदेश सरकार द्वारा हरिद्वार में 96 एकड़ भूमि पर **मेडिकल डिवाईसेस पार्क**, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि में **अरोमा पार्क** तथा हरिद्वार फार्मासिटी के समीप 75 एकड़ भूमि में एक और **फार्मासिटी** के विस्तारीकरण की कार्यवाही सिडकुल के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु **एरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी** प्रख्यापित की गई है।

- भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा औद्योगिकीकरण और इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाईन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (संशोधित योजना अप्रैल, 2020) में लागू की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इसी क्रम में एकीकृत औद्योगिक आस्थान जिला ऊधमसिंहनगर में 102 एकड़ भूमि ई0एम0सी0 हेतु चिन्हित की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- ऊनी कारोबार से जुड़े पारम्परिक कास्तकारों विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने एवं पारम्परिक दस्तकारी के संरक्षण हेतु विभिन्न जनपदों में ऊनी कताई का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- वर्तमान बाजार मॉग के अनुसार खादी के वस्त्रों को आकर्षक बनाने एवं उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाईनों के समावेश हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि के आधार पर डिजाईनरों को अनुबन्धित किया जा रहा है।
- खादी वस्त्रों के प्रचार–प्रसार एवं विपणन के उद्देश्य से ऑनलाईन बिक्री हेतु **"फिलिपकार्ट"** से एम0ओ0यू0 की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद चमोली के देवाल एवं जनपद नैनीताल के कालाढुंगी नामक स्थान पर शहद निर्माण से सम्बन्धित ग्रोथ सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- जनपद अल्मोड़ा में भारत सरकार के सहयोग से **"प्रकृतिक रेशा"** आधारित ग्रोथ सेन्टर की स्थापना।
- ओ0डी0ओ0पी0 के तहत प्रत्येक जनपद में वहां पर उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उत्पाद का चयन किया जा रहा है।
- प्रदेश में खादी के उत्कृष्ट उत्पादों को **"खादी उत्तराखण्ड"** ब्राण्ड नाम के साथ विपणन किये जाने हेतु लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही गतिमान है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

वर्ष 2022-23 हेतु विभाग की रणनीति तथा प्रस्तावित कार्य योजना के मुख्य बिन्दु :

1. राज्य में बेसमेंटल तथा खनिज रॉक फॉस्फेट के चिन्हित खनन क्षेत्र में खनिज अन्वेषण कार्य हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement हेतु हस्ताक्षरित है।
2. प्रदेश में खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति तथा रोजगार सृजन व अपेक्षित राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत जनपदों में राजस्व एवं वन क्षेत्र के अधिक से अधिक नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें पट्टे पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।
3. अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण, खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त स्वीकृत खनन क्षेत्रों में द्रोन सर्वे, सर्विलांस सिस्टम व निकासी मार्गो में मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4. खनन परिहार स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑन लाईन किये जाने हेतु ई–एप्लीकेशन तैयार किया जाना।
5. प्रदेश में उपखनिजों के चुगान हेतु ऐसी नीतियों को तैयार किया जाना, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये अधिक से अधिक राजस्व तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर प्राप्त हो सके।
6. खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। जिला खनिज न्यास (DMF) में जमा धनराशि से जनपदों में खनन प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक से अधिक विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

राजकीय मुद्रणालय, रूड़की

रूड़की में एक मात्र राजकीय मुद्रणालय है। मुद्रणालय से गजट का प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण का कार्य किया जाता है। इसमें निम्न कार्य किये जाते हैंः–

- राज्य के समस्त विभागों जैसे सेवायोजन, विधिक माप विज्ञान, व्यापार कर, चिकित्सा, परिवहन विभाग, निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, महालेखाकार, प्रपत्र तथा उनके द्वारा तैयार निर्देश/नीति प्रकाशनों का मुद्रण किया जायेगा।
- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्बन्धित प्रपत्रों/लिफाफों व फाइल कवर का मुद्रण/सम्पूर्ति की जायेगी।
- मा0 लोक आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट का मुद्रण।
- सचिवालय में प्रयोग होने वाले प्रवेश पत्रों का मुद्रण/सम्पूर्ति एवं उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यवाहियों/प्रतिवेदनों का मुद्रण/सम्पूर्ति तथा शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संकलन/पुस्तकों का मुद्रण इस मुद्रणालय से कार्यों का प्रभावी सम्पादन किया जायेगा।

राज्य में निवेश सम्बन्धित नीतियां **www.investuttarakhand.uk.gov.in** वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **www.doiuk.org** पर प्राप्त कर सकते हैं।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।

क्र. सं.	महाप्रबन्धक का नाम	दूरभाष नं.	मोबाईल नम्बर	ई–मेल आई.डी.
1.	श्रीमती अंजनी रावत नेगी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।	0135–2724903	9897328005	gmdicddn@gmail.com
2.	श्री महेश प्रकाश, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्र नगर, टिहरी।	01378–227297	9410102074	dicteh@doiuk.org
3.	श्री यू.के. तिवारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लदाड़ी, उत्तरकाशी।	01374–222744	9897366778	dicuki@doiuk.org
4.	श्री शिखर सक्सैना, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बसन्त विहार, गोपेश्वर, चमोली।	01372–252126	9719536093	dicchmo@doiuk.org
5.	श्री एच.सी. हटवाल महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मिनी औद्योगिक आस्थान, भटवाड़ीसैंण, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग।	–	9411152316	dic_rpg2010@yahoo.in,
6.	श्री मृत्युंजय सिंह महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सिताबपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	01382–222266	9451516832	gmdic5600@gmail.com
7.	श्रीमती पल्लवी गुप्ता महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रामनगर रोड़, रुड़की, हरिद्वार।	–	7300837740	dichrd@doiuk.org
8.	श्री चंचल सिंह बोहरा, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, विकास भवन, ऊधमसिंहनगर।	–	9458924093	gmdicusn@gmail.com
9.	श्री विपिन कुमार, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कालाढुंगी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220669	9410012920	dicntl@doiuk.org
10.	श्रीमती मीरा बोहरा, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धरानोला, अल्मोड़ा।	05962–230177	9411526311	dicalmora2010@rediffmail.com
11.	श्री जी.पी. दुर्गापाल, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, विकास भवन, बागेश्वर।	05963–221476	9760597952	dic.bageshwar@gmail.com
12.	डॉ. दीपक मुरारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पुनेठी, चम्पावत।	05965–230082	9412131922	dicchmp@doiuk.org
13.	श्रीमती कविता भगत, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बिण, पिथौरागढ़।	05964–223574	9412909661	dicpith@doiuk.org

उत्तराखण्ड शासन

उद्योग निदेशालय

इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून–248 001 उत्तराखण्ड

फोनः 0135-2728227, टोल फ्री नं० : 91-7618544555, फैक्सः 0135-2728226

ई–मेल: info@doiuk.org, mpr@doiuk.org

वेबसाईट: www.doiuk.org, www.investuttarakhand.com

Designed & Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748